Tuesday, 24 August, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

Parliament Library

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6—मंगलवार, 24 अगस्त, 1965 / 2 भाद्र, 1887 (शक)

No. 6—*Tuesday, August*, 24, 1965/*Bhadra* 2, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
150	गन्ने के मूल्य का भुगतान	Payment of Price of Sugarcane	583–585
151	चावल का समाहार	Procurement of Rice	585–587
152	भूमि विकास निगम	Land Development Corporation	587–589
153	वन्य पशुओं का परिरक्षण	Preservation of Wild Life	589–591
154	हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग	Hindu Religious Endowment Commission	591–593
155	चावल और गेहूं का आयात	Import o Rice and Wheat	593–595
156	उर्वरकों के मूल्य तथा वितरण	Pricing and Distribution of Fertilizers	595–596
157	भारत में भव्य होटल	Luxury Hotels in India	596–599
158	गाजीपुर और बलिया के बीच गंगा पर पुल	Bridge on Ganga between Ghazipur and Balia	599–601
159	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	601–603

अ० सू० प्र० संख्या S. N. QUESTIONS			
1	केरल की जेलों में श्री अ० क० गोपालन तथा अन्य बन्दियों द्वारा अनशन	Fast by Shri A. K. Gopalan and other Detenus in Kerala Jails	603–604

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
160	संयुक्त स्कन्ध खेती समवाय	Farming Joint Stock Companies	604

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

1—19 Lok Sabha/65

*ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
161	वन क्षेत्रों में आदिम जातियों का उत्थान	Uplift of Tribals in Forest Areas .	604
162	रेगिस्तान विकास बोर्ड	Desert Development Board . .	605
163	सिंचाई परियोजनाओं का कृषि सम्बन्धी पहलू	Agricultural Aspect of Irrigation Projects	605
164	संग्रह-व्यवस्था के कारण अनाज का खराब हो जाना	Damage to Food output due to storage	605–606
165	प्रदीप पत्तन	Paradeep Port	606
166	राज्यों का चीनी का कोटा	Sugar Quotas of States . .	606–607
167	नई चावल मिलें	New Rice Mills	607
169	बम्बई पत्तन पर अनाज के जहाजों से अनाज उतारना	Unloading of Food Ships at Bombay Port	607
170	ग्रामीण ऋणग्रस्तता	Rural Indebtedness . . .	608
171	श्रमिकों द्वारा निराई पर लागत	Cost of Weeding by Human Labour	608
172	गैर-सरकारी विमान कम्पनियां	Private Air Companies . .	608–609
173	1964-65 की खरीप की फसल में चावल का उत्पादन	Production of Rice during 1964-65 Kharif Season	609–610
174	पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति	Financial Conditions of Panchayati Raj institutions . . .	610
175	केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद	Hindi Versions of Central Acts .	610–611
176	लोक-सभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व	Representation for Delhi in Lok Sabha	611
177	भारतीय जहाजों में गेहूं का आयात	Import of Wheat in Indian Ships .	611–612
178	वी० शंकर समिति का प्रतिवेदन	Report of V. Shanker Committee .	612
179	अनाज का आयात	Import of Foodgrains . . .	612–613

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
489	पश्चिम तट सड़क पर पुल	Road Bridges on West Coast Road	613
490	केन्द्रीय मीनक्षेत्र विकास संस्था, एर्नाकुलम	Central Fisheries Institute, Ernakulam	614
491	क्विलोन जिले में नये पुल	New Bridges in Quilon District .	614

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
492	क्विलोन जिले में कुन्नानूर पुल	Kannanur Bridge in Quilon District	615
493	केरल राज्य में चेत्तवा पुल	Chettuva Bridge in Kerala State .	615
494	केरल में कन्नारा-थप्पमकादव सड़क	Kannara—Thappumkadav Road, Kerala	615–616
495	करूवांकड-पुल्लमकंडम सड़क, केरल	Karuvankad—Pullankandam Road, Kerala	616
496	मद्रास और कोलम्बो के बीच विमान सेवा	Madras-Colombo Air Service .	616
497	अनुसन्धान परियोजनायें	Research Projects	616
498	दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल का निर्माण	Construction of Hospitals under employees State Insurance Scheme in Delhi	617
499	मोटरगाड़ी का शोर मापने का तरीका	Device to Measure Noise of a Vehicle	617
500	राज्यों के उच्च न्यायालयों में स्थायी सरकारी कौंसल (वकील)	Government Standing Counsel in State High Courts . . .	617–618
501	बहादुरगढ़ से केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली के लिये बस सर्विस	Bahadurgarh-Central Sectt., New Delhi bus Service . . .	618
502	कलकत्ता-डिबरूगढ़ नदी-मार्ग	Calcutta-Dibrugarh River Route .	618
503	किसानों को ऋण	Loans to Cultivators . .	619
504	चावल के नये बीज का विकास	Development of new seed of rice .	619–620
505	सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	Area brought under irrigation	620
506	गोआ का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Goa as a Tourist Centre	620–621
507	बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Waste Lands .	621
508	सहकारी समितियां	Co-operative Societies . .	621–622
509	अनाज का आयात	Import of Foodgrains	622
510	पण्य समितियां	Commodity Committees . .	622–623
511	गेहूं की खरीद पर पाबन्दी	Restriction on Purchase of Wheat	623
512	कृषकों को ऋण	Credit to Agriculturists . .	623–624

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
513	जबलपुर में हवाई अड्डा	Jabalpur Aerodrome	624
514	दिल्ली में स्कूटर-रिक्शा	Scooter-Rikshaws in Delhi .	624
515	होटल मालिकों, रेस्तरां मालिकों का श्रीनगर में हुआ सम्मेलन	Convention of Hoteliers, Restauranteurs at Srinagar . . .	624–625
516	पूर्वी अफ्रीका के देशों के लिये विमान सेवायें	Air Services to East African Countries	625
517	कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard . .	625
518	पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Backward Classes .	626
519	केन्द्रीय बागवानी संस्था	Central Institute of Horticulture .	626
520	राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद्	National Council of Applied Economic Research . . .	626–627
521	कृषि-औद्योगिक निगम	Agro-Industrial Corporations	627
522	विदेशों में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय	I.A.C. Offices Abroad .	627
523	भारत, थाइलैंड, मलयेशिया तथा लंका के बीच पर्यटन के विकास के लिये संयुक्त कार्यक्रम	Joint Programme to Develop Tourism between India, Thailand, Malayasia and Ceylon .	628
524	केरल में कोचीन-अरूर राष्ट्रीय राजपथ	Cochin-Aroor National Highway in Kerala	628
525	प्रशिक्षण पोत "डफरिन"	Training Ship 'Dufferin' . .	628–629
526	उत्तर प्रदेश में फल-व-अनुसन्धान केन्द्र	Fruit-*cum*-Research Station in U.P.	629
527	उत्तर प्रदेश में उद्यानों का विकास	Development of Horticulture in U.P.	629
528	सतलुज नदी से नहर निकालने सम्बन्धी परियोजना	Sutlej Canalization Project . .	629–630
529	उत्तर प्रदेश में स्थानीय विकास कार्य	Local Development Works in U.P. .	630
530	उत्तर प्रदेश के लिये गेहूं	Wheat for U.P.	631
531	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	631–632
532	सीमावर्ती जिलों को हवाई अड्डों से जोड़ना	Connecting Aerodromes with Border Districts	632

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
533	अल्वाये तथा कालीकट के बीच सड़क	Road Link between Alwaye and Calicut	632
534	दिल्ली में साग-सब्जी की पैदावार	Vegetable Production in Delhi .	632–633
535	गेहूं के न्यूनतम मूल्य	Minimum Price of Wheat .	633
536	मुकद्दमा लड़ने के लिये गरीबों को सहायता	Litigation Aid to the Poor . .	633–634
537	बेहल उड्डयन प्रशिक्षण संस्था, पश्चिम बंगाल	Behala Flying Training Institute (West Bengal)	634
538	कृषि-शिक्षा	Agricultural Education . . .	634
539	बम्बई के सहकारी समिति अधिनियम का दिल्ली में लागू होना	Cooperatives Act of Bombay in vogue in Delhi . . .	634–635
540	पंजाब में मीन क्षेत्रों का विकास	Development of Fisheries in Punjab	635
541	पंजाब में दस्तकारी उद्योग का विकास	Development of Handicrafts in Punjab	636
542	केरल में दूध की सप्लाई	Milk Supply in Kerala	636
543	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें	All-India Services Examination for S.C. and Backward Communities	636–637
544	राज्यों को उर्वरकों का सम्भरण	Supply of Fertilizers to States .	637
545	कृषि अनुसन्धान	Agricultural Research .	638
546	पालम हवाई अड्डा	Palam Airport . .	638
547	दिल्ली का चिड़ियाघर	Delhi Zoo . . .	638–639
548	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान चालकों का प्रशिक्षण	Training of Pilots by I.A.C. .	639
549	बांध	Bunds . . .	639–640
550	खाद्य सलाहकार समिति, केरल	Food Advisory Committee, Kerala .	640
551	खाद्य विभाग के कर्मचारी	Employees of Food Department .	640–641
552	केरल में धान का समाहार	Procurement of Paddy in Kerala .	641
553	केरल में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालें	Employees State Insurance Hospitals in Kerala . . .	641
555	धान की खेती	Cultivation of Paddy . . .	641–642

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
556	भारत-पोलैंड जहाज सेवा	India-Poland Shipping Service .	642
557	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय वित्तपोषित कार्य	Centrally Financed Works for Madhya Pradesh . . .	642
558	सघन खेती	Intensive Cultivation . . .	643
559	कृषि सम्बन्धी कार्यकारी दल	Working Group in Agriculture .	643
560	खाद्य उपभोग सर्वेक्षण	Food Consumption Survey . .	643
561	खाद्य औद्योगिकी की शिक्षा	Teaching of Food Technology .	644
562	सहकारी विपणन तथा परिष्करण	Cooperative Marketing and Processing	644
563	लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes . .	644–645
564	धान सम्बन्धी पैकेज प्रोग्राम	Package Programme in Paddy .	646–647
565	धुआं-रहित (फ्लू क्योरड) वरजीनिया तम्बाकू	Flue-Cured Virginia Tobacco .	647
566	पशु पालन बोर्ड	Animal Husbandry Board . .	647
567	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	Hindustan Shipyard . . .	647–648
568	चिड़ियाघर में शेरनी की मृत्यु	Death of Lioness in Zoo .	648
569	अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड	Inland Water Transport Board .	648
570	नेपाल से चावल की खरीद	Purchase of Rice from Nepal .	648–649
571	भारत के खाद्य निगम में वेतनक्रम	Pay Scales in Food Corporation of India	649
572	चावल की हानि	Damage of Rice	649–650
573	सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों का सम्मेलन	State Ministers' Conference on Community Development and Panchayati Raj . . .	650
574	रसड़ा सहकारी चीनी मिल	Rasra Cooperative Sugar Mill .	650
575	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme . . .	650–651
576	अनुसूचित जातियों का उत्थान	Uplift of Scheduled Castes . .	651

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
577	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें	I.A.C. Services .	. 651–652
578	उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन	Agricultural Production in U.P. .	652
579	लकड़ी तथा अपशिष्ट पदार्थों का खाद के रूप में उपयोग	Use of Wood and Wastes as Manure	652–653
580	मूषक नियंत्रण	Control of Rodents .	653
581	बिहार को मक्का की बिक्री	Sale of Maize to Bihar .	654
582	भूमि-सुधार सम्मेलन	Land Reforms Conference .	654
583	मजदूर बैंक	Labour Banks .	654
584	वन सम्पत्ति का विकास	Development of Forest Wealth .	654–655
585	लाल किले में ध्वनि तथा प्रकाश चित्र	Son et Lumire Spectacle at Red Fort, Delhi	655
586	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2	National Highway No. 2 . .	655
587	बम्बई बन्दरगाह में जहाजों से अनाज उतारना	Unloading of Food Ships at Bombay Port	656
588	नेपाल को चने का निर्यात	Export of Gram to Nepal . .	656
589	हरिजन आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Harijan Adivasi Students	657
590	भू-कृषि	Soil Cultivation	657
591	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 पर पुलों का निर्माण	Bridges on National Highway No. 34	657
592	महानन्दा नदी पर पुल का निर्माण	Bridge on River Mahananda	. 657–658
593	कच्छ समझौता सम्बन्धी लेख याचिका	Writ Petition on Cutch Agreement	658
594	गाजीपुर ज़िले में चीनी की मिल	Sugar Mill in Ghazipur District .	658
595	टेपिओका और मक्का का उत्पादन	Production of Tapioca and Maize .	658–659
597	पश्चिम तटीय सड़क के उपमार्ग	By-passes on West Coast Road .	

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
रानीगंज रेलवे स्टेशन के निकट पेट्रोल के एक वैगन में विस्फोट के समाचार	Reported explosion in a petrol wagon near Raniganj Railway Station	659–660

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
इन्दौर पुलिस द्वारा लोक-सभा को भेजी जाने वाली याचिका का ज़ब्त किया जाना	Seizure by Indore Police of Petition addressed to Lok Sabha . .	660–661
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table .	662–665
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
कार्यवाही-सारांश	Minutes	665
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) 1965-66	Demands for Supplementary Grants (Kerala) 1965-66 . . .	665
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल), 1961-62	Demands for Excess Grants (Kerala), 1961-62 . .	665
मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers—	
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . . .	665–666
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy .	666–668
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad . .	668–669
श्री हरिकृष्ण मेहताब	Shri Mahatab	669–671
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhuri .	671–672
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya . .	672–674
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Smt. Tarakeshwari Sinha . .	674–676
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	676–677
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . .	677–678
श्री चि० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . .	678–682
कार्यमंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-eighth Report . .	682

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 24 अगस्त, 1965/2 भाद्र, 1887 (शक)
Tuesday, August 24, 1965/Bhadra 2, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Payment of Price of Sugarcane

*150. **Shri Bibhuti Mishra :** +
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sugar mills in Bihar have not so far paid the price of sugarcane supplied to them by the farmers during the year 1964-65;

(b) if so, whether it is also a fact that permission is not being granted to these mills to release sugar and the banks are also not giving them loans; and

(c) if so, the steps being contemplated by Government to help the farmers getting their payments?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) गन्ने के देय कुल मूल्य 21.92 करोड़ रुपये में से 21.03 करोड़ रुपये 31 जुलाई, 1965 तक दिए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, Price of Sugarcane of farmers is fixed by the Government. The Government have controlled sugar and also its price. When the farmer approaches mill-owners to demand price of his sugarcane, they reply that Government have controlled their sugar and that it is not being released and sold and as such they cannot pay the price. I plead that some such arrangement should be made that the farmer should get the price of his sugarcane at the time he supplies the sugarcane. The Govt. would say that it is a State subject.........

Mr. Speaker : What is the question you want to ask? You have suggested that some arrangement should be made by the Government.

Shri Bibhuti Mishra : I want that such an arrangement should be made by the Government that the farmer gets price of sugarcane when he delivers the sugarcane. What arrangement has been made so far and why the arrears has not been paid ?

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के संबंध में, मैं उत्तर दे चुका हूं कि गन्ने का 21.92 करोड़ रुपया देना बाक़ी था जिसमें से 21.03 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। अब 88.77 करोड़ रुपया देना बाकी है। बिहार सरकार ने कहा है कि मिल मालिकों से आग्रह किया गया है कि किसानों को बकाया धनराशि तुरंत दें।

प्रश्न का दूसरा भाग चीनी रिलीज़ करने के बारे में है। इस वर्ष 3.80 लाख मिट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है जिसमें से 2.88 लाख मिट्रिक टन रिलीज़ कर दी गई है और शेष 0.92 लाख मिट्रिक टन रिलीज़ होनी बाकी है। यह कुल उत्पादन का लगभग 72.83 प्रतिशत है, जो संतोषजनक है।

Shri Bibhuti Mishra : My question has not been answered. I want to know why the price of Sugarcane has not been paid to the farmers.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : हम यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों को गन्ना का मूल्य तुरंत मिल जाये।

Shri K. N. Tewari : May I know what arrangements have been made by the Government to ensure that the sugarcane growers of eastern U.P. and Bihar got their outstanding amount ?

Mr. Speaker : The Hon. Minister has been trying to answer the same question.

श्री दे० द० पुरी : क्या यह सच है कि करोड़ों रुपया सरकार ने देना है जो चीनी कारखानों को नवम्बर, 1964 तथा मार्च 1965 के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में छूट के रूप में दिया जाता है यद्यपि कारखानों ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य के रूप में इसका काफ़ी भुगतान कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये तो वह गन्ना उत्पादकों को भुगतान नहीं कर रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री विश्वनाथ राय : बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की गन्ने के मूल्य का भुगतान न करने की एक आदत सी बन गयी है तथा क्या इस आधार पर सरकार कोई क़दम उठा रही है कि अभाव की अवस्था में भी इस प्रकार की बात न हो ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : सभी कारखाने किसानों से करार करते हैं। कुल गन्ना वे खरीद लेते हैं। हम उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यह व्यापार हैं तथा उसी के अनुसार काम होता है।

Shri Sarjoo Pandey : Hon. Minister has told us just now that some sugar has been released and that the remaining sugar will be released. The version of the Mill owners is that they have full stock of sugar and therefore payment is not being made. May I know the reasons for this delay in releasing it and why are the people being harrassed ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : श्रीमान् चीनी एक विशेष मौसम में पैदा होती है तथा पांच महीने तक बनती है। परन्तु इसका उपभोग पूरे वर्ष में किया जाता है। इसलिये जितनी चीनी का उत्पादन होता है वह तुरंत रिलीज़ नहीं की जाती ; वर्ष भर में इस को रिलीज़ करना पड़ता है।

श्री काशीनाथ पांड : कुछ कारखानों ने रिलीज़ आर्डर न मिलने के कारण किसानों को मूल्य का भुगतान नहीं किया है, इसलिये क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी और इसे प्राथमिकता देगी जिससे वे गन्ने के मूल्य दे सकें ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इस संबंध में अवश्य विचार करना चाहिए ।

चावल का समाहार

***151. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल का समाहार करते समय जो मात्रा छोड़ दी जाती है उसे कम करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में चावल के समाहार में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हां । आन्ध्र प्रदेश सरकार के कहने पर उस राज्य में चावल के समाहार के लिए निश्चित नमूने को बदलने का विचार किया जा रहा है जिससे अच्छी किस्म का चावल मिल सके ।

(ग) 1964–65 के मौसम में राज्य के लक्ष्य तथा समाहार किए गए चावल की मात्रा दिखाने-वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार की ओर से चावल के समाहार कार्य की प्रगति

राज्य	लक्ष्य	समाहार किया गया (लाख टनों में)	किस तिथि तक
मध्य प्रदेश . . .	4.00	4.3	15–8–65
पंजाब . .	2.50	2.6	12–8–65
उड़ीसा . . .	3.00	1.9	15–8–65
आन्ध्र प्रदेश . . .	8.00	4.9	15–8–65
मद्रास . . .	2.00	0.7	10–8–65
जोड़	19.50	14.4	

श्री प्र० चं० बरुआ : विवरण से यह मालूम होता है कि लक्ष्य 19.50 लाख मिट्रिक टन था । परन्तु हम केवल 14.4 लाख मिट्रिक टन ही इकट्ठा कर पाये हैं । असंतोषजनक परिमाण में जो यह अनाज इकट्ठा हुआ है क्या उसका कारण यह है कि किसानों ने अपने अनाज का, जिसको वे बेचना चाहते हैं, 40 प्रतिशत अपने पास रोक लिया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या क़दम उठाने का विचार है जिससे किसानों को बाध्य किया जा सके कि वे अपना अनाज बाज़ार में लायें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : सभी राज्यों के लिए 19.5 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश तथा पंजाब में निर्धारित लक्ष्य से भी ज्यादा अनाज इकट्ठा कर लिया गया है। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मद्रास में अभी कम अनाज इकट्ठा हुआ है। परन्तु अभी कुछ और महीने बाकी हैं। इन शेष महीनों में हम प्रयत्न करेंगे कि जितना अधिक संभव हो सके उतना अनाज इकट्ठा कर लें।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार को अनुभव हो गया है कि जब तक उत्पादकों को अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तब तक अनाज का समाहार बढ़ाने में सरकार सफल नहीं होगी तथा क्या सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार कोई कर आदि लगाने की प्रणाली लागू करने का विचार करती है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जी हां। एक प्रश्न यह भी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्नम्मा : क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शिकायत की है कि उर्वरक अपेक्षित मात्रा में अर्थात जितना आवश्यक होता है उसका एक-तिहाई भी नहीं दिया जाता और इसी लिए किसान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनाज नहीं दे सकते ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : देश में उर्वरक की सभी जगह कमी है, केवल आन्ध्र में ही नहीं। सभी राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक नहीं दिया गया।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि सरकार को यह सूचना मिली है कि सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा आन्ध्र में चावल इकट्ठा करने के अपने प्रयत्न में बाजार भाव से बहुत कम मूल्य दे रही है ? मिल मालिकों को तो इसी कम भाव पर सरकार की मांग पूरी करनी पड़ती है तथा बाद में उन्हें जो भी चावल मिले उसको वे ऊंचे दामों पर बाजार में बेचते हैं।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। क्या उनका यह कहना है कि वे बाजार में बहुत अधिक दामों पर चावल बेचते हैं ?

श्री रंगा : स्थानीय बाजार भाव उस दाम से अधिक हैं जो आप मिल मालिकों को देते हैं और इसके परिणामस्वरूप आपको आशानुकूल चावल नहीं मिलता।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : आन्ध्र प्रदेश में हमने जो जो अधिकतम बाजार भाव निश्चित किये थे, भाव उससे नहीं बढ़े हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या कुछ राज्यों ने चावल इकट्ठा करने के बारे में कोई वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो राज्यों ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है तथा उनको कितनी राशि देने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। जब राज्यों को अनाज इकट्ठा करना होता है तब हमें उनको धन की सहायता देनी पड़ती है और हम यह सहायता दे रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have ever considered the point that whether they procure from Mills or from States, ultimately burden falls on the producers and therefore farmer is always in loss. Why do the Government not pay the minimum price to the farmer to enable him to sell his rice to the Government ? Now rice is being sold at the rate of Rs. 35 per maund, but it was procured from the farmer at the rate of Rs. 20 per maund. Do then Government propose to do something in this matter ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जिस भाव पर हम खरीदते हैं तथा जिस भाव पर यह उपभोक्ता को बेचा जाता है उसकी हमने घोषणा कर दी है। खुले बाज़ार में कुछ घटाबढ़ी हुआ ही करती है। उसका प्रभाव उत्पादक पर भी पड़ता है।

Shri Raghunath Singh : The target for Orissa was fixed at 30 lakhs but only 19 lakhs have been procured. Orissa being a surplus State, what are the reasons that full target was not achieved there, whereas Punjab and Madhya Pradesh have reached their targets ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : लक्ष्य 30 लाख नहीं है केवल 3 लाख है। इसमें से 1.9 लाख का समाहार कर लिया गया है। मानसून का मौसम होने के कारण चावल नहीं आ रहा है। मानसून के बाद उन्हें और चावल का समाहार करना होगा।

Shri Bade : Is it a fact that the businessmen and not the Govt. have procured so much rice from the farmers of Chhatisgarh in Madhya Pradesh that now farmers there do not have any rice for their consumption? Does the Government propose to revise its policy so that people in Chhattisgarh have sufficient rice for their consumption?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मध्य प्रदेश में जितना चावल फालतू है उसका अनुमान मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से लगाया गया था। केवल फालतू चावल ही वसूल किया गया है। परन्तु फिर भी प्रति व्यक्ति उपलब्धि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने बिहार जैसे राज्यों में कम वसूली होने के कारणों की जांच करवाने का प्रयत्न किया है ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस संबंध में क्या विशेष क़दम उठाये गये हैं कि वह अपने लक्ष्य पूरे कर सकें ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : बिहार में केन्द्रीय सरकार चावल वसूल नहीं कर रही। राज्य सरकार अपने लिये चावल वसूल कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासनिक कारणों से वहां पर लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं।

श्री वारियार : क्या चावल वसूल करने के मामले में अपने पहले अनुभव के आधार पर आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने मिल मालिको से यथासंभव चावल लेने का प्रयत्न किया है ?

श्री रंगा : अधिक मूल्य दीजिए।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : आन्ध्र सरकार अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न कर रही है।

भूमि विकास निगम

*152. **श्री मि० सू० मूर्ति** :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या खाद्य तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से एक भूमि विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

श्री मि० सू० मूर्ति : क्या इस काम के लिये किन्हीं राज्यों ने भूमि दी है ?

श्री शाहनवाज खां : कई राज्यों ने भूमि दी है ।

श्री मि० सू० मूर्ति : क्या यह निगम वाणिज्यिक आधार पर काम करेगा अथवा प्रयोगात्मक आधार पर ?

श्री शाहनवाज खां : अन्ततोगत्वा इसको वाणिज्यिक आधार पर चलाया जायेगा ।

श्री दे० जी० नायक : इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : जैसेही विभिन्न राज्यों से हमें पूरे आंकडे मिलेंगे, हम काम शुरू कर देंगे ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस निगम में कौन व्यक्ति होंगे और इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा ? क्या इसको राज्य सरकारें चलायेंगी अथवा इस पर केन्द्र का नियंत्रण होगा ?

श्री शाहनवाज खां : विचार यह है कि केन्द्र को यह काम करना चाहिये क्योंकि इसके पास तकनीकी तथा वित्तीय साधन उत्तम हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the Government have considered the question of Chambal Valley project also? If this is developed, the problem of dacoits would also be solved.

Shri Shahnawaj Khan : The Government have thought over the problem of the Chambal ravines. In that area about 80 lakh acre ravine land can be afforested and reclaimed if efforts in that direction are made. I cannot tell the Hon. member whether the dacoit problem can be solved by this or not.

Shri Buta Singh : Hon. Minister has told just now that the Central Government propose to undertake this work. May I know whether that reclamation of land will be done through our own technicians or with some outside help ?

Shri Shahnawaj Khan : This is not a difficult work for which we should take help from a foreign country.

श्री रा० गि० दुबे : क्या इस योजना के अन्तर्गत रेहवाली जमीन भी आयेगी ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां । रेहवाली जमीन पर भी हमारा अनसंधान तथा प्रयोग करने का विचार है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस निगम के क्या मुख्य कार्य होंगे तथा क्या यह निगम देश के रेतीले क्षेत्रों में भी भूमि को खेती योग्य बनायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : रेतीले क्षेत्रों के लिए एक अलग रेगिस्तान विकास बोर्ड बनाया जा रहा है । परन्तु यह निगम तो अन्य प्रकार की बेकार पड़ी जमीनों के संबंध में काम करेगा ।

Shri Kashi Ram Gupta : I want to know the names of the States which have accepted the scheme and how much time will be taken in implementing this scheme?

Shri Shahnawaj Khan : We have received replies from Goa, Orissa and Punjab. We have written to other States also but they have not so far replied.

श्री कपूर सिंह : क्या खेती योग्य बनायी गयी इस भूमि में राज्यों के फार्म अथवा राज्य सहकारी फार्म बनाये जायेंगे अथवा यह किसानों को दे दी जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : बड़े राजकीय फार्म बनानेका विचार है ।

Shri Jagdeo Singh Siddhanti : Is Government aware of the fact that in Punjab vast tracts of land, which were very fertile, are turning into waste lands due to the spread of 'sem' in that area? What steps the Government propose to take to check it ?

Shri Shahnawaj Khan : The Government is trying to improve drainage systems there so that water could be drained out and the spread of 'sem' could be checked.

वन्य पशुओं का परिरक्षण

*153. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्य पशु बोर्ड के तीन दिवसीय सम्मेलन में वन्य पशुओं के परिरक्षण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है;

(ख) क्या इस समस्या का जिसमें शिकार करने सम्बन्धी कानून भी शामिल हैं निष्पक्ष अध्ययन किया गया है और उनकी सफलता को आंका गया है; और

(ग) क्या वन्य पशुओं की संख्या में तेजी से हो रही कमी को रोकने के लिए राष्ट्रीय उपवन तथा शरण स्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। भारतीय वन्य प्राणि मण्डल ने इन प्रश्नों के विस्तृत विचार अपनी स्थाई समिति की अगली बैठक के लिए रख छोड़े हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय देश में 3 राष्ट्रीय उपवन तथा 81 से अधिक आश्रय-स्थल मौजूद हैं। राज्य सरकारों को और राष्ट्रीय उपवन तथा आश्रय-स्थलों की स्थापना करने के विषय में सिफारिश की गई है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने अनधिकृत शिकारियों से वन्य पशुओं को बचाने के लिए प्रभावी क़दम उठाये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हम राज्य सरकारों का ध्यान इन अनधिकृत शिकारियों की अनुचित गतिविधियों की और लगातार आकर्षित कराते रहते हैं तथा मुझे प्रसन्नता है कि कुछ राज्यों ने प्रभावी कदम उठाये भी हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने ऐसे वन्य पशुओं की अलग अलग सूचि बना ली है जिनको ऐसे क्षेत्रों में रखा जा सकता है, जहां आदमी रहते हैं तथा जिनको ऐसे क्षेत्रों में नहीं रखा जा सकता, जहां लोग रहते हों ?

श्री शाहनवाज खां : मैं समझता हूं कि केवल नागों तथा बिच्छुओं को वहां पर नहीं रखा जा सकता जहां आदमी रहते हों ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इसका पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि किन किन वन्य पशुओं को मारा जाता है तथा जिन के पूर्णतया नष्ट हो जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो इनके नाश को बचाने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : चीता आदि कुछ वन्य पशु पूर्णतया नष्ट होते जा रहे हैं । कस्तूरी मृग और बारहसिंगा भी अब प्राय: दिखाई नहीं देते । सफेद पंखों वाली बत्तखें तथा ग्रेट इंडियन बास्टार्ड पक्षी भी अब नहीं मिलते । अन्य अनेक जातियों के पक्षी भी समाप्त हो रहे हैं । हम वन्य पशुशालायें बना रहे हैं जहां पर इन पशुओं को पाला जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : May I know the reasons why committees are being set up for the protection of wild lives when we are adopting family planning to restrict the growth of human beings?

Shri Shahnawaj Khan : The reason is that human being kill and consume the wild animals.

श्री जयपाल सिंह : क्या माननीय मंत्री सभा को बतायेंगे कि क्या सर्वेक्षण से इस बात का भी पता लगा है कि इन पशुशालाओं को बनाने के कारण कितने निवासियों को वहां से हटाया गया है, क्यों कि सिमलीपाल हिल्स एरिया को पशुशाला बनाते समय 3000 व्यक्तियों को वहां से हटाया गया था परन्तु उनको किसी अन्य स्थान पर बसाया नहीं गया ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे इसके आंकड़े मालूम नहीं है कि कितने आदमियों को विस्थापित किया गया परन्तु यह उनको बसाने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

श्री बसुमतारी : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आसाम में वन्य पशु बहुत पाये जाते हैं तथा पर्याप्त संख्या में रक्षक न होने के कारण वह बड़ी संख्या में मारे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पशुओं को बचाने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि काज़िरंगा वन्यपशु-शाला के गैंडों को हाल ही में बड़ी संख्या में अनधिकृत शिकारियों ने मार डाला है । गैंडों के सींगों का निर्यात किया जाता है । इसका कुछ देशों, मुख्यत: चीन में बहुत मूल्य मिलता है । अनधिकृत शिकारी जंगल में गहरी खाइयां खोदते हैं, गैंडों को पकड़ते हैं और मार डालते हैं तथा उनके सींगों का निर्यात करते हैं । हमने राज्य सरकार से कहा है कि वह प्रभावी कदम उठायें ।

श्री रा० बसप्पा : क्या सरकार को मालूम है कि गैंडे के सींगों को बेचने वाले लोगों के अन्तर्राज्यिक गिरोह बने हुए हैं, तथा यदि हां, तो ऐसे व्यापारियों को पकड़ने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : गैंडे के सींगों का निर्यात करने वाले गिरोह विद्यमान हैं तथा जब गैंडे के सींगों को साइकिल के पुर्जों के नाम से देश से बाहर ले जाया जा रहा था उस समय सीमाशुल्क अधिकारियों ने कलकत्ता में उनको पकड़ा । राज्य सरकार वन्य पशुशाला में चौकीदार तथा रक्षक बढ़ा रही हैं ।

श्री हिम्मतसिंहजी : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि सरकार ऐसे पशुओं के लिए अलग मृगाश्रय बनाने के बारे में विचार कर रही है जो समाप्त होते जा रहे हैं । क्या उन्होंने ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के लिए कोई सुरक्षित स्थान निश्चित किया है ?

श्री शाहनवाज खां : ग्रेट इण्डियन बास्टर्ड रेगिस्तान में रहते हैं जैसे कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तान और हम उनको इन स्थानों पर सुरक्षित रखनेका प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Gulshan : Have the Government conduct any survey in regard to beatiful animals like deer, which are getting, extinct and whether it is proposed to bread them again?

Shri Shahnawaj Khan : 'Deer' which was found in U.P., Punjab and Delhi is no more seen. Some wild life sanctuaries are being established and are trying to preserve them.

Shri Hukam Chand Kachhaviya : Formerly Pigs, Deers, and Peacoks etc. were not killed due to religious feelings and the restrictions imposed. May I know whether government are considering now to enact a uniform law in all the States to impose restrictions on the killing of such animals and birds? Whether Central Government are issuing any license to people to kill animals ?

Shri Shahnawaz Khan : Peacock is a national bird of India and therefore there is restriction on its killing. We have imposed restriction on the killing of 'Deers' also where they are small in number. Licenses are not issued for that purpose.. But Pigs are harmful for crops and therefcre it should be killed.

Shri Hukam Chand Kachhaviya : May I know if any license have been issued for the purpose?

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि प्रसिद्ध एकसींग वाले गैंडों का शरारती व्यक्तियों द्वारा शिकार किया जाता है और उनके अपने देश काज़िरंगा में प्रति वर्ष ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाने के कारण वे नष्ट होते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार का उस क्षेत्र के लिए बाढ़ नियन्त्रण उपाय करने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण पशु काज़िरंगा को छोड़ कर ऊंचे स्थानों में चले जाते हैं। जब वे चाय बागानों में जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। हम कदम उठा रहे हैं कि उनको इस तरीके से नष्ट न किया जाये।

Hindu Religious Endowment Commission

*154. **Shri Hem Raj** +: **Shri Vishwa Nath Pandey** :
Shri Bagri : **Shri Narendra Singh Mahida** :

Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 648 on the 30th March, 1965 and state the decision taken by Government on the recommendations made by the Hindu Religious Endowment Commission?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : The Government have decided to implement practically all the important recommendations made by the Hindu Religious Endowments Commission and for that purpose the Hindu Religious Endowment Bill, 1965, was introduced in the Lok Sabha on 16-8-1965.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि प्रस्तावित विधेयक की लपेट में सिख धर्मप्रचारक संस्थाओं, अर्थात मठों और धार्मिक संस्थानों को, अर्थात उदासी, निर्मल और सेवापंथी आदि को लेने का इरादा है; और यदि हां, तो क्या सिख धर्म पर इस प्रकार सीधा आक्रमण करने से रुकने का सरकार का विचार है ?

श्री जगन्नाथ राव : सिख धार्मिक संस्थान इस विधेयक के क्षेत्र से जान बूझ कर निकाल दिये गये हैं। विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को पहले ही दी जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि उदासी, निर्मल और सेवा पन्थी सिख वर्ग हैं, और उनके मठों को इस विधयक के क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है; और इस पर कुछ आन्दोलन भी हो रहा है। वह माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं।

श्री कपूर सिंह : इस विधेयक में उनको शामिल किया गया हैं।

श्री जगन्नाथ राव : वह विधेयक माननीय सदस्यों में पहले से ही परिचालित कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि माननीय मित्र इसके किसी विशिष्ट खण्ड के बारे में कुछ कह रहे है।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसके उत्तर की अपेक्षा आप स्वयं कर सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : तो क्या मैं यह समझू कि सिखों पर होने वाले इस आक्रमण को रोकने का उनका विचार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : सिख धर्म पर आक्रमण करने का उनका इरादा नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : When our Government is Constitutionally a secular Government why its attack is mounted first of all on Hindus and why all the laws are not made applicable to all the religions uniformely?

श्री जगन्नाथ राव : लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ ऐसे सार्वजनिक धार्मिक संस्थान हैं जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है, और उनके द्वारा बहुत बड़ी राशि नष्ट की जा रही हैं। इस विधेयक को इस लिये लाया गया है कि उन संस्थानों का प्रबन्ध अच्छी तरह से चलाया जा सके।

Shri Prakash Vir Shastri : I wanted to know whether the money is misused in Hindu religious institutions only or in some other religious institutions of other religions also?

Mr. Speaker: His question was why Hindu religion alone is being attacked?

Shri Prakash Vir Shashtri: I wanted to know why laws are being enacted for the Hindu religious institutions only and not for religions of the institutions of other religions.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the word 'Hindu' occurring in connection with the Hindu Religious Endowment Commission covers Sikhs, Jains, Budhists etc. or not ?

Shri Kapur Singh : They are not covered in this bill.

श्री जगन्नाथ राव : नहीं, उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

Shri Raghunath Singh : India is a secular State. Is it in keeping with the spirit of secular state to have Hindu endowment Act, Muslim endowment Act, Sikh endowment Act? If not, what are the reasons for not having a uniform Act for the whole of India?

श्री जगन्नाथ राव : हिन्दुओं के अपने धर्मस्व हैं; मुसलमानों के अपने वक्फ हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : फिर धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है ?

श्री जगन्नाथ राव : इसका अर्थ यह है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि नागरिक अपना धर्म नहीं रख सकते।

चावल और गेहूं का आयात

*155. **श्री यशपाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दो वर्षों में गेहूं और चावल का अधिक मात्रा में आयात किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : देश में लगातार दो फसलें खराब हो जाने के कारण फरवरी, 1964 से लेकर केन्द्रीय भण्डार से बड़े भारी परिमाण में अनाज दिया गया हैं जिससे रक्षित भंडार बहुत कम हो गया है।

मांग को पूरा करने के लिये जब तक देश में उत्पादन काफी बढ़ाया नहीं जायेगा, तब तक इस भण्डार से बड़े परिमाण में अनाज लिये जाने की संभावना है। तब तक वर्तमान खपत को पूरा करने के लिये और पुनःरक्षित भण्डार बनाने के लिये कुछ समय तक बड़ी मात्रा में अनाज मंगवाना पड़ेगा। आयात के लिये समय समय पर संबंधित सरकारों के साथ समुचित करार किये जा रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : How much wheat will be imported under P.L. 480 and how much other than that?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं बता चुका हूं कि जहां तक भविष्य में आयात करने का संबंध है, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे देश और निर्यात करने वाले देशों के बीच किस प्रकार करार किये जाते हैं।

Shri Yashpal Singh : By what time will our country be self sufficient in this matter so that we have not to beg from other countries?

श्री दा० रा० चव्हाण : यदि हम अपनी पूरी कोशीश करें तो आशा है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

Shri Vishram Prasad: When the crop is good the Minister claims that the production has increased and when the crop is not good the blame is put on nature. What is the use of spending so much amout on agricultural developmental plans when the Minister resorts to such talks?

Mr. Speaker : This question can be asked when the plan is discussed.

श्री दाजी : अगले दो वर्षों में हमें अनुमानतः कितना गेहूं और चावल विदेशों से मंगवाने की आवश्यकता होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मैं दो वर्षों के आंकड़े तो बताने में असमर्थ हूं। 1965 में हमें लगभग 55 से लेकर 60 लाख टन तक गेहूं मंगवाना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : वर्तमान खाद्य संकट को देखते हुए क्या गेहूं अथवा चावल के आयात में कोई वृद्धि की जायेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह गेहूं मिलने पर भी निर्भर है। करारों के संबंध में बातचीत की जा रही है और इसलिये मैं बताने में असमर्थ हूं कि हमारे लिये आयात में कितनी वृद्धि करना संभव होगा ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात के जहाजरानी भाड़े की डालर में अदायगी किये जाने के लिये अमरीका सरकार ने कोई नई शर्त लगाई है, यदि हां, तो वहां की सरकार को यह बताने के लिये, कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण हमें पहले की भांति रुपये में भुगतान करने की अनुमति दी जायें, सरकार क्या पग उठायेंगी ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : पी० एल० 480 के अन्तर्गत यह कानून है कि भाड़ा डालर में दिया जाये । हम ने अमरीका की सरकार से प्रार्थना की है, परन्तु कानून में परिवर्तन करने के लिये उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

Shri Tulsidas Jadhav : Has the agreement under P.L. 480 been concluded and if not whether efforts are being made to expedite it?

श्री दा०रा० चव्हाण : बताया जा चुका है कि इस के संबंध में बातचीत की जा रही है ।

डा० सरोजिनी महिषी : 1963-64 में बढ़िया किस्म का कितना चावल निर्यात किया गया और उस के बदले में घटिया किस्म का कितना चावल आयात किया गया ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa: If the U.S.A. creates hinderance in the way of import of wheat by raising the question of Kashmir or Pakistan, what steps the Government contemplate to take?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं नहीं जानता कि वह किस बदले हुए रवैये का उल्लेख कर रहे हैं । हम अमरीका सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : Do the Government propose to pay the same price to our farmers for their wheat and rice, which is paid for the imported wheat and rice with a view to encourage them to produce more?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : हम बहुत सस्ते दामों पर आयात कर रहे हैं । देश में हम ऊंचे दाम दे रहे हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : बफर स्टाक बनाने के लिये हम गेहूं और चावल आयात कर रहे हैं । क्या बफर स्टाक बना लिया गया है, यदि हां, तो कितना ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : बहुत बड़ा बफर स्टाक बनाना हमारे लिये अभी तक संभव नहीं हो सका है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : केरल में चावल की भारी कमी और केरल के लोगों की ओर से चावल के राशन को एक औंस और बढ़ाये जाने की बराबर मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार और चावल लेगी और केरल को देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : आन्ध्र राज्य को उनकी सहायता करनी चाहियें ।

Shri Kashi Ram Gupta : Will the import programme of wheat be of such a magnitude that it would enable us to meet the requirement of rationing in all the cities with a population of more than ten lakhs?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम: यही निर्णय किया गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राशन व्यवस्था होनी चाहियें।

Shri Sarjoo Pandey : In view of the prevailing famine conditions in Eastern U.P. and the non-release of quota prescribed for that State, will the Government make arrangements to supply the imported wheat and rice to U.P. in the near future?

उर्वरकों के मूल्य तथा वितरण

+

*156. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मि० सू० मूर्ति :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 16 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को दिये जाने वाले उर्वरकों के मूल्य तथा वितरण के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अब अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति किन मुख्य निष्कर्षों पर पहुंची है ; और

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है और उन पर कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं । आशा है कि समिति 31 अगस्त, 1965 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा उर्वरकों का गलत वितरण किये जाने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह समिति राज्य सरकारों द्वारा लिये गये उर्वरकों के अन्य ऐजंटों के हाथों में पहुंच जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि इसको रोकने के लिये उपाय ढूंढे जाय ?

श्री शाहनवाज खां : सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

श्री मि० सू० मूर्ति : आन्ध्र प्रदेश में कम उर्वरक दिये जाते हैं । क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में अधिकाधिक उर्वरक कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : प्रतिवेदन से इस बात का समाधान नहीं हो सकेगा । हमें अग्रेतर कार्यवाही करनी होगी ।

Shri Vishram Prasad : Our Government claims that it is giving many facilities to the farmers for increasing production. Kindly see what kind of facilities are being given. Imported fertiliser costs Rs. 200 per ton, but the fertiliser prepared at Sindri costs Rs. 370 per ton and the farmer gets fertiliser at the rate of Rs. 436 per ton. Does the Government propose to reduce its price, and if so when and to what extent?

Shri Kapur Singh : Never.

Shri Shah Nawaj Khan : As the stock and production increase, it is hoped the prices will also come down.

Shri Vishram Prasad : This is no reply.

Shri K. N. Tiwary : The establishment of fertiliser factory will take some time and fertiliser is necessary for stepping up production. What arrangements for importing fertilisers are being made by the Govt. to meet the shortage when the supplies are expected to come?

Shri Shah Nawaj Khan : We are trying to find out the sources in the world from where we can get fertilisers. There is shortage of fertiliser in the world to-day. We are short of foreign exchange also.

Shri Brij Raj Singh : Mr. Speaker, Sir, this is no answer that sources of supply will be explored and that the prices will come down when the production increases.

Mr. Speaker : There is no reason for getting annoyed. Only after negotiations with foreign Governments we can see from where we can get the required material.

Shri Brij Raj Singh : This should have been replied in the way that such and such steps have been taken, saying that correspondence is going on, and after receiving the reply we will tell the results and that the Government will explore, has no meaning.

Mr. Speaker : He has told that they are finding out. When you come to this side and reply, then you may give proper answers.

श्री रामेश्वर टांटिया : उर्वरक का कुल उत्पादन कितना है, कितनी खपत है और हम कितना आयात करते हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस वर्ष देश में लगभग 3 लाख टन नाइट्रोजन पैदा किया जायेगा और हम 3.5 लाख टन नाइट्रोजन का आयात करेंगे और देश की मांग लगभग 12 से लेकर 14 लाख टन तक नाइट्रोजन की है ।

Shrimati Subadra Bai Rai : How many fertiliser factories are there in M.P. and if there are no factories, is the Govt. prepared to establish such factories there or not?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस समय कोई कारखाना वहां नहीं है । नया कारखाना स्थापित करने का प्रश्न पेट्रोलियम मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

भारत में भव्य होटल

\+

*157. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रा० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पें० वेंकटसुब्बय्या :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **परिवहन** मंत्री संयुक्त राज्य अमरीका के मेसर्स हिल्टन होटल्स इंटरनेशनल के साथ किये जाने वाले करार को अंतिम रूप देने के बारे में 2 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 472 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी समिति ने भारत में बहुत से भव्य होटलों की स्थापना के सम्बन्ध में अपनी उपपत्तियां प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस पर अंतिम रूप से क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : यह निश्चय किया गया है कि जिस भारतीय पार्टी ने हिल्टन्स से सहयोग के लिये आवेदन दिया है उसे हिल्टन्स से समझौते की बातचीत करने के लिये और अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार की स्वीकृति के लिये पेश करने को कहा जाये।

श्री स० चं० सामन्त : कितने वर्तमान होटलों को भव्य होटलों में बदलने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का संबंध हिल्टन होटल्स के साथ सहयोग से है न कि होटलों से। हमारे सामने सहयोग का जो प्रस्ताव है वह एक गैर-सरकारी फर्म मैसर्स शिवसागर एण्ड कम्पनी ने दिया है, जिसने बम्बई में भूतपूर्व ग्वालियर के महल की सम्पत्ति अर्जित की है।

श्री स० चं० सामन्त : यह प्रस्ताव किन किन देशों ने भेजा है।

श्री राज बहादुर : हिल्टन अमरीका का है।

Shri Rameshwar Tantia : In the 'Milton' has been printed in place of 'Hilton', I want to know whether it is Hilton or Milton. Will the Government negotiate with other big hotels such as Pan American and Sharton Hotel, which can provide better service than Hilton?

Shri Raj Bahadur : In this question reference has been made of the Hilton Hotel and not of the "Paradise Lost" of Milton.

Shri Rameshwar Tantia : This may be a mistake. My second question was whether Government will negotiate with other big hotels with a view to know if they can provide better service than Hiltons.

Shri Raj Bahadur : So far as the question of holding negotiations is concerned, we have received proposals from Inter continental Hotels and Hilton Hotels and the matter will be considered on merits.

श्री प्र०चं० बरुआ : क्या यह सच है कि हिल्टन्स इन्टरनेशनल ने होटल चलाने से मिलने वाले लाभ का 33.33% मुनाफा लेने और प्रति वर्ष 1.04 करोड़ रु० विदेश भेजने, प्रबन्ध का पूरा नियन्त्रण अपने हाथ में रखने और 12 लाख पर्यटकों के आने की गारन्टी लेने की शर्तें रखी है और यदि हां, तो क्या सरकार इन शर्तों को अपमानजनक समझती है ?

श्री राज बहादुर : इस में एक से अधिक प्रश्न हैं, और मैं सब का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एक भाग का उत्तर दीजिये।

श्री राज बहादुर : हिल्टन्स को लाभ मिलने के संबंध में स्थिति यह है कि 1.4 करोड़ रु० की जो राशि बताई गई है, वह बहुत ही अधिक है। 400 कमरों वाले एक स्टैंडर्ड होटल को चलाने से प्राप्त मुनाफा लगभग 564,000 डालर का होगा। इसका एक तिहाई लगभग 188,000 डालर होगा जिसमें से 50,000 डालर उनको अपनी उन्नति और विज्ञापन संबंधी कार्यों के लिये खर्च करना होगा, शेष पर कर लगाया जायेगा। कुल राशि लगभग 120,000 डालर होगी, जिसमें उन्नति का खर्च भी शामिल होगा। अभी यह तय नहीं किया गया है कि उनको एक तिहाई मिलेगा या एक चौथाई, जिस के बारे में संबंधित पक्षों के बीच बातचीत की जायेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि सरकार ने अपना एक होटल निगम स्थापित किया है, और जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र देश भर में होटलों को बड़ी अच्छी तरह से चला रहा है, फिर इस संबंध में विदेशी सहयोग का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री राज बहादुर : किसी विदेशी होटल के साथ सहयोग करने से हमारे होटलों के स्तर या होटल वालों के प्रबन्ध अथवा कुशलता पर कोई लांछन नहीं आता। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम संसार की होटल माला से लाभ उठाना चाहते हैं जो कि स्वयं अपने ग्राहक स्वयं बनाते हैं और अन्य लाभ भी देते है। इससे होटलों के ऊंचे स्तर को बनाये रखने और ऊंचा उठाने में सहायता भी मिलती है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि इस मामले की जांच करने के लिये सचिवों की जो समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने यह सिफारिश नहीं की है कि हिल्टन्स के साथ प्रबन्ध की सम्बन्ध कोई सहयोग किया जाना चाहिये जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। और इसके बावजूद सरकार ने मंत्रीमंडल स्तर पर, सिद्धान्त रूप में, उनको यह सहयोग देने का निर्णय किया है ?

श्री राज बहादुर : अन्तिम प्राधिकार मंत्रीमंडल को ही है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को बतादूं कि इस प्रश्न पर जांच करने के लिये सचिवों की जो समिति नियुक्त की गई थी उसने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रही हैं। इस समिति को सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था। इसने कुछ बुनियादी बातों की सिफारिश की है जिनके आधार पर बातचीत की जानी चाहिये।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले होटल चालकों के सहयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो किस आधार पर सरकार इस सहयोग के लिये तैयार हुई है ?

श्री राज बहादुर : एक बड़ा लाभ तो यह होगा कि यह स्वयं अपने ग्राहक बनायेंगे; इससे पर्यटन के लिये बिक्री कार्य, और पर्यटक वृद्धि के लिये संयुक्त विज्ञापनों का लाभ होगा और होटलों का जाल बिछाने के अतिरिक्त हम लगभग 1 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे।

Shri Raghunath Singh : Good number of foreign tourists come to visit Agra and Varanasi. There is one hotel in Varanasi which charges at the rate of Rs. 85 per day. I want to know whether any scheme has been formulated under which a good and a cheap hotel will be established there in public or private Sector.

Shri Raj Bahadur : All the hotels in the public sector have been brought under a Corporation. That Corporation is aware of the requirement of Varanasi and I am confident that it will try to remove the difficulty.

Shri K.D. Malaviya : I want to know whether the Government can still consider this matter seriously and reject the whole scheme and with the help of Indian talent attract foreign traffic to come to India, and run our own hotel independently.

Shri Raj Bahadur : If the tourists, specially foreign tourists can be provided with the facilities and standard available in big foreign hotels, in the country and we get separate traffic, it helps our industry in the shape of profits. So far as the question of encouraging local and indigenous talent is concerned, I may state that it does not reflect upon them in any way. Hiltons maintain 36 hotels in various countries and same way the Inter-Continental Hotels have got a chain of hotels, not only in Western Asia but in countries like Yugoslavia also. There also they have been encouraged. In our country also the Inter-Continental Hotel of America has sought collaboration from a hotel in private sector and a hotel has been constructed in Delhi.

Shri Brij Raj Singh : In these luxury hotels, besides other luxuries, cereals are also used extravagantly. What steps are being taken to check it and whether keeping that in view the Govt. would allow these big hotels?

Shri Raj Bahadur : Extravagance is bad and Home Ministry can take steps to check it.

Shri Brij Raj Singh : We can tolerate other type of extravagance but not in regard to foodgrains. Have you considered this point while giving permission to these hotels? We find that daily so much of food is wasted in these big hotels which is sufficient to feed one big village. What are you going to do with the country by opening such big hotels?

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच है कि इन भव्य होटलों के निर्माण के लिये भारत सरकार के दो मंत्रालय प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ? क्या सरकार ने निर्णय कर लिया है कि इन भव्य होटलों के निर्माण का काम और उनको चलाने का काम दोनों में से किस मंत्रालय को दिया जायेगा ? यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो क्यों ?

श्री राज बहादुर : यह सच है कि निर्माण और आवास मंत्रालय के पास अशोक होटल और जनपथ होटल का कार्यभार है और उनका विचार एक या दो होटल और स्थापित करने का है। परन्तु देश में होटलों की कमी को पूरा करने का काम भारतीय होटल निगम को दिया गया है जो कि परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। दोनों में निस्सन्देह समन्वय होगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : किन विशिष्ट कारणों से भारतीय होटल मालिकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और सरकार ने उनकी आपत्ति का क्या उत्तर दिया है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य की यह धारणा ठीक नहीं है कि होटल वालों ने सामान्य तौर पर इसका विरोध किया है। वास्तव में अबतक गैर-सरकारी होटल का मालिक विदेशी सहयोग से होटल स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त होटल उद्योग इस विषय में एकमत नहीं है। अधिकतर इसके पक्ष में हैं, अन्य लोग इसके विरोध में हो सकते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा प्रश्न यह था कि उन के द्वारा विरोध किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार उन की आपत्ति को कैसे दूर करेगी ?

श्री राज बहादुर : मैं अधिक तो नहीं कहना चाहता, परन्तु कुछ लोग जिन्होंने पहले ही विदेशी सहयोग प्राप्त कर लिया है, यह नही चाहते कि दूसरों को भी ऐसा सहयोग प्राप्त हो। इसमें व्यक्तिगत हितों की बात हो सकता है। मुझे ड्रिल्टंस या शेरेटंस को इस क्षेत्र में आने देने से इन्कार करने में कोई तर्क दिखाई नहीं देता।

Bridge on Ganga between Ghazipur and Balia

\+

*158. **Shri Prakas Vir Shastri :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Rameshwar Tantia: **Shri Sarjoo Pandey :**

Will the **Minister** of **Transport** be pleased to state :

(a) whether any final decision has been taken about the site of the bridge on the River Ganga between Ghazipur and Balia ; and

(b) if not, when the final decision is likely to be taken ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहिउद्दीन) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : जी नहीं, गाजीपुर और बलिया के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल के बनाने के लिये जो कई प्रतिवेदन मिले उनमें पुलकी जगह के बारे में प्रतिद्वन्दी दावे किये गये हैं कि यह पुल या तो गाजीपुर में या बक्सर में हो। दोनों ही मामलों में पुल राज्य की सड़क पर होगा और इस हालत में उसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी। फिर भी, प्रेस्तावित पुल के लिये निवेश की उपयुक्तता के विचार में सरलता के लिये, परिवहन मंत्रालय के परिवहन अनुसन्धान निदेशालय से लागत-लाभ अध्ययन करने के लिय कहा गया था। जांच पड़ताल करीब करीब पूरी हो चुकी है और जरूरी सूचना इकट्ठी कर ली गई है। रिपोर्ट को पूरा करने के लिये परिवहन मंत्रालय के अधिकारीगण जल्दी ही उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्ष करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस अध्ययन की रिपोर्ट मिल जाने के बाद इस मामले पर आगे विचार किया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : The question of construction of this bridge between Gazipur and Baliya on the Ganga has been under consideration since the last seven years. I want to know what are the obstacles in the way of finanlising this project.

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : There is a dispute over the location of this bridge. The point is whether this should be near Buxar or Gazipur. This work has been entrusted to the Directorate of Transport Research which will see as to where it would be more economical? It would be decided after the enquiry is completed.

Shri Prakash Vir Shastri : It has been stated in the statement that the survey has been completed and the information received by the Government. Has any estimate been made in regard to the cost of this bridge?

Shri Raj Bahadur : So far this enquiry is concerned, it has been completed. The report is being finalised. It will be considered when it is received.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Govt. expedite the execution of the project so that the benefits of the bridge could be derived?

Shri Raj Bahadur : The controversy is in respect of two sites. It is necessary to conduct enquiry with a view to know where it would be best suited?

Shri Sarjoo Pandey : The statement shows that many recommendations have been received in regard to this bridge. In the first Parliament the Railway Department undertook this job and now Transport Department is looking after it. I want to know as to when it would be finalised and whether U.P. Government has sent a memorandum demanding construction of the bridge near Ghazipur?

Shri Raj Bahadur : Yes the U.P. Government has written in connection with a bridge. They have stressed upon the need of more bridges on the Ganga. I want to state that as soon as we receive the report of enquiry, we would not delay it. Thereafter, as soon as funds are available the work will be completed.

श्री स० चं० सामन्त : पुल के निर्माण के व्यय का कितना अनुपात केन्द्रीय सरकार देगी तथा कितना राज्य सरकार ?

श्री राज बहादुर : वास्तव में यह पुल राज्य के राजपथ पर पड़ता है। परन्तु इस के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसा विचार किया गया है कि इस के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भी वित्तीय सहायता दी जाये।

Shri Simhasan Singh : I want to know for how many years has this work been under consideration and how many committees have been set up and how many reports submitted? How long will the Govt. take to decide that it should be constructed at Gazipur or Buxar? Has any time limit been fixed for the submission of the report?

Shri Raj Bahadur : The Planning Commission had appointed a Joint Study team in 1962 to find out whether of this bridge would be suitablte at Azamgarh, Gazipur, Jaunpur or Deoria. The matter is under consideration. It is not easy to decide the controversy about its location at Gazipur or Buxar.

Shri J. B. Singh : Has this controversy been caused by the pressure put on the Govt. by the contractors for their selfish ends? Will the Government soon decide the question of the site of this bridge?

Shri Raj Bahadur : Steps are being taken to expedite the matter. Decision would be taken after the report of experts is received. I have no information about the contractors.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या पटना के निकट गंगा पर पुल बनाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह पुल रेल और सड़क दोनों का होगा ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान, मैं इस का उत्तर देने को तैयार हूं, परन्तु यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली दुग्ध योजना

+

***159. श्री कर्णी सिंहजी :** **श्री बागड़ी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : **महाराजकुमार विजय आनन्द :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजनाके असन्तोषजनक ढंग से काम करने के बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) क्या इसके लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के काम करने के ढंग पर विचार करने के लिए डेरी विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 5 सितम्बर, 1964 को प्रस्तुत की । दल की अधिकतम सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) किसी मामले में उत्तरदायित्व ठहराने के लिए दल को नहीं कहा गया था किन्तु दल की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए प्रबन्ध तथा प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये ।

श्री कर्णी सिंहजी : दूध वसूल करने का कार्य बहुत त्रुटिपूर्ण तथा अनियमित है और इस से नगर में दूध की सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है । ऐसी स्थिति में सरकार ने सब को दूध उपलब्ध कराने के लिए और इस व्यवस्था की त्रुटियों को दूर करने के लिये जो व्यापक योजना बनाई है, उसका स्वरूप क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : हम दिल्ली में दूध संग्रह क्षेत्र में दूध की मात्रा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में समस्या का यही हल है। हम व्यापक पशु विकास खण्ड बना रहे हैं और उस क्षेत्रमें दुधारू पशुओं की संख्या को बढ़ाने के लिये हर सम्भव सहायता दी जायेगी।

श्री कर्णी सिंहजी : दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये गये दूध में राजस्थान से आये हुए दूध का अनुपात कितना होता है? क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि राजस्थान से दूध आने के कारण वहाँ पर दूध की कमी गई है और वहां दूध महंगा हो गया है? चूंकि राजस्थान के नगर छोटे हैं और वहाँ के लोगों की क्रय-शक्ति कम है, इसलिये सरकार वहां पर दूध के मूल्य घटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शाहनवाज खां : राजस्थान में दूध उत्पादकों को दूध के बहुत कम दाम मिलते हैं। हम राजस्थान से मुख्यरूप से गाय का दूध लेते हैं। इस कारण वहां पर गाय पालन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

श्री कर्णी सिंहजी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि दिल्ली में दूध की सप्लाई बढ़ानी है। माननीय मंत्री को मानना होगा कि यदि दिल्ली को दूध देना है तो राजस्थान को कुर्बानी देनी होगी। कीमतें तो राजस्थान में अवश्य बढ़ेंगी।

श्री कर्णी सिंहजी : हम अन्य लोगों के समान कष्ट उठाने को तैयार हैं परन्तु दुःख की बात तो है कि राजस्थान के लोगों की क्रय-शक्ति बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय : हमें या तो वहां डेरी बन्द करनी पड़ेगी या बाहर से दूध मंगवाना होगा। इस का क्या इलाज है?

Shri R. S. Pandey : May I know the percentage of powdered milk, cows' milk and buffallos' milk in the milk being supplied in Delhi under the Delhi Milk Supply Scheme?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करेंगे इन को अलग अलग करके? मुझे श्री गोपालन के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मिली है। एक अल्प सूचना प्रश्न भी इस सम्बन्ध में है। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से कहूंगा कि वह आज इन में से किसी एक का उत्तर दें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर कल दूंगा।

श्री वारियर : कल क्यों आज क्यों नहीं।

श्री नन्दा : जो जानकारी आज है वह हम दे सकते हैं। कल पूरी जानकारी दी जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : फिर हम इसे कल लेंगे.......... **(आन्तर्बाधायें)**

श्री दीनन भट्टाचार्य : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं किसी सदस्य को नहीं बुलाता, किसी को भी बोलना आरंभ नहीं करना चाहिये। इस नियम का पालन होना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कल हमने ध्यानाकर्षण सूचना दी थी परन्तु आप ने अस्वीकार कर दी। यह केरल में बंदियों के अनशन के बारे में थी। परन्तु कल दूसरे सदन में माननीय गृह-कार्य मंत्री ने इस विषय पर वक्तव्य दिया है। इस सदन के साथ यह भेदभाव क्यों किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : दोनों सदन स्वतन्त्र हैं और पीठासीन अधिकारियों की राय में अन्तर हो सकता है। मैं अब माननीय मंत्री से कह रहा हूं कि वह ध्यानाकर्षण सूचना या अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर दें।

श्री नन्दा : अभी इस समय जो जानकारी मेरे पास है वह मेरे सहयोगी दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही किया जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : समाचार पत्रों से पता चलता है कि श्री गोपालन की हालत बहुत खराब हो गई है। हमें इस से बहुत चिन्ता है। हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि उनकी हालत ऐसी है जिसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं।

अल्प सुचना प्रश्न

केरल की जेलों में श्री अ० कु० गोपालन तथा अन्य बन्दियों द्वारा अनशन

+

अ० स० प्र० स० श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राजेन सेन :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की जेलों में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन बन्दी बनाये गये श्री अ० कु० गोपालन, संसद सदस्य तथा 51 अन्य लोगों ने अनिश्चित काल के लिये अनशन आरंभ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगें क्या हैं ;

(ग) उन मांगों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : केरल के वामपंथी साम्यवादी दल के बंदियों ने, टुकड़ियों में, एक सप्ताह तक अनशन करने का निर्णय किया है ताकि वे अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करा सकें। ये मांगें हैं—उन पर न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जाय अथवा उन्हें तत्काल रिहा किया जाये, पैरोल और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में उदारता बरती जाये, उन के परिवार भत्ते में वृद्धि की जाये और उन से प्रथमश्रेणी के बंदियों का व्यवहार किया जाये। श्री गोपालन उन 53 बंदियों में शामिल हैं, जो 21 अगस्त से अनशन कर रहे हैं। बंदियों की पैरोल, परिवार भत्ता देने, डाक्टरी चिकित्सा आदि विशिष्ट मांगों पर सरकार द्वारा शीघ्रतापूर्वक विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाता है। जो बन्दी अपने परिवार के एक मात्र जीविका उपार्जक होते हैं उन के परिवारों को परिवार भत्ता गुणदोष के आकार पर दिया जाता है। उनकी अन्य मांगों के विषय में हमने केरल सरकार को हिदायत की है कि प्रत्येक मामले का गुणदोष के आधारपर ध्यान दिया जाय और राज्यपाल ने हमें सूचना दी है कि वह इन मामलों पर उदारतापूर्वक कार्रवाई करेंगे।

जहां तक उन की गिरफ्तारी और रिहाई का प्रश्न है उन को विशेष कारणों से बन्दी बनाया गया है और उन के अनशन के कारण उन को रिहा नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपालन की हालत कैसी है ? सभी इस बारे में चिंतित हैं।

श्री हाथी : उन के स्वास्थ्य की आज प्रातः जांच करायी गई है। उनका ब्लड प्रैशर (रक्त चाप) 180 है और चिन्ता की कोई बात नहीं है। उन की चिकित्सा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार और जानकारी प्राप्त कर सकती है तो कल प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : समाचार पत्रों से पता चलता है कि वह अनिश्चित काल के लिये अनशन कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री हाथी : उनका अनशन अनिश्चित काल के लिये नहीं हैं। यह तो टुकड़ियों में एक सप्ताह के लिये है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अधिक सूचना प्राप्त कर लेने दिया जाये। कल इस पर प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त स्कन्ध खेती समवाय

*160. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री ह० च० सोय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार संयुक्त स्कन्ध समवायों को देश में कृषि कार्य करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) तथा (ख) : जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

वन क्षेत्रों में आदिम जातियों का उत्थान

*161. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन क्षेत्रों में आदिम जातियों के उत्थान के लिये प्रस्ताव तैयार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) सरकार का विचार उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करने का है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

रेगिस्तान विकास बोर्ड

***162. श्री वारियर :**
श्री दाजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेडा :
श्री दे० जी० नायक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **खाद्य** तथा **कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेगिस्तान विकास बोर्ड स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा **कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रग्हण्यम) :** (क) तथा (ख) : जी हां। योजना आयोग ने पहले ही रेगिस्तान विकास बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। वित्त मंत्रालय की सलाह से इस प्रस्ताव के ब्यौरे पर अभी विचार किया जा रहा है। बोर्ड सम्भवत: 1965 के अन्त तक स्थापित हो जाएगा।

सिंचाई परियोजनाओंका कृषि संबंधी पहलू

***163. श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री पें० वेंकटासुबय्या :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के कृषि संबंधी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये एक विशेष एकक स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस एकक के अध्ययन का क्षेत्र तथा उद्देश्य क्या होंगे ?

खाद्य तथा **कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) :** (क) जी हां।

(ख) संक्षेप में, उपलब्ध जल साधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये एकक सिंचाई परियोजनाओं के कृषि सम्बन्धी पहलुओं का अध्ययन करने में पूरा ध्यान देगा। यह सिंचाई परियोजनाओं के अधिष्ठातृत्व क्षेत्रों में क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को शुरू करने में भी राज्यों की सहायता करेगा। फिर भी इस एकक के विस्तृत क्षेत्र और उद्देश्य सरकार के विचाराधीन हैं।

संग्रह-व्यवस्था के कारण अनाज खराब हो जाना

***164. श्री सेझियान :**
श्री कनकसवे :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि भारत में अच्छी संग्रह व्यवस्था न होने के कारण कितने प्रतिशत खाद्य खराब हो जाता है, और (ख) यदि हां, तो इसे इस प्रकार खराब होने से बचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) यद्यपि कोई व्यवस्थित या व्यापक आंकन नहीं किया गया है, फिर भी यह माना जाता है कि आम तौर पर संचयन में हानि की मात्रा 3 से 10 प्रतिशत के बीच में होती है। तथापि, सरकार के अपने गोदामों में यह हानि नाम मात्र अर्थात लगभग 0.2 प्रतिशत है।

(ख) सम्भव हानि को कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) आधुनिक ढांचे जैसा कि साइलो और परम्परागत गोदाम जोकि चूहों और नमी से सुरक्षित हैं, सुलभ कर संचयन स्थिति में सुधार करना।

(2) अनाज को कीट पर्याक्रमण से बचाने के लिये वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना।

(3) किसानों और व्यापारियों को खाद्यान्नों का ठीक तरह से संचय करने और सम्भालने के बारे में शिक्षा देनी।

सहकारी क्षेत्र में हाल में ही स्थापित छः आधुनिक चावल मिलों में चावल के उत्पादन पर आधुनिक स्टोरेज के प्रभाव का अनुमान लगाया जा रहा है और जहां तक चावल का सम्बन्ध है देश में चावल मिलों के आधुनिकीकरण करने की योजना के साथ स्टोरेज का आधुनिकीकरण सम्बद्ध रहेगा।

प्रदीप पत्तन

*165. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "प्रदीप स्कैंडल अनवेल्ड" नामक एक पुस्तिका प्राप्त हुई है जिसमें इस पत्तन के निर्माण पर हुये व्यय के बारे में जांच करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या पुस्तिका में लगाये गये आरोपों के बारे में कोई विभागीय अथवा अन्य जांच की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): 1 जुन, 1965 से पूर्व परियोजना के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकार का था। राज्य सरकार ने आरोपों का जो उत्तर अपने प्रस नोट दिनांक 7 अगस्त, 1964 में दिया है उसको नोट कर दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार के विचारों को देखते हुये इस अवसर पर भारत सरकार प्रदीप पत्तन परियोजना के व्यय के मामले में सामान्य जांच करना उचित नहीं समझती है। ऐसा मालूम हुआ है कि उन सब मामलों में जिनमें परियोजना के कर्मचारियों की ओर से अनुचित कार्य का सन्देह हुआ है उसमें राज्य सरकार द्वारा संबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर ली गई है। भारत सरकार भी इस बात का सुनिश्चियन कर लेगी कि कोई अनुचित कार्यवाही न होने पाये। भारत सरकार उन व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में नहीं हिचकेगी जिनके खिलाफ़ अवचार का सबूत होगा। परियोजना द्वारा की गई अत्यन्त संतोषजनक प्रगति का सब ओर से स्वागत किया गया है और किसी व्यक्ति के खिलाफ अस्पष्ट और व्यापक प्रकार के अभियोग लगाना ठीक नहीं होगा।

Sugar Quotas of States

*166. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri M. L. Jadhav :
Shri Jedhe :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to increase the quota of sugar for the States;

(b) if so, the basis and the quantity thereof; and

(c) whether Government also propose to reduce the sale price of sugar?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Monthly sugar quotas for various States have already been increased this year.

(b) The quotas have been increased after taking into consideration the increase in production and the need for maintaining a buffer stock. The increase given totals to about 16,000 tonnes per month.

(c) No, Sir.

नई चावल मिलें

*167. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में नई किस्म के चावल मिल स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) वे कब तक चालू हो जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) 6 आधुनिक चावल मिलें पाइलट अध्ययन तथा मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए स्थापित की जा रही हैं। इनमें से एक मिल सरकारी क्षेत्र में बिक्रमगंज जिला शाहाबाद, बिहार में स्थापित की जा रही है और शेष मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जानी हैं। सारी 6 मिलों के आयातित उपकरणों को अपने अपने स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। त्रिवारूर (मद्रास) और मांडेया (मैसूर) की मिलें स्थापित की जा चुकी हैं और इन्हें परीक्षण के तौर पर चलाने का काम प्रगति पर है। इन मिलों में सेला चावल बनाने का एकक, सुखाने तथा साइलो जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का काम प्रगति पर है। बुर्दवान (पश्चिमी बंगाल) में भी मिल स्थापित की जा चुकी है और इसे शीघ्र ही परीक्षण के तौर पर चलाया जाना है। शेष तीन मिलों जोकि रायपुर (मध्य-प्रदेश) तड़ेपल्लीगुडम (आन्ध्र प्रदेश) और बिक्रमगंज (बिहार) में हैं, की मिल इमारत बनाने का काम प्रगति पर है। रायपुर की मिल की मिल इमारत लगभग तैयार हो चुकी है और मशीनरी लगाने का काम शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है।

(ख) आशा है कि सारी मिलें दिसम्बर, 1965 तक चालू हो जाएंगी। साइलो को छोड़कर इन मिलों में अन्य सारी आधुनिक सुविधाएं उस समय तक प्रदान कर दी जाएंगी।

बम्बई पत्तन पर अनाज के जहाजों से अनाज उतारना

*169. **श्री बसवन्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन पर अनाज के जहाज़ों से मशीनों द्वारा अनाज उतारने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने कर्मचारी बेकार हो जायेंगे ; और

(ग) क्या उन को रोजगार देने की कोई योजना विचाराधीन है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) पिछले कुछ वर्षों से बम्बई की बन्दरगाह पर आयातित गेहूं अधिकांशतः अनाज टैंकरों में प्राप्त हुई है। क्योंकि ऐसे पोतों से मजदूरों द्वारा अनाज नहीं उतारा जा सकता है, इसलिए बहुत वर्षों से अनाज उतारने के लिए वायवीय उतारने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यन्त्रीकरण करने की कोई अन्य योजना पूरी नहीं हुई है। चावल अभी भी बोरियों में ड्राई कारगो पोतों में लाया जाता है और यह मजदूरों द्वारा उतारा जाता है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

3—19 Lok Sabha/65

Rural Indebtedness

***170. Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) when the survey in respect of widespread indebtedness in rural areas was conducted last;

(b) the extent to which the indebtedness situation has either improved or deteriorated thereafter; and

(c) whether the question of conducting such a survey for the second time has been considered?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy) : (a) The Reserve Bank of India conducted an All-India Rural Debt and Investment Survey in 1961-62.

(b) Since no further survey has been conducted it is not possible to say whether the indebtedness situation has improved or deteriorated.

(c) No, Sir.

श्रमिकों द्वारा निराई पर लागत

*171. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों द्वारा निराई करवाने पर होने वाले व्यय तथा घासपातनाशी दवा द्वारा घासपात समाप्त करने पर होने वाले व्यय की तुलना की है ; और

(ख) यदि दूसरा तरीका सस्ता है, तो उसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और काश्तकारों को क्या क्या घासपातनाशी दवाइयां इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) घासपात को मानव द्वारा हटाने की बनिस्बत रासायनिक घासपातनाशी का प्रयोग लगभग आधा सस्ता बठता है । गेहूं, जौ, जई, मटर, अलसी, गन्ना, मक्का, धान और सोरगम में घासपात को हटाने के लिये तरह तरह के तृणमारक जैसे 2, 4-डी, एमसीपीए, एमसीपीवी, टीसीए, 3, 4-डीपीए (स्टम-एफ-34) और सिमेज़ीन के प्रयोग की सिफारिश की जाती है । इन तृणमारकों के लाभ विस्तार एजन्सी द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने घासपात को विभिन्न फसलों से हटाने के लिये 10,000 एकड़ भमि में, तरह तरह के तृणमारकों के प्रयोग के प्रदर्शन के लिये, एक मार्गदर्शी प्रायोजन आयोजित किया है ।

गैर-सरकारी विमान कम्पनियां

*172. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बासप्पा :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को भारत में अनुसूचित विमान सेवाएं आरम्भ करने की अनुमति दने का फसला किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के लिये कौन से मार्ग नियत किये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) : एयर कारपोरेशन अधिनियम की धारा 18 में 1962 में किया गया संशोधन केन्द्रीय सरकार को गैर-सरकारी आपरेटरों को ऐसी किसी भी अनुसूचित विमान परिवहन सेवा चलाने की आज्ञा देने का अधिकार देता है जिसकी व्यवस्था किसी भी कारपोरेशन या उनके सहयोगी द्वारा नहीं की गयी है। भारतीय विमान नियम, 1937 में 19 जुलाई, 1965 को किये गये संशोधनों में उस मशीनरी और उन शर्तों की व्यवस्था है जिनके अनुसार गैर-सरकारी आपरेटरों को अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं चलाने की अनुमति दी जा सकती है। गैर-सरकारी विमान कम्पनियों में से किसी के लिए भी अभी तक कोई मार्ग नियत नहीं किया गया है।

1964-65 की खरीफ की फसल में चावल का उत्पादन

*173. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री 2 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत खरीफ फसल में चावल तथा अन्य प्रकार के अनाजों के उत्पादन के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) पिछले वर्ष के तत्संबंधी आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कम हैं अथवा अधिक ; और

(ग) अगली फसल में उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1964-65 तथा 1963-64 के दौरान चावल और खरीफ के मोटे धान्यों का उत्पादन सम्बन्धी विवरण नीचे दिया गया है :—

खरीफ के धान्यों का उत्पादन
(छोटे अनाज को छोड़कर)

(टोन्स हजारों में)

फसल	1964-65	1963-64	वृद्धि (+) या कमी (—)
चावल	38,732	36,889	(+) 1,843
ज्वार	9,811	9,135	(+) 676
बाजरा	4,465	3.734	(+) 731
मक्का	4,558	4,553	(+) 5
रागी	1,921	1,962	(—) 41
कुल .	59,487	56,273	(+) 3,214

(ख) रागी जिसमें मामूली सी गिरावट हुई है, को छोड़ कर इन सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ग) इस वर्ष मानसून अभी तक अनिश्चित है। खरीफ का बोना अभी चालू है। इस वर्ष फसल के सम्भावित साईज़ के बारे में अभी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आगामी कुछ सप्ताहों में मानसून के रुख पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है।

Financial conditions of Panchayati Raj Institutions

*174. **Shri Bagri :**
Shri Kolla Venkaiah :
Shri Laxmi Dass :
Shri M. N. Swamy :

Will the Minister of **Community Development** and **Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 646 on the 30th March, 1965 and state:

(a) whether Government have since considered the interim report of the Committee appointed to study the financial resources of the Panchayati Raj Institutions ; and

(b) if so, the decisions taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee, as endorsed by the Consultative Council on Panchayati Raj, in regard to the financial resources of Panchayati Raj institutions, have been considered by the Government. The important recommendations of the Committee have also been considered at the Annual Conference on Community Development and Panchayati Raj and by the Conference of State Ministers of Panchayati Raj held recently at Srinagar.

Earmarking of exclusive sources of revenue for each tier of Panchayati Raj Institutions; sharing of certain taxes with them by the State Governments; matching grants for optimum utilisation of their taxation powers by Panchayati Raj Institutions; equalisation funds for special assistance to the indigent; classification of Panchayati Raj Institutions in relation to their economic condition with a view to securing higher assistance where needed; earmarking of entire land revenue, or a substantial portion of it, for Panchayati Raj institutions; separate indication in the State budgets of deparmental development schemes transferred to Panchayati Raj institutions; and examination of the possibility of channelising capital assistance to Panchayati Raj bodies through existing institutions like the small scale Industries Corporation or a revolving fund with equal participation by the Centre, the State and the Panchayati Raj bodies are the accepted recommendations.

Hindi versions of Central Acts

*175. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 337 on the 9th March, 1965 and state :

(a) the progress made so far in bringing out authorised Hindi versions of the Central Acts; and

(b) the steps taken for simultaneous translation of the Central Acts into various regional languages so that a uniform legal terminology is used in all the State laws?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) Since the publication of the authorised Hindi versions of the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act and the Transfer of Property Act, on January 27, 1965, Hindi texts of the following Central Acts have been finalized by the Official Language (Legislative) Commission:

1. Code of Criminal Procedure
2. Indian Contract Act
3. Sale of Goods Act
4. Code of Civil Procedure
5. Indian Partnership Act

Acts mentioned at serial Nos. 1, 2 and 3 are under print. Press copies of the Acts mentioned at Serial Nos. 4 and 5 above are under preparation for printing.

(b) The question of translation of Central Acts in various regional Languages is still under consideration of the Government in consultation with the State Governments and efforts are being made to persuade the State Governments to use, as far as possible, the standard legal terminology evolved by the Official Language (Legislative) Commission.

Representation for Delhi in Lok Sabha

***176. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present population of Delhi is more than 30 lakhs;

(b) whether it is also a fact that at the time of allocation of five seats for Lok Sabha from Delhi, its population was 17 lakhs;

(c) whether it is also a fact that in view of the increase in population and in the absence of a Vidhan Sabha in Delhi, all the political parties have demanded increased representation for Delhi in the Lok Sabha on this ground; and

(d) if so, the decision taken by Government on this demand?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) & (b). Yes, Sir.

(c) & (d). Some political parties had suggested that the number of seats in the Lok Sabha allotted to Delhi might be raised. The proposal is under the consideration of the Government.

भारतीय जहाजों में गेहूं का आयात

***177. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया:
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पी० एल० 480 तथा विभिन्न देशों से अन्य समझौतों के अन्तर्गत आयात किये जाने वाले अनाज की अधिकतम मात्रा भारतीय जहाजों द्वारा आयात करने की संभावना पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा में कुछ बचत होने की आशा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : वापसी माल की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां, संभाव्य पुरोगामी हानियां इत्यादि सहित समस्त मामला सरकार के विचाराधीन है और संबद्ध मंत्रालयों के साथ सलाह के बाद निर्णय लिये जाने की आशा है।

Report of V. Shanker Committee

***178. Shri Bagri :**
Shri A. N. Vidyalankar :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 112 on the 23rd February, 1965 and state :

(a) whether the recommendations made by Shri V. Shanker to bring about effective coordination in the activities of the Departments of Food and Agriculture and Community Development and Cooperation have since been examined by Government; and

(b) if so, the nature of the decision taken thereon?

Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) Yes Sir;

(b) The following decisions have been taken :—

(i) A special committee on cooperation has been set up in order to deal with concrete problems of purposive co-operative development in a co-ordinated manner. This committee is presided over by the Minister of Food and Agriculture and includes the Minister of Community Development and Co-operation, the Minister of State in the Ministry of Finance, Member Planning Commission and the Deputy Governor of the Reserve Bank as members along with others.

(ii) The Agricultural Production Board has been recognised to function as a decision-making body.

(iii) A whole-time officer of the rank of Special secretary has been appointed as Secretary of the Agricultural Production Board and of the special committee on co-operation. He pursues the decisions of the Board and of the Committee or Cooperation, for follow-up action.

अनाज का आयात

*179. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रामेश्वर टांटियां :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में विभिन्न देशों से अनाज से लदे कितने जहाज भारत आये ;

(ख) प्रत्येक देश से कौन कौन अनाज कितनी कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(ग) 1965-66 में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के अनाज कुल कितनी मात्रा में आने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) 199।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

(निर्यात की गई मात्रा हज़ार मीट्रिक टनों में)

देश	गेहूं	चावल	बाजरा	कुल
संयुक्त राज्य अमरीका .	2055.2	188.4	35.9	2279.5
कनाडा . . .	97.5	..	..	97.5
आस्ट्रेलिया . .	184.0	..	..	184.0
बर्मा . . .	..	86.1	..	86.1
थाईलैंड . . .	..	51.6	..	51.6
कम्बोडिया . .	..	12.1	..	12.1
संयुक्त अरब गणराज्य .	..	8.6	..	8.6
कुल जोड़ .	2336.7	346.8	35.9	2719.4

(ग) चूंकि सम्बन्धित देशों से आयात करने के समझौतों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिये इस अवस्था में प्रत्येक देश से आयात किये जाने वाले अनाज की मात्रा का अनुमान देना सम्भव नहीं है ।

पश्चिमी तट पर सड़क के पुल

489. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टे काट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट सड़क पर कल्लाई तथा कोडूअल्ली (तेलीचेरी) पर पुलों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन पुलों का निर्माण करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) ये कार्य कब पूरे किये जायेंगे ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महीउद्दीन) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4595/65।**]

केन्द्रीय मीनक्षेत्र विकास संस्था, एर्नाकुलम

490. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम् (केरल) की केन्द्रीय मीनक्षेत्र विकास संस्था ने भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर एक दुर्लभ जल पशु का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस खोज का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमाणिकता क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय समुद्री मीनक्षेत्र अनुसन्धान संस्था के डा० ई० जी० सिलास ने भारत के दक्षिण-पश्चिम तट से पहली बार 'पोगोनोफोरा' के नमूने इकट्ठे किये हैं जिसका कि पशु समाज में एक पथक स्थान है। यह काम भारत-नार्वे परियोजना के आर० वी० वरुना द्वारा समुद्री यात्रा में ही मछलियों के संबंध में नियमित समुद्रविज्ञान संबंधी जांच के दौरान किया गया था। यह दिलचस्प खोज भारतीय मीनक्षेत्र के वज्ञानिक द्वारा महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्र में 200 से 340 मीटर की गहराई पर की गई थी। आर० वी० विटियाल के हिन्द महासागर के परिभ्रमण के दौरान सभी वैज्ञानिक प्रो० ए० वी० आईवानोव ने 'डिप्लोब्राचिचा' की जाति की 'पोगोनोफोरा' मछलियों के पाये जाने के बारे में पता दिया था।

'पोगोनोफोरा' टोबिकुसस पशुओं की जाति के हैं और आम तौर पर नर्म कीचड़ में महाद्वीपीय मग्नतट की ढलानों और साथ के गहरे गड्ढों में रहती हैं। अधिकांश किस्मों के जीव 9030 मीटर तक की गहराई पर रहत हैं। भारतीय तट के पास से इकट्ठी की गई नलियां 54 सेंटीमीटर तक लम्बी और पारदर्शी होती हैं और उन पर छल्लों के से निशान होते हैं। एक नली में इकाइनोड्रम कोर्डेट स्टम (डिचुटो)' रखा हुआ केवल एक ही जानवर पाया जाता है। ऐलीमेंटरी कैनाल के न होने और फिल्ट्रेशन के तरीके से पेंदे में 'ससपेंड़िड आर्गेनिक मैटर' को 'एसिमिलेट' करने की इसकी क्षमता के कारण यह जल जीव विशेष दिलचस्पी वाला जीव है।

पोगोनोफोरा के भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलने का यह कारण है कि वे द्रुतगति से तैर नहीं सकती हैं। भारत के पश्चिम तट पर कुछ ऋतुओं में अपवेलिग क्षेत्र देखने में आते हैं, और यह संभव है कि इन क्षेत्रों की गहराइयों में 'पोगोनोफोर' मिलते हों। लेनिनग्राड विश्वविद्यालय, रुस के प्रो० आदवानोव को पोगोनोफोरा पर उनके काम के लिये 1961 में लेनिन पुरस्कार दिया गया था।

क्विलोन जिले में नये पुल

491. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ पर क्विलोन जिले में कन्नेत्ती पुल का निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या नीमाकारा और खोरा में नये पुलों का निर्माण करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

परिवहन मंत्रालत में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) पुल का नाम कन्नेटिल पुल है। आशा है कि मार्च, 1966 के अन्त तक यह पुल बन कर तैयार हो जायेगा।

(ख) और (ग) : नीन्दाकारा पुल से संबंधित योजनाएं और अनुमान स्वीकार किये जा चुके हैं, और काम का ठेका भी दे दिया गया है। इस का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। उपलब्ध सामग्री यह नहीं बताती कि क्विलोन जिले में राष्ट्रीय राजपथ 47 पर खोरा नाम की कोई जगह है। खोरा नाम की जगह पर किसी नये पुल के निर्माण के लिय राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

क्विलोन जिले में कुन्नातूर पुल

492. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक तिहाई कार्य पूरा करने के पश्चात् कुन्नातूर पुल का निर्माण कार्य चार वर्ष तक बन्द रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग): कुन्नातूर में प्रस्तावित पुल राज्य की योजना है। इसलिये केरल की सरकार इस परियोजना से मुख्यत: संबंधित है। उन्होंने सूचना दी है कि कुन्नातूर में पुल बनाने का कार्य 1957 में एक ठेकेदार को दिया गया था। काम समाप्त होन से पूर्व ही वह ठकेदार 16 अगस्त, 1961 को मर गया। लगभग 2,17,000 रु० का कार्य उसन पूरा किया था। मृत ठेकेदार के हिसाब बन्द करने के पश्चात बचे हुए कार्य का प्रबन्ध पुन: करना पड़ा। 17 अप्रैल, 1963 को कार्य दूसरे अभिकरण को दिया गया। पुल का निर्माण अब प्रगति पर है और आशा है कि 1965 के अन्त तक काम पूरा हो जायेगा।

केरल राज्य में चेत्तुवाये पुल

493. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के त्रिचुर जिले में तटीय राजपथ पर चेत्तवा पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा;

(ग) क्या यह कार्य चौथी योजना में शामिल किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ) : चेत्तुवाये (न कि चत्तुवा) पुल का निर्माण, केरोक से एर्नाकुलम तक पश्चिम तट सड़क के विस्तार संबंधी योजना का अंग है। एर्नाकुलम से चौघाट तक सड़क बनाने के कार्य को, जिसमें पुल पड़ता है, राज्य सरकार की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इस योजना को चतुर्थ योजना में अन्ततोगत्वा शामिल किया जायेगा अथवा नहीं और यह बताना भी संभव नहीं है कि कार्य कब आरम्भ होगा। चतुर्थ योजना में सड़कों के लिये राशि आवंटित किये जाने के पश्चात ही कोई निर्णय किया जा सकता है।

केरल में कन्नारा-थप्पमकादव सड़क

494. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल के त्रिचुर जिले में कन्नारा-थप्पमकादव सड़क का निर्माण कार्य बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य को शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ) : कन्नारा-थोप्पामकादव सड़क केरल राज्य के त्रिचुर जिले में एक देहाती सड़क है और इसके सुधार की जिम्मेदारी मुख्यत: केरल सरकार की है । उन्होंने सूचना दी है कि कार्य को राज्य सरकार के 1965-66 के बजट में शामिल नहीं किया गया है । इसलिये इस सड़क के सुधार के अनुमानित व्यय की मंजूरी देना उनके लिये संभव नहीं हो सका है ।

करूवांकड-पुल्लमकंडम सड़क, केरल

495. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के तिरुच्चूर जिले में करूवांकड-पुल्लमकंडम सड़क का निर्माण कार्य बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस काम को आरम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ) : करूवांकड-पुल्लमकंडम सड़क राज्य की सड़क परियोजना है । इसलिये केरल सरकार ही इस मामले से मुख्यत: संबंधित है । जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायगी ।

मद्रास और कोलम्बो के बीच विमान सेवा

496. **श्री अ० व० राघवन** : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और कोलम्बो के बीच तिरूच्चिनापल्ली के रास्ते वाइकाउंट विमान सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो स सम्बन्ध में क्या निर्णय कर लिया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसन्धान परियोजनायें

497. **श्री राम हरख यादव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के विभिन्न बोर्डों ने हाल में हुई अपनी बैठकों में कई अनुसन्धान परियोजनाओं के बारे में छानबीन करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, जो अनुसन्धान परि-योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनके विस्तार की सिफारिश करने के अतिरिक्त ।

(ख) परियोजनाओं की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4596/65 ।**]

दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल का निर्माण

498. **श्री राम हरख यादव :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत राजधानी में एक बड़ा अस्पताल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अनुमानतः क्या व्यय होगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत दो अस्पताल बनवाने का विचार है—एक सामान्य अस्पताल और दूसरा टी० बी० अस्पताल।

(ख) सामान्य अस्पताल में 620 बिस्तर होंगे और टी० बी० अस्पताल में 304। ये अस्पताल और कमचारियों के क्वार्टर बसेंदसपुर गांव, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में 151 बीघा, 15 बिसवा भूमि पर बनाये जायेंगे।

(ग) भमि की लागत समेत 2.39 करोड़ रुपये।

मोटरगाड़ी का शोर मापने का तरीका

499. **श्री राम हरख यादव :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यातायात अधिकारियों की सहायता के लिये मोटरगाड़ी का शोर मापने का एक नया तरीका निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नये तरीके को आज़माया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : मोटर गाड़ी का शोर मापने का कोई नया तरीका नहीं निकाला गया। तथापि भारतीय मानक संस्थान ने मोटरगाड़ियों का शोर मापने के संबंध में हाल ही में एक मानक प्रकाशित किया है।

राज्यों के उच्च न्यायालयों में सरकारी स्थायी कौंसल (वकील)

500. **श्री राम हरख यादव**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रा० बरुआ :
श्री बसुमतारी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों के उच्च न्यायालयों में अपने स्थायी कौंसल नियुक्त करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने दक्षिण भारत के राज्यों की अधिक अच्छे ढंग से सेवा करने के लिये विधि मंत्रालय की एक शाखा मद्रास में खोलने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें कितना खर्च होने का अनुमान है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने अपने स्थायी कौंसल उन राज्य उच्च न्यायालयों में नियुक्त करने का निश्चय किया है जहां कि काम को देखते हुए ऐसा करना न्यायोचित है।

(ख) और (ग) : विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) का एक शाखा सचिवालय मद्रास में स्थापित करने की प्रस्थापना विचाराधीन है।

बहादुरगढ़ से केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली के लिये बस सर्विस

501. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बहादुरगढ़ से केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली तक एक सीधी बस सर्विस चलाने के बारे में 11 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : राज्य परिवहन प्राधिकार को दिल्ली परिवहन से उन गैर सरकारी चालकों के विरुद्ध आपत्ति प्राप्त हुई है, जिन्होंने बहादुरगढ़ से केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली तक सीधी बस चलाने के लिये आवेदन दिया था। राज्य परिवहन प्राधिकार ने दिल्ली परिवहन की इस आपत्ति पर, कि प्रस्तावित रुट से एक नया रुट खुल जायेगा विचार करने के पश्चात् इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि इसी रुट पर दिल्ली परिवहन की बसे चल रही है। अतः गैर-सरकारी चालकों के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया। इसके उपरान्त पंजाब और दिल्ली अधिकारियों के बीच अन्तर्राज्यिक बैठक में इस विषय पर विचार किया गया। पंजाब के अधिकारियों ने दिल्ली परिवहन को दिल्ली की सीमा और बहादुरगढ़ के बीच दो मील के अन्तर पर बस चलाने की इजाजत नहीं दी। बस रूट माइलेज के बारे में दिल्ली पंजाब के हाल ही के फसले के सम्बन्ध में, अम्बाला के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के सचिव ने दिल्ली परिवहन को दो मील पर बसें चलाने की इजाजत दे दी हैं, बशर्ते कि दिल्ली, पुराने समझौतों को पूरा करते हुए इसे दिल्ली तक के माइलेज में समायोजित कर दें। दिल्ली परिवहन के प्रतिनिधियों ने इस रूट पर बसें चलाना मान लिया है और जैसे ही पंजाब के अधिकारियों से आवश्यक सहमति प्राप्त हो जायगी, दिल्ली परिवहन को इस रुट पर बस चलाने के लिये आवश्यक परमिट दे दिया जायेगा।

कलकत्ता-डिबरूगढ़ नदी-मार्ग

502. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से डिबरूगढ़ तक के नदी-मार्ग की सफाई सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने वाले कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) प्रस्तावित योजना पर कितना व्यय होगा; और

(घ) क्या सरकार ने प्रस्तावित योजना को मंजूर कर लिया है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस दल की सिफारिशें में इस मार्ग को सुरक्षित रखने के लिये किये जाने वाले उपाय शामिल हैं। उन उपायों में आसाम में नदी सुरक्षा के लिये अतिरिक्त उपकरणों की खरीद और सुन्दरबन मार्ग की सुरक्षा के लिये पूंजी गत उपकरणों का अर्जन शामिल है। इस दल के कहने के अनुसार सुन्दरबन क्षेत्र के लिये पूंजीगत उपकरणों पर अनमानतः 80.50 लाख रु० लागत आयेगी और आसाम क्षेत्र के लिये 110 लाख रु० व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त सुन्दरबन और आसाम क्षेत्र पर क्रमशः 20.08 लाख रु० और 44.66 लाख रु० का वार्षिक आवर्तक व्यय होगा।

(घ) इस दल की सिफारिशें सरकार के विचारधीन हैं।

किसानों को ऋण

503. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को ऋन देने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी ;

(ख) 1964–65 के अन्त तक वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) धनराशि का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं तथा नियत राशि का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को पता चला है कि किसानों को ऋण देने के नियम कड़े तथा प्रक्रिया जटिल हैं, जिससे किसान ऋण लेने में निरुत्साहित होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग): किसानों को ऋण देने के लिये केन्द्रीय बजट में कोई पृथक व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये योजना आयोग ने तीसरी योजना में धन की व्यवस्था की है, और इस धन से राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं; इन में से कई योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को ऋण और अनुदान दिया जाता है। राज्य योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों के लिये केन्द्र राज्यों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देता है।

(घ) और (ङ) : राज्य सरकारें किसानों को ऋण अपने द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार देती हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसानों को ऐसे ऋण देने में कोई देरी न की जाये। राज्य सरकारों को इस बात पर विचार करने की भी सलाह दी गई है कि किसानों से प्राप्त तकावी ऋण के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिये कोई तिथि निश्चित कर दी जाये ताकि किसानों को समय पर ऋण मिल सके।

Development of New Seed of Rice

504. **Shri J. P. Jyotishi :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Phillipines a new variety of seeds has been evolved by which a yield of six thousand pounds of rice and sixty-five maunds of wheat per acre will be possible; and

(b) whether such seeds have been used in India and if so, where and the results achieved so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The reply is in the affirmative so far as rice variety is concerned. Regarding the improved varieties of wheat, they have been evolved in Mexico and not in Phillipines.

(b) One rice variety, namely, Talchung Native I, has been tried out at Rajendranagar and Maruteru in Andhra Pradesh and at Cuttack and Sakhi Gopal in Orissa. Yields varying between 6000 lbs. to 8000 lbs. of paddy per acre were obtained at these places.

The Mexican wheats have been tried out at the Indian Agricultural Research Institutue, New Delhi, Samastipur (Bihar), Dohad (Gujarat), Ludhiana (Punjab) and Kanpur (Uttar Pradesh). Their yields varied between 6000 lbs. and 7000 lbs. per acre.

Area brought under Irrigation

505. Shri J. P. Jyotishi : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the area brought under irrigation in the different States during the Third Five Year Plan so far; and

(b) the extent of area out of it brought under irrigation in the different States in which (i) sugarcane (ii) groundnut (iii) rice (iv) wheat and (v) other food and cash crops have been cultivated?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). A statement showing the gross irrigated area and the irrigated area under the different crops, state-wise, for the years 1960-61, 1961-62 and 1962-63 is placed on the table of the House. [Placed in the Library. See No. LT. 4597/65]. Information for subsequent years is not available at present.

गोआ का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

506. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन** मंत्री 2 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस पर अनुमानतः क्या व्यय होगा; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) गोआ का एक पर्यटक केन्द्र के रुप में विकास करने की योजना की मुख्य बातें ये हैं :

(1) चुने हुए स्थानों पर पर्यटकों के लिये होस्टलों, मकानों तथा विश्राम गृहों का निर्माण।

(2) नाव चलाने, जहाज में बैठने तथा तैरने की सुविधाएं देना।

(3) डोना पौला और ओल्ड गोआ का समेकित विकास।

(4) क्यालनगूट का विकास।

(5) पर्यटक महत्व वाली सड़कें बनाना।

(6) पर्यटक महत्व वाले अन्य स्थानों का सुधार।

इन योजनाओं को पर्यटन विकास की तीसरी योजना के अन्तर्गत, कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) 39.20 लाख रुपये।

(ग) कुछ योजनाएं पूरी होने वाली हैं :

(1) सात मंजिला पर्यटक होस्टल।

(2) कालनगूट समुद्रतट पर रेस्तरां समेत 20 कमरे वाला बंगला ।

(3) प्रसिद्ध मन्दिरों तक जाने वाली छः सड़कों को पक्का तथा बेहतर बना दिया गया है ।

(4) दर्शनीय स्थलों को देखने के लिये दो बसें खरीदी गई हैं ।

(5) नौका विहार के लिये दो तेज़ चलने वाली नावें खरीदी गई हैं ।

(6) कालनगूट तट, कोल्वा तट और गास्पर डायस तट पर क्लोकरुम बनाये गये हैं जिनमें स्नान करने के लिये फव्वारे लगे हैं और सामान रखने के लिये लाकर की भी व्यवस्था की गई है ।

(7) डोना पौला और ओल्ड गोआ के बीच के क्षेत्र के विकास की योजनाओं के संबंध में प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ।

बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना

507. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बेकार भमि को कृषि योग्य बनाने के कार्यक्रम की पूर्ति के बारे में कोई विस्तृत जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति क्या है तथा निर्धारित किये गये लक्ष्यों की तुलना में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य निर्धारित करने तथा ट्रैक्टर व अन्य उपकरणों, प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताओं तथा इस प्रकार की अन्य आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4598/65 ।**]

(ग) और (घ): चौथी योजना अवधि में लगभग 30 लाख भूमि को कृषि योग्य बनाने का विचार है । ट्रक्टरों तथा अन्य उपकरणों, प्रशिक्षित कर्मचारियों आदि की आवश्यकता का निर्धारण राज्य सरकारों के परामर्श से किया जा रहा है ।

सहकारी समितियां

508. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्धा समिति ने सहकारी समितियों के काम करने के बारे में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) सहकारी समितियों के पुनर्गठन के द्वारा कहां तक समाज के कमजोर अंगों के हितों के सुरक्षण का प्रयास किया गया है ताकि सहकारिता शोषण का साधन न बन जाये ; और

(ग) क्या समिति से विभिन्न श्रेणी की समितियों के लिये व्यवहारिक मानक निर्धारित करने के लिये कहा गया था ; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है । किन्तु इसने अपने निर्णयों और सिफारिशों का सारांश पहले ही दे दिया है, जिसकी एक प्रति 17 अगस्त, 1965 को अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दी गई थी ।

(ख) इस बात को मानते हुए कि सहकारी आन्दोलन की सहायता से एक संगठन बनता है जो गरीब व्यक्तियों को अमीरों और शक्तिशाली व्यक्तियों के शोषण से बचा सकता है, समिति ने यह सुझाव दिया है कि सहकारी समितियों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिये कुछ सिद्धान्त बना दिये जायें, ताकि सहकारिता शोषण करने का साधन न बन जाये ।

(ग) समिति का एक निर्देश पद इस प्रकार था :

"ऐसी कसौटी और मानक निश्चित करना जिनसे विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की प्रामाणिकता का पता लगाया जा सके और जाली समितियों के पंजीकरण को रोकने तथा उनको समाप्त करने के उपाय बताना ।"

भाग (क) के उत्तर में निर्णय और सिफारिशों के सारांश की कंडिकाओं में समिति की सिफारिशें दी गई हैं ।

Import of Foodgrains

509. **Shri Bagri** : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 116 on the 23rd February, 1965 and state :

(a) whether an assessment of the loss sustained in import of foodgrains as a result of the strike by dock workers in U.S.A. has since been made; and

(b) if so, the amount thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) It is estimated to be about 20 lakhs of rupees.

Commodity Committees

510. **Shri Bagri** :
Shri Yashpal Singh :
Shri Mohammed Koya :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1716 on the 30th March, 1965 and state :

(a) whether Government have since taken any decision regarding the future set up and functions of the Central Commodity Committees; and

(b) if not, when the decision is likely to be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes. It has been decided to dissolve all the nine Central Commodity Committees in their present form and to make consequential arrangements for carrying on the work hitherto conducted by these Committees on the following lines :—

(i) The Indian Council of Agricultural Research, which is being suitably re-organised, will assume charge of all the research work of the Central

Commodity Committees (including the administrative control of their Research Institutes/Laboratories/ Stations/Sub-stations).

(ii) The Department of Agriculture will look after the development and marketing work of the Commodity Committees. For this purpose, it is proposed to constitute Development Councils for these commodities under the Department of Agriculture. These Development Councils, which will include, among others, representatives of the growers, trade and industry, are intended to function as advisory bodies to the Government.

(b) : Does not arise.

गेहूं की खरीद पर पाबन्दी

511. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री हुकुम चंद कछवाय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के सिविल रसद विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके अन्तर्गत यमुना पार की बस्तियों के निवासी एक बार दस किलोग्राम से अधिक गेहूं नही खरीद सकते ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार की अनुमति ली गई थी ; और

(ग) आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। दिल्ली प्रशासन ने मई, 1965 में एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार शहादरा और गांधीनगर पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार में खुदरा व्यापारियों को किसी एक दिन के अन्दर एक ग्राहक को 10 किलोग्राम से अधिक देसी गेहूं बेचने की मनाही कर दी गई है ।

(ख) जी नहीं । दिल्ली प्रशासन ऐसे आदेश जारी कर सकता है ।

(ग) आदेश इस लिये जारी किया गया था जिससे कि उपर्युक्त क्षेत्रों में देसी गेहूं की प्राप्ति और बिक्री का विनियमन किया जा सके और दिल्ली के बाहर गेहूं के चोरी छिपे ले जाये जाने को रोका जा सके ।

कृषकों को ऋण

512. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री हेडा :

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 70 प्रतिशत काश्तकारों को कृषि ऋण देने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : चौथी योजना में सहकारिता संबंधी केन्द्रीय कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अस्थायी तौर पर यह प्रस्ताव किया गया है कि प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाएं चौथी योजना के अन्त

तक 70 प्रतिशत किसानों को ऋण दें और योजना के अन्तिम वर्ष में लघु और मध्यम अवधि के ऋण के लिये 650 करोड़ रुपये का वितरण करें। राज्य सरकारें स्थानीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए अपनी विस्तृत योजनाएं बना रही हैं और सहकारी समितियों के परामर्श से आवश्यक साधन जुटायेंगी। अन्तिम कार्यक्रम तभी तयार होगा जब राज्यों की योजनाएं तयार हो जायेंगी।

जबलपुर में हवाई अड्डा

513. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 16 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 474 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर हवाई अड्डे के धावन-पथ को मज़बूत बनाने के संबंध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जबलपुर हवाई अड्डे के धावन-पथ का विस्तार करने, उसका पुनर्वर्गीकारण करने तथा उसको मज़बूत बनाने के लिये प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और उसका परीक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली में स्कूटर-रिक्शा

514. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनता से स्कूटर रिक्शाओं के चालकों द्वारा अधिक किराया लेने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या स्कूटर रिक्शाओं में किराया बताने वाले मीटर लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मैसर्ज़ इन्टरनेशनल इन्स्ट्रूमैंटस लिमिटेड बंगलौर ने किराया बताने वाला मीटर पेश किया था जिसका मूल्य 250 रुपये है। नैशनल फिज़ीकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली, ने इस मीटर की जांच की थी और फर्म से इस मीटर में कुछ परिवर्तन करने के लिये कहा था। फर्म ने उस मीटर में कुछ परिवर्तन कर के उक्त लेबोरेटरी को दोबारा जांच के लिये भेजा। नशनल फिज़ीकल लबोरेटरी से रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

होटल मालिकों, रेस्तरां मालिकों का श्रीनगर में हुआ सम्मेलन

515. **श्री हेम बरुआ :** क्या **परिवहन** मंत्री 4 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3038 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1965 में श्रीनगर में हुए होटल मालिकों, रेस्तरां मालिकों तथा ट्रेवल एजेंटों के सम्मेलन द्वारा किये गये इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि पर्यटक उद्योग के विकास के रास्ते में आने वाले प्रक्रिया संबंधी विलम्बों को दूर करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड बनाया जाये ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : सरकार ने पर्यटन से संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की एक समन्वय समिति नियुक्त कर दो है। यह समिति समय समय पर पर्यटन तथा यात्रा व्यापार सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिय अपनी बैठकें करती है। इस प्रयोजन के लिये अभी केन्द्रीय मंत्रियों का एक बोर्ड बनाना आवश्यक नही समझा जाता।

पूर्वी अफ्रीका के देशों के लिये विमान सेवायें

516. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई 1965 के मध्य में भारत और पूर्वी अफ्रीका के तीन देश कीनिया, उगान्डा तथा तन्जानिया के साथ विमान सेवाओं से संबंधित यातायात के अधिकारों के विनियमन के लिये असनिक उड्डयन मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल पूर्वी अफ्रीका के देशों को गया; था और

(ख) यदि हां, तो इन तोन देशों के साथ बातचीत से क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) एक ओर भारत सरकार तथा दूसरी ओर कीनिया, उगांडा और तन्जानिया की सरकारों के बीच विमान सेवाओं सम्बन्धी करारों का मसौदा भारत तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिधि मंडलों द्वारा तैयार किया गया और स्वीकार किया गया। सम्बन्धित सरकारों द्वारा करारों पर हस्ताक्षर हो जाने और स्वीकार हो जाने के पश्चात इन करारों पर अमल शुरु हो जायेगा।

कोचीन शिपयार्ड

517. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि कोचीन शिपयार्ड प्रोजेक्ट के संबंध में कितने प्रतिनिधि मण्डल जापान गये तथा वे कितने समय तक वहां रहे और उन पर क्या व्यय हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : पिछले छः वर्षों में दूसरे शिपयार्ड की परियोजना के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तीन प्रतिनिधि मंडल कोचीन शिपयार्ड परियोजना के सम्बन्ध में जापान जा चुके हैं। उन के वहां ठहरने का समय इस प्रकार है :

प्रथम (1962) 7 दिन

द्वितीय (1964) 9 दिन

तृतीय (1965) 8 दिन

इन तीनों यात्राओं के कुल व्यय के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

518. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 23 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी योजनाओं की कार्यान्विति को और अधिक सुनिश्चित करने के लिये उचित उपाय करने के प्रस्ताव पर अब विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) से (ग): प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय बागवानी संस्था

519. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 2 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक केन्द्रीय बागबानी संस्था खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब खोला जायेगा ; और

(ग) प्रस्तावित संस्था की मुख्य बातें क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) से (ग) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रणाधीन हेसाराघाट (मैसूर राज्य) में बागवानी की एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद्

520. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 23 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) : उर्वरकों के वितरण, मूल्य निर्धारण, तथा इस की खपत बढ़ाने से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है और इस की रिपोर्ट

अगस्त, 1965 के अन्त तक मिलने की आशा है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर भी इस समिति की रिपोर्ट के साथ साथ विचार किया जायेगा।

कृषि-औद्योगिक निगम

521. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां गैर-सरकारी साधनों से काफी धन प्राप्त न किया जा सके वहां सरकार कृषि-औद्योगिक निगम की पूंजी में अपना अंश 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पंजाब और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने इस निश्चय का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस दोनों राज्य सरकारों ने क्या कारण बताये हैं ; और

(घ) कृषि-औद्योगिक निगम संभवतः कहां कहां बनाये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रारंभ में आंध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र तथा पंजाब में कृषि-औद्योगिक निगम स्थापित किय जायेंगे। बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने ऐसे निगम स्थापित करने में रूचि दिखायी है। जब उन के ब्यौरेवार प्रस्ताव प्राप्त हो जायेंगे तो उन पर विचार किया जायेगा।

विदेशों में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय

522. **श्री स०चं० सामन्त :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 2 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर विक्रय/आरक्षण (रिजर्वेशन) कार्यालय खोलने के इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यालय कहां कहां स्थित होंगे; और

(ग) ये कार्यालय किस प्रयोजन के लिये खोले जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : निर्णय यह किया गया है कि इस वि य पर अभी कोई कार्यवाही न की जाये।

भारत, थाइलैंड, मलयेशिया तथा लंका के बीच पर्यटन के विकास के लिये संयुक्त कार्यक्रम

523. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

श्री मं०रं० कृष्ण :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, थाइलैंड, मलयेशिया तथा लंका के बीच पर्यटन के विकास के लिये कोई संयुक्त कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : पर्यटक भारत तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों में मुख्य रूप से अमरीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया और जापान आदि से आते हैं। विचार यह है कि जिन क्षेत्रों से पर्यटक आते हैं उन में संयुक्तरूप से प्रयत्न किया जाये। दूसरा विचार यह है कि निकटवर्ती देशों, जैसे थाइलैंड, मलयेशिया आदि पर्यटकों को भारत आने के लिये प्रेरित एवं आकर्षित किया जाये।

इन प्रस्तावों पर अभी विचार हो रहा है। सम्बद्ध सरकारों से बातचीत होगी और उस के पश्चात अन्तिम निर्णय होगा।

केरल में कोचीन-अरूर राष्ट्रीय राजपथ

524. **श्री पोट्टेकाट्ट :**

श्री अ०व० राघवन :

श्री केप्पन :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर कोचीन से अरूर तक एक नयी सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण तथा रेखांकन कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) काम कब प्रारम्भ होगा ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां। परन्तु यह प्रस्ताव कोचीन पत्तन की, नौसेना और जहाज बनाने के कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु एर्नाकुलम नहर के ऊपर एक नवीन पुल बनाने की योजना से जुड़ी हुई है।

(ख) जी नहीं। प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) समस्या के सर्वोत्तम समाधान का निर्णय करने में लगभग एक साल लगेगा।

प्रशिक्षण पोत 'डफरीन'

525. **श्री अ०व० राघवन :**

श्री पोट्टेकाट्ट :

श्री केप्पन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण पोत "डफरिन" को बदला जाये;

(ख) यदि हां, तो पोत को बदलने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) "डफरीन" पोत का कितने वर्ष तक प्रयोग किया गया ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) माज़गान डॉक लिमिटेड, बम्बई, की सलाह से अनुमानित व्यय का हिसाब लगाया जा रहा है ।

(ग) 1904 में बना हुआ डफरिन 1927 से अर्थात् लगभग 38 वर्षों से । प्रशिक्षण पोत के रुपमें कार्य कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश फल-व-अनुसंधान केन्द्र

526. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों में एक प्रयोगिक फल-व-अनुसन्धान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिये कितनी सहायता दी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नही होता ।

उत्तर प्रदेश में उद्यानों का विकास

527. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उद्यानों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी कितनी राज सहायता तथा अनुदान मंजूर किया गया तथा कितना दिया गया ; और

(ख) 1965–66 के दौरान इस काम के लिये इस राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चूंकि अनुदान समूचे विकास शीर्षों के लिये मंजूर किये जाते हैं भिन्न भिन्न योजनाओं के लिये पृथक पृथक रूप से नही अतः उद्यानों के विकास के लिये मंजूर किये गये अनुदान के सही आंकड़े पृथक पृथक उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यानों के विकास की योजनाओं के सम्बन्ध में किये गये व्यय के आधार पर यह अनुदान 7.499 लाख रुपये होगा ।

(ख) 14.411 लाख रुपये ।

सतलुज नदी से नहर निकालन सम्बन्धी परियोजना

528. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सतलुज नदी से नहर निकालने सम्बन्धी परियोजना (पंजाब), जिससे तलहटी के पास की भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकेगा, की आर्थिक व्यवहारिकता का पता लगाने के लिये केन्द्रीय तथा राज्यों के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) वे कब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) 1. श्री आर० ऐस० रंधावा,—ई-पंजाब के कृषि उत्पादन और ग्राम विकास आयुक्त—अध्यक्ष।

2. डा० एच० एल० उप्पल, निदेशक, भूमि सुधार, सिंचाई और विद्युत अनुसंधान संस्था, अमृतसर—सदस्य।

3. श्री जी० एस० सिद्धू, चीफ़ इंजीनियर ड्रेनेज, पंजाब—सदस्य।

4. प्रो० देवराज भूम्बला, भूमि विज्ञान विभाग प्रमुख पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना—सदस्य।

5. श्री के० एस० मान, उपनिदेशक कृषि (बीज), चन्दीगढ़—सदस्य।

6. मेजर एच० एस० सन्धू, प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास तथा बीज निगम सीमित, चन्डीगढ़—सदस्य।

7. श्री पी० एन० कुमरा, चीफ़ इंजीनियर बाढ़, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, नई दिल्ली—सदस्य।

8. डा० आर० डी० वर्मा, परियोजना अधिकारी निर्यात संवर्धन प्रभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली—सदस्य।

9. डा० एस० वी० गोविन्द राजन, प्रमुख भूमि सर्वेक्षण अधिकारी, अखिल भारतीय भूमि और भूमि उपयोग सर्वेक्षण योजना, भारतीय कृषी अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली—सदस्य।

(ग) रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी है और पंजाब सरकार उस पर विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश में स्थानीय विकास कार्य

529. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उत्तर प्रदेश को स्थानीय विकास कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) 1965-66 के दौरान इस कार्य के लिये उस राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश को स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिये 1964-65 में केन्द्रीय सरकार ने 66.347 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी है और वास्तविक खर्च के आंकड़े प्राप्त होने पर इस का समायोजन किया जायेगा।

(ख) 1965-66 में इस कार्य के लिये उस राज्य को 71 लाख रुपये देने तय हुए हैं। परन्तु वास्तविक राशि देने का निश्चय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में हुए कार्य और चौथी तिमाही के प्रत्याशित व्यय के आधार पर किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश क लिये गेहूं

530. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 4 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3045 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने ग्राम्य जनशक्ति जुटाने सम्बन्धी योजना के लिये उत्तर प्रदेश को गेहूं का संभरण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं कब तथा कितनी मात्रा में दिया जायेगा; और

(ग) यह किन शर्तों पर दिया जायेगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : भारत सरकार और अमरीकी अन्तराष्ट्रीय विकास अभिकरण (ए० आई० डी०) के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश 6 ज़िलों को 15 मई 1965 से 31 मार्च 1966 तक लगभग 9,000 टन गेहूं सप्लाई करने का समझौता कार्यान्वित हो चुका है ।

(ग) समझौते की मुख्य शर्तें ये हैं : चुने हुए ज़िलों में ग्रामीण जनशक्ति परियोजनाओं में लगे हुए मजदूरों को आधी मज़दूरी जिन्स (गेहूं) के रूप में दी जायगी, इन में से प्रत्येक जिले के लिये एक एक मास्टर प्लान (वृहद् योजना) बनायी जायेगी, और मूल्यांकन व्यवस्था इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग होगी ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

531. **श्री प्र० रं चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खादी ग्रोमाद्योग भवन कर्मचारी संघ, नई दिल्ली के प्रधान श्री ओ० पी० वर्मा द्वारा 2 जून, 1965 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि प्रबन्धक अनुशासन संहिता के उल्लंघन तथा कर्मचारियों को तंग करने के लिये प्रबन्धक लोग ही उत्तरदायी है ;

(ख) क्या भवन के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कर्मचारियों की शिकायतों की जांच की गई है; और

(ग) क्या कर्मचारियों के लिये अधिक अच्छी सेवा की शर्तें के बारे में 6 जनवरी 1965 को हुए समझौते को शर्तों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ? खादी ग्रामोद्योग भवन कर्मचारी संघ के प्रधान द्वारा समवादाताओं के सन्मुख दिये गये वक्तव्य के समाचार सरकार ने देखे हैं ।

(ख) और (ग) : खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारी खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के कर्मचारी हैं जो स्वयात्त निकाय है । उन की मांगों की ओर ध्यान देना और उचित कार्यवाही करना उस आयोग का काम है । सरकार को मालूम हुआ है कि आयोग पहले

ही इस विषय पर विचार कर रहा है । और 40 में से 29 मांगों पर निर्णय हो चुका है । एक मांग सरकार के विचाराधीन है और शेष मांगों को स्वीकार नही किया जा सकता क्योंकि भवन के कर्मचारी दुकान और संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ।

Connecting Aerodromes with Border Districts

532. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to connect all the border districts in the country with the aerodromes of their respective States for the purpose of civil transport services; and

(b) if so, when this scheme is likely to be implemented?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अल्वाये तथा कालीकट के बीच सड़क

533. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया है कि अल्वाये और कालीकट के बीच तटीय क्षेत्रों से होती हुई एक सीधी सड़क बनाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख): केरल की तृतीय योजना में अल्वाये और कालीकट के बीच तटीय क्षेत्रों में से गुजरने वाली एक मुख्य सड़क बनाने का प्रस्ताव था, परन्तु इसे धन की कमी के कारण प्रारंभ नहीं किया गया और छोड़ दिया गया । चौथी योजना में, अस्थायी तौर पर यह व्यवस्था की गई है, कि इस सड़क का मुख्य भाग अल्वाये की ओर से चेतवाये तक और पारूर से एर्नाकुलम तक मिलाने वाली सड़क समेत बनाया जायेगा । परन्तु इस काम को योजना में शामिल किया जाना राज्य में सड़क विकास के लिये उपलब्ध की जाने वाली राशि की मात्रा पर निर्भर करता है ।

दिल्ली में साग-सब्जी की पैदावार

534. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब्जी की पैदावर बढ़ाने के लिये दिल्ली प्रशासन के "क्रैश प्रोग्राम" का, जिसको दिसम्बर, 1964 में स्वीकार किया गया था, क्या परिणाम निकला ;

(ख) परियोजना पर मूलतः में कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया था ;

(ग) अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है; और

(घ) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तीन हजार चार सौ सैंतालीस एकड़ भूमि में खरीफ़ फसल से पहले बोई जाने वाली सब्जियां बोई गई हैं।

(ख) 22.25 लाख रुपये।

(ग)

1964–65 के लिए नियतन	1964–65 में (30–6–65) तक का खर्चा
8,07,000 रुपये	7,31,821 रुपये
1965–66 के लिये नियतन	1965–66 का खर्चा (30–6–65 तक)
5,60,000 रुपये	14,80 रुपये

इस के अतिरिक्त 4,00,000 रुपये की राशि छोटे सिंचाई कार्यों के लिये ऋण के तौर पर दी गई।

(घ) (1) अधिकांश तकनीकी कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके हैं और किसानों को तकनीकी सलाह दी जा रही है।

(2) बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं किसानों को नियमित रुप से दी जा रही हैं।

(3) महरौली के निकट अधचिनी गांव में 20 एकड़ का एक बाग़ एवं नर्सरी, बीजों की वृद्धि के लिये बनाई गई है।

(4) सिंचाई के लिये ऋण दिये जा रहे हैं और अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा रहा है।

(5) सब्जी उत्पादकों को उर्वरक और खाद सप्लाई करने के लिये 20 ट्रक खरीदे गये हैं और इन का ढांचा तैयार हो चुका है और शीघ्र ही इनको कार्य में लगा दिया जायेगा।

गेहूं के न्यूनतम मूल्य

535. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को गेहूं के न्यूनतम मूल्य कम करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

मुकदमा लड़ने के लिये गरीबों को सहायता

536. **श्री दशरथ देब :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के अनुसूचित आदिम जातियों के मुकदमा दायर करने वाले गरीब व्यक्तियों को मुकदमा लड़ने के लिये सहायता देने के लिये केन्द्र ने राज्य सरकार को 1964–65 में कोई रकम दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम दी गई; और

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष में अनुसूचित आदिम जाति के कितने लोगों को सहायता दी गई ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नही ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेहल उड्डयन प्रशिक्षण संस्था, पश्चिम बंगाल

537. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड्डयन प्रशिक्षण संस्था, बेहल, पश्चिम बंगाल, का व्यवसायी विमान चालकों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संस्था की इस प्रार्थना पर विचार किया है कि उच्च प्रशिक्षण के लिये कुछ आधुनिक विमानों की व्यवस्था की जाये ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि शिक्षा

538. **श्री वारियर :**

श्री दाजी :

श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के दल ने, जिसने कृषि शिक्षा की प्रगति का अध्ययन करने के लिये हाल में विभिन्न राज्यों का दौरा किया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की उप-पत्तियां क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कृषि विभाग ने हाल ही में विभिन्न राज्यों का दौरा करने तथा कृषि-शिक्षा संबंधी प्रगति का अध्ययन करने के लिये किसी विशेषज्ञ दल को नियुक्ति नहीं की । शायद माननीय सदस्य कृषि-शिक्षा संबंधी पुनर्वलोकन समिति का उल्लेख कर रहे हैं, जिसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की थी, या कृषि-शिक्षा संबंधी टास्क फोर्स के एककों का उल्लेख कर रहे हैं, जिनको शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त शिक्षा आयोग ने राज्यों में भेजा था । उनकी रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई के सहकारी समिति अधिनियम का दिल्ली में लागू होना

539. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1924 अब भी दिल्ली में लागू है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925, कुछ संशोधनों सहित, अब दिल्ली में लागू है।

(ख) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली मंत्रणा समिति और दिल्ली सहकार परिषद् के परामर्श से वर्तमान अधिनियम के स्थान पर दूसरा अधिनियम लाने का प्रश्न विचाराधीन था। अब यह निर्णय किया गया है कि पुराने बम्बई अधिनियम को, जो दिल्ली में लागू है, दिल्ली से हटाने के लिये और पंजाब सहकार समिति अधिनियम, 1961 को कुछ संशोधनों के साथ, दिल्ली में लागू करने के लिये विधान बनाया जाये।

पंजाब में मीन क्षेत्रों का विकास

540. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को मीन क्षेत्रों के विकास के लिये 1961 से लेकर अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) क्या समूची राशि काम में आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) :

	ऋण	अनुदान
	(लाखे रुपयों में)	
*1961–62	9.91	17.00
1962–63	10.50	12.30
1963–64	—	0.59
1964–65	—	—

*1961–62 और 1962–63 के बारे में जानकारी "पशु-पालन, दुग्ध व्यवसाय और मत्सपालन" के बारे में है न कि केवल मत्सपालन के बारे में। मत्सपालन के बारे में पंजाब सरकार से जानकारी नहीं आई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

(ख) जी हां। वास्तविक खर्च के आधार पर अनुदान दिया जाता है।

(ग) पंजाब में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में 45 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है जिसमें भाखड़ा जलाशय में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये 20 लाख रुपये की राशि भी शामिल हैं। अन्य मुख्य योजनाएं मछलियों को पालने के तालाब बनाने, अन्तर्देशीय नदी-नालों में मछलियां पालने का प्रदर्शन, मछलियां पालने योग्य तालाबों का सर्वेक्षण और कर्मचारियों का प्रशिक्षण के बारे में हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1963–64 के अन्त तक 1670 एकड़ भूमि पर जमा पानी में 3.87 लाख फ्राई जमा की गई थीं। मछलियों को पालने के 7 तालाब बनाए गये थे और 13 व्यक्तियों को बम्बई और बैरकपुर की केन्द्रीय संस्थाओं में मछलियां पालने का प्रशिक्षण दिया गया था और राज्य के 8 जिलों में जमा जल का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था। अप्रैल 1964 के पश्चात की प्रगति के बारे में जानकारी राज्य सरकार से नहीं आई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में दस्तकारी उद्योग का विकास

541. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को राज्य में दस्तकारी उद्योग के विकास के लिये 1964–65 तथा 1965–66 में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) यह धनराशि किन-किन योजनाओं पर खर्च की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1964–65 और 1965–66 में पंजाब राज्य सरकार को निम्नलिखित राशियां मंजूर की गई थी :–

वर्ष	अनुदान	ऋण	कुल
1964–65	3,95,000 रु०	4,28,000 रु०	8,23,000 रु०
1965–66	7,00,000 ०	3,50,000 रु०	10,50,000 रु०

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4599/65)

केरल में दूध की सप्लाई

542. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में केरल में दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्य-वाही की है; और

(ख) उस अवधि में इसके लिए विदेशों से कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एर्नाकुलम, पालघाट कोट्टायम में दूध योजनाएं आरम्भ करने और युयात्तुपज्हा तथा नीलाम्बूर में दूध ठंडा करने के संयंत्र लगाने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। अच्छी नस्ल के पशु खरीदे गये हैं और इस प्रकार के और भी पशु खरीदने का विचार है। सरकार वेलियाथूरा के सीवेल फार्म में चारे की खती कर रही है और 50 एकड़ और भूमि को इस कार्य के लिये उपयोगी बनाने के लिये भी पग उठाये जा रहे हैं। दूध उत्पादकों को अच्छा चारा देंने के लिये कुरियों त्रूमाला, पालोड, काडाप्पना कुन्नु, थिसवाज्हुम कुन्नू, ओल्लूकामारा और थुम्बुर मुज्री में चारे की खेती आरम्भ कर दी गई है।

(ख) इस अवधि में कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। कुछ देरी उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण स्वीडन और डेन्मार्क से लग भग 10 लाख रुपये की लागत के डेरी उपकरण हमारी सरकार उधार दिला रही है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही ये उपकरण एर्नाकुलम और कोट्टायम की डेरियों में पहुंच जायेंगे। हीकर परियोजना के अन्तर्गत अमरीका ने इस राज्य को भेंट के रूप में 10 सांड और जरसी नाल की 40 बछियां देने स्वीकार किये हैं। और आशा है कि शीघ्र ही ये पशु केरल पहुंच जायेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें

543. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री दे० जी० नायक :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न अखिल भारतीय सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों तैयार करने के लिएं देश में आँठ नये केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां कहां खोले जायेंगे; और

(ग) ये केन्द्र कब से कार्य करने लगेंगे ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों को उर्वरकों का सम्भरण

544. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बागड़ी :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में अब तक विभिन्न राज्यों को रसायनिक खादों सहित विभिन्न प्रकार के कितने उर्वरक दिये गये ;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें निर्धारित तिमाही कोटा नहीं दिया जा सका;

(ग) उन्हें उनके तिमाही निर्धारित कोटा की अपेक्षा वास्तव में कितना उर्वरक दिया गया; और

(घ) निर्धारित कोटा के अनुसार सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा **कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग): चालू वर्ष में अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के आवंटन और संभरण के संबंध में जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4600/65)**

(घ) वर्ष 1965–66 के पूर्वार्ध में राज्यों को अधिक उर्वरक न दिये जाने के निम्न कारण हैं;

1. अमरीका में लौंग शोरमैनों की हड़ताल, जिसके फलस्वरूप अमोनियम सल्फेट के पहुंचने में देरी हुई।

2. सारे विश्व में उर्वरकों की कमी होने के कारण वर्ष के आरम्भ में अधिक मात्रा में उर्वरक देना संभव नहीं था।

3. बिजली के सम्भरण में कमी होने के कारण फ० ए० सी० टी० के उत्पादन में कमी।

4. हिरांकुड से कोक भट्टी गैस और बिजली की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण रूरकेला के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा।

5. बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के आयात करने के कारण पत्तनों पर भीड़ होने के परिणाम-स्वरुप माल उतारने में देरी।

6. पत्तनों और कारखानों पर मालडिब्बों की सप्लाई में कभी कभी कमी होने और राज्य सरकारों की सड़क के रास्ते उर्वरकों को ले जाने में दी गई रियायत का पूरा फायदा उठाने में असमर्थता सितम्बर 1965 की समाप्ति से पूर्व राज्यों को देय शेष आवंटन देने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

कृषि अनुसंधान

545. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में कृषि अनुसन्धान के लिए केन्द्र ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार को कितना धन मंजूर किया; और

(ख) उपरोक्त काल में राज्य में क्या कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम आरम्भ किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

वर्ष	मंजूर राशि	दी गई राशि
	(लाखों रुपये में)	
1963–64	1.47	0.56
1964–65	1.46	0.91
कुल	2.93	1.47

(ख) जम्मू तथा काश्मीर सरकार को निम्न कार्यों के लिये वित्तीय सहायता दी गई थी :–

(एक) मक्का की किस्म सुधारने की समन्वित योजना ;

(दो) संकरण प्रणाली द्वारा भेड़ों और उन की किस्म में सुधार;

(तीन) वनस्पति का सुधार ;

(चार) फलों के वृक्षों की 'सान जोस स्केल' रोग का जीववैज्ञानिक नियन्त्रण;

(पांच) पुरस्कार प्राप्त करने वाले फलों की किस्मों के लिये स्थान निर्धारण करने उनको स्थिर बनाने और उनको बढ़ाने के लिये ।

पालम हवाई अड्डा

546. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : पालम में हवाई जहाजों के उतरने की व्यवस्था तथा यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये 6 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की जा रही है । इस बीच वर्तमान भवन का नवीकरण तथा विस्तार किया जा रहा है ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी जा सकें ।

दिल्ली का चिड़ियाघर

547. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़िया घर में पशुओं के लिए ठंडा वातावरण बनाने के लिए जो उपाय किये गये थे वे इस ग्रीष्म ऋतु में बड़े ही अपर्याप्त सिद्ध हुए ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है या की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पशुओं के लिये वातावरण को ठंडा बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) ठंडे प्रदेश से आये हुए जानवरों के लिये खस खस की टट्टियों की व्यवस्था की गई है और टट्टियों को गीला रखा जाता है ।

(2) बहुत ठंडे प्रदेशों से आये पशुओं के लिये दिन के गरम पहर के समय बरफ की सिल्लियों की व्यवस्था की जाती हैं ।

(3) जहां पशुओं के बाड़े में प्राकृतिक छाया नहीं है वहां पर कृत्रिम छाया की व्यवस्था कर दी गई है ।

(4) पशुओं के बाड़े में उनको कई बार पीने के लिये जल दिया जाता है ।

(5) बाड़े में जानवरों के नहाने के लिये तथा तैरने के लिये तलावों में पानी भर दिया जाता है ।

(6) जिन पशुओं के बाड़े में पर्याप्त छाया नहीं होती वहां छोटे छोटे भागों में जो मुख्य बाड़े से मिल होत हैं, खस खस की टट्टियां लगा दी गई है ।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान चालकों का प्रशिक्षण

548. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने बगमपेट, हैदराबाद स्थित अपने केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिवर्ष 100 विमान चालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त सभी व्यक्तियों को नौकरी मिलने की आशा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : बेगमपट, हैदराबाद स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का कार्य, मुख्यतः, इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों को नई रिस्क के विमानों का प्रशिक्षण देना है । विमान चालकों की तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिये उन 38 विमान चालक प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्होंने प्रारम्भिक प्रशिक्षण फ्लाइंग क्लबों में अपना प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाया था और जिनको कुछ न्यूनतम उड़ान का अनुभव भी था । उनको केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । उनको आई० ए० सी० के खर्चे पर फ्लाइंग क्लबों में और अधिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह व्यावसायिक विमान चालक लाइसेंस के लिये निर्धारित न्यूनतम घंटों की उड़ान पूरी कर लें और फिर उनको केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में डकोटा चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

बांध

549. **श्री मणियंगाडन** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कोट्टायम जिले के वैकम तालुक में कारी भूमि में खारे पानी के प्रवेश को रोकने के लिये बाहरी बांध बनाए गये हैं ;

5—19 Lok Sabha/65

(ख) क्या ये बांध गत फसल उठाये जाने के बाद बनाए गये थे ;

(ग) क्या ये बांध टूट गये थे और इसके परिणामस्वरूप धान की खेती को हानि पहुंची थी;

(घ) क्या बांध के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) वर्षा ऋतु के दौरान नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण और तेज़ लहरों के कारण बांध कुछ जगहों से टूट गया था । इनकी तुरन्त मरम्मत कर दी गई थी और फसलों को कोई हानि नहीं पहुंची ।

(घ) केरल राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार तेज़ लहरों को कारण बांध टट गया था और चूंकि खराबी शीघ्र ही दूर कर दी गई थी, अतः हानि के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच नहीं की गई ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य सलाहकार समिति, केरल

550. **श्री मणियंगाडन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोई सलाहकार समिति है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस समिति में कृषकों के प्रतिनिधि भी हैं; और

(घ) समिति के कृत्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के सदस्यों की सूची सभापटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4601/65**]

(ग) समिति का कार्य समय समय पर राज्य में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई तथा वितरण सम्बंधी स्थिति का पुनर्विलोकन करना और सरकार को इससे सम्बन्धित मामलों का परामर्श देना है ।

खाद्य विभाग के कर्मचारी

551. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के खाद्य विभाग ने अपने वर्तमान कर्मचारियों को 'विकल्प ज्ञापक' देने का अन्तिम रूप से निश्चय किया है ;

(ख) क्या ज्ञापन में स्थायी धारणाधिकार सेवा की शर्तों, पद तथा वेतनक्रम की कोई गारण्टी दी गई है ; और

(ग) क्या खाद्य निगम द्वारा भंडार डिपों तथा समाहार उपभाग का सारा कार्य अपने हाथ में लेने पर खाद्य विभाग के हजारों कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, हमारा आशय यह है कि सम्बधित कर्मचारियों भारत के खाद्य निगम के अन्दर आ जाने के पश्चात् उन की वर्तमान सेवा की शर्तों को अधिकतम सीमातक सुरक्षित रखा जाएगा :

(ग) जब कभी खाद्य विभाग का कोई कार्य खाद्य निगम को सौंपा जायेगा तो खाद्य विभाग के जो कर्मचारी उस काम को कर रहे होंगे और निगम में कार्य करना चाहेंगे तो उन्हें निगम में ले लिया जायेगा।

केरल में धान का समाहार

552. **श्री मणियंगाडन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पिछली फसल में धान का कुल कितना अनुमानित उत्पादन हुआ ; और

(ख) कुल कितनी मात्रा खुले बाजार में आई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1964-65 में केरल में 11 लाख टन चावल का उत्पादन होने का अनुमान है। यह भार में 16.8 लाख टन धान के बराबर है।

(ख) खुले बाजार में 4.48 लाख टन धान आने का अनुमान है।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

553. **श्री मणियंगाडन** : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम जिले में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कोई अस्पताल खोले गये हैं ;

(ख) उस जिले के लिये कितने अस्पताल मंजूर किये गये हैं तथा अब तक अस्पतालों की कितनी इमारतें बनाई गई हैं ; और

(ग) क्या तकनीकी मंजूरी न मिलने के कारण किसी इमारत को बनाने में विलम्ब हुआ है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) दो अस्पतालों, एक सामान्य और एक क्षय रोग अस्पताल की मंजूरी दे दी गई है। सामान्य अस्पताल और कर्मचारियों के मकानों के निर्माण का कार्य मई 1965 में आरम्भ किया गया था और कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है। क्षय रोग के अस्पताल के लिये भूमि ले ली गई है। और उसके नक्शे बनाने और लागत का अनुमान लगाने का कार्य हो रहा है।

(ग) जी नहीं।

धान की खेती

555. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि इस वर्ष कितनी भूमि में धान की दूसरी बार खेती की गई ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा निर्धारण करने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग): चावल के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान की एक प्रति, जिसमें अन्य चीजों के साथ साथ 1964–65 में उस भूमि का क्षेत्र दिया गया है जिसमें धान की विभिन्न फसलें बोई गई थीं, सभा पटल पर रखी जाती है। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी-4602/65)** । 1965–66 के इस प्रकार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

India-Poland Shipping Service

556. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement was entered into between the Governments of India and Poland regarding Shipping Service on the 22nd June, 1965; and

(b) if so, the terms thereof ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) & (b) : No new agreement was entered into but a Protocol dealing with details of the conduct of Shipping Service was signed by the representatives of the Indian Lines and the Polish Ocean Lines in accordance with the provisions of the existing Indo-Polish Shipping Agreement of 1960. This Protocol related to matters like achieving more equitable distribution of cargoes and earnings, provision of more space and sailings, exchange of statistical information and freight policy etc.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय वित्तपोषित कार्य

557. **श्री अ० सिं० सहगल** : **श्री वाडीवा** :
श्री ज्वा० प्रा० ज्योतिषी : **श्री चाण्डक** :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में उन कठिनाइयों की ओर दिलाया है जो केन्द्र द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित कार्यों के लिए उससे धन प्राप्त करने में मध्य प्रदेश सरकार को होती है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देने के लिये भोपाल में परिवहन मन्त्रालय का एक अधिकारी नियुक्त किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसके सुझाव पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से उन कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है, जो केन्द्र द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित कार्यों के लिये धन प्राप्त करने में उसे अनुभव हो रही है।

(ख) से (घ) : जुलाई, 1962 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस मंत्रालय से प्रार्थना की थी कि मध्य-प्रदेश में सड़कों के विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित सम्पर्क कार्य की देखभाल करने के लिये सड़क कक्ष के लिये पूर्णकालिक इंजीनियर सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाये। आपात की स्थिति होने के कारण कार्य में एकदम वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में कमी हो जाने के उपरान्त हम राज्य सरकार की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सके। फिलहाल बम्बई स्थित इंजीनियर सम्पर्क अधिकारी ही मध्य प्रदेश के सम्पर्क कार्य की भी देखभाल करता है।

सघन खेती

558. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सघन खेती के लिये इस वर्ष कितने ब्लॉक चुने गये हैं ;

(ख) उपरोक्त चुनाव किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) क्या श्रम प्रधान खेती की योजना सफल रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4603/65**) ।

कृषि सम्बन्धी कार्यकारी दल

559. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि सम्बन्धी कार्यकारी दल ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये 1963 में प्रशासन व्यवस्था में कुछ सुधार करने का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने पशुपालन, वन छोटी सिंचाई, पंचायती राज, सहकारिता, आदि जैसे विभागों का एकीकरण करने की सिफारिश की थी और सुझाव दिया था कि वे कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाये जाने चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव का कितने राज्यों ने पालन किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4604/65**) ।

खाद्य उपभोग सर्वेक्षण

560. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खाद्य उपभोग के नमूना सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नीलोखेड़ी (पंजाब), येम्मीगनूर (आन्ध्र प्रदेश), निरसा (बिहार) और मोरार (मध्य प्रदेश) के चार विकास खंडों में खाद्य उपभोग का नमूने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और उसके ब्योरे का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) प्रारम्भिक विश्लेषण से यह पता चला है कि लगभग सभी स्थानों में आहार असंतुलित है, जिसमें अनाज का आधिक्य है और ऐसे खाद्य पदार्थों की कमी है जिनसे आहार संतुलित होता है । नीलोखेड़ी में मुख्यत: गेहूं, चावल और मक्का का उपभोग किया जाता है ; येम्मीगनूर क्षेत्र में चावल, ज्वार और बाजरे का उपभोग किया जाता है । निरसा क्षेत्र में चावल गेहूं और मक्का का उपभोग किया जाता है ; और मोरार क्षेत्र में गेहूं, चावल और ज्वार का उपभोग किया जाता है । नीलोखेड़ी को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दूध का प्रयोग बहुत कम है । नीलोखेड़ी और मोरार में 70 प्रतिशत लोग शाकाहारी हैं । निरसा और येम्मीगनूर में जिन घरों का सर्वेक्षण किया गया था, उनमें से 70% से अधिक घर मांसाहारी थे । नीलोखेड़ी में असन्तुलित आहार होने के कारण होने वाली बिमारियाँ बहुत कम हैं । येम्मीगनूर, निरसा और मोरार में विटामिन की कमी बहुत अधिक है ।

खाद्य औद्योगिकी की शिक्षा

561. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 15 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 542 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में खाद्य औद्योगिकी की शिक्षा की व्यवस्था करने के प्रश्न पर इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : खाद्य औद्योगिकी का विषय अब तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद्, शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। फिलहाल खाद्य औद्योगिकी की शिक्षा इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों में दी जाती है :—

विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम जिनकी शिक्षा दी जाती है
1. बम्बई विश्वविद्यालय (रासायनिक औद्योगिकी विभाग)।	स्नातक पाठ्यक्रम।
2. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता (खाद्य औद्योगिकी और जीव रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग)	1. स्नातक पाठ्यक्रम। 2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
3. हरकोर्ट बटलर औद्योगिकी संस्थान, कानपुर	स्नातक पाठ्यक्रम।
4. केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	दो वर्ष का फल-औद्योगिकी का स्नातकोत्तर एसोसियेटशिप कोर्स।

इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में खाद्य औद्योगिकी का प्रशिक्षण देने के लिये हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र आरम्भ किया गया है। इस केन्द्र के लिये प्रशिक्षणार्थी दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत सहित, सुदूर पूर्व के विभिन्न देशों से लिये जायेंगे। प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर दिया जायेगा, जिसमें दो वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स भी शामिल है।

Cooperative Marketing and Processing

562. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the high-powered Committee appointed by Government to suggest measures to develop co-operative marketing and and processing technique has submitted its report; and

(b) if so, the main recommendations thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

लघु सिंचाई योजनायें

563. **श्री सिंग रेड्डी :**

श्री मि०सू० मूर्ति :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुओं से सिंचाई करने की योजना उन अनेक योजनाओं में से एक है जिन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक विभिन्न राज्यों में सिंचाई के लिये कितने कुएं खोदे गये हैं ;

(ग) उसी अवधि में विभिन्न राज्यों को कितना ऋण तथा उपदान दिया गया ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कुओं से सिंचाई योजना को गहन बनाने का विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर कितना पूंजी परिव्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। नये सिंचाई कुंओं की निर्माण योजना के अतिरिक्त पुराने कुंओं में पानी की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी मरम्मत और उनको गहरा करने की योजना का काम भी आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) अनुमान है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग 5,18,000 नये सिंचाई कुंए बनाये जायेंगे। राज्यवार कुंओं की संख्या इस प्रकार होगी :—

	(संख्या लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	0.45
बिहार	0.45
गुजरात	0.40
मध्य प्रदेश	0.20
मद्रास	0.24
महाराष्ट्र	0.75
मैसूर	0.25
पंजाब	0.24
राजस्थान	0.15
उत्तर प्रदेश	2.10
कुल	5.18

(ग) 1958–59 से राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने का नया तरीका लागू होने के बाद से केन्द्रीय सहायता विकास के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ही दी जाती है अर्थात्, कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई और भू-विकास आदि। योजनावार सहायता देना 1958–59 से बन्द कर दिया गया है। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि सिंचाई कुंओं के लिये कितना ऋण और सहायता दी गई। ये योजनाएं विकास शीर्ष "कृषि उत्पादन जिसमें लघु सिंचाई और भूमि विकास शामिल है" के अन्तर्गत आती हैं। 1961–62 से 1964–65 तक विकास शीर्षक के अन्तर्गत राज्यों को राज्य आयोजना की योजनाओं के लिये कुल केन्द्रीय सहायता लगभग 185.13 करोड़ रु० ऋण और लगभग 66.43 करोड़ रु० अनुदान के रूप में (1961–64 के लिये दी गई वास्तविक राशि और 1964–65 के लिये प्रत्याशित राशि) दी गई। 1965–66 के आंकड़े यथासमय उपलब्ध हो जायेंगे।

(घ) जी हां।

(ङ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का परिव्यय अभी विचाराधीन है।

धान सम्बन्धी पैकेज प्रोग्राम

564. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने जिलों में धान सम्बन्धी पैकेज प्रोग्राम लागू कर दिया गया है ;

(ख) इस कार्यक्रम पर अब तक कितना खर्च हुआ है तथा अब तक कितनी सफलता मिली है ;

(ग) इन जिलों में अनाज के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार शेष जिलों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्रत्येक राज्य में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के लिये, जिस में धान के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, चुने गये जिलों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	चुने गये जिलों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	10
2. आसाम	6
3. बिहार	5
4. गुजरात	4
5. केरल	3
6. मद्रास	4
7. मध्य प्रदेश	3
8. महाराष्ट्र	12
9. मैसूर	2
10. उड़ीसा	4
11. पंजाब	5
12. उत्तर प्रदेश	4
13. पश्चिम बंगाल	9
कुल	71

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में पांडिचेरी के दो खंड भी शामिल हैं।

(ख) 1964–65 में कार्यक्रम की क्रियान्विति पर किये गये वास्तविक व्यय की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

(ग) चुने हुए जिलों में फसल में हुई वास्तविक वृद्धि के सम्बंध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) कार्यक्रम में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाये, इसके लिये राज्य सरकारों ने निम्न बातों को ध्यान में रखा है :—

(एक) यथासंभव अधिकाधिक क्षेत्र में जल-सम्भरण सुनिश्चित करना।

(दो) चुने हुए क्षेत्रों में कम से कम प्राकृतिक विपदाएं जैसे कि बाढ़ की आशंका, मिट्टी संरक्षण की भीषण समस्याएं, मिट्टी का खारापन आदि।

(तीन) तुलनात्मक अधिक विकसित ग्राम संस्थाएं जैसे कि सहकारी समितियां और पंचायतें।

(चार) प्रशिक्षित जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी और जिले को लाने का विचार नहीं है। चुने हुए क्षत्रों को उर्वरक अथवा पौधा संरक्षण रसायन आदि देने के लिये काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे।

धुआं-रहित (फ्लू क्योर्ड) वरजीनिया तम्बाकू

565. **श्री म०ना० स्वामी :**

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विकास तथा विपणन बोर्ड ने धुआं-रहित वरजीनिया तम्बाकू को अन्य क्षेत्रों में उगाने का प्रयोग करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के किन जिलों तथा तालुकों में ये प्रयोग किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) नेलोर जिले में कानीगिरी और दारसी, करनूल जिले में मारकपुर और आत्माकुर और गुन्टूर जिले में गुराजाला के स्थानों पर पहले ही कुछ प्रयोग किये गये हैं और उनके अच्छे परिणाम निकले हैं। तथापि परिणामों की अग्रेतर पुष्टि की आवश्यकता है।

पशु पालन बोर्ड

566. **श्री म०ना० स्वामी :**

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु पालन बोर्ड ने पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न, अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या औंगोल नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने के लिये कोई कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ; पशुपालन अनुसन्धान बोर्ड अनसन्धान परियोजनाओं का पुनर्विलोकन नहीं करता क्यों कि यह बोर्ड केवल परिषद से वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिये राज्य सरकारों आदि से प्राप्त नई योजनाओं और विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर ही विचार करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, इस समय औंगोल नस्ल के पशुओं संबंधी ऐसी कोई अनुसन्धान योजना नहीं चल रही है, जिसके लिये धन की व्यवस्था परिषद करती हो।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

567. **श्री मि०सू० मूर्ति :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 1964-65 से जहाज बनाने का पुनरीक्षित कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : मामला अभी विचाराधीन है।

चिड़ियाघर में शेरनी की मृत्यु

568. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1965 के पहले हफ्ते में दिल्ली के चिड़ियाघर में दो शेरनियों की आपस में लड़ाई हो गई जिसके परिणामस्वरूप एक शेरनी की मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो शेरनियों में लड़ाई होने का क्या कारण था और क्या दोनों शेरनियां एक ही बाड़े में रहती थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लड़ाई 22 जून, 1965 को हुई और उसके परिणामस्वरूप एक शेरनी मारी गई।

(ख) लड़ाई का कोई कारण नहीं था। जून, 1962 में शेर का बाड़ा खुलने के बाद से दोनों शेरिनीयां एक ही बाड़े में रहती थीं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड

569. **श्री म० ना० स्वामी :**
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड स्थापित हो गया है ;

(ख) क्या किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को भी इसमें मनोनीत किया गया है ; और

(ग) इस बोर्ड के मुख्य कृत्य क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) भारत सरकार ने एक केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसमें केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) बोर्ड के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(एक) अन्तर्देशीय जल परिवहन से संबंधित मामलों पर चर्चा करना और उनका समन्वय ;

(दो) इस प्रकार के परिवहन से संबंधित समस्याओं पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मंत्रणा देना।

(तीन) अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाओं की क्रियान्विति में की गई प्रगति का समय समय पर पुर्नविलोकन करना ताकि वे शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित की जा सकें।

नेपाल से चावल की खरीद

570. **श्री दी०चं० शर्मा :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रघुनाथ सिंह : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के फालतू चावल की खरीद के लिये विचार विमर्श करने के लिये भारतीय खाद्य निगम का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में नेपाल गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बध में कोई करार हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

भारत के खाद्य निगममें वेतनक्रम

571. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खाद्य निगम द्वारा विभिन्न पदों के लिये निर्धारित वेतनक्रम केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में समान पदों के लिये निर्धारित वेतनक्रम से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से पद हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) यह निश्चित रूप से निर्धारित करना कठिन है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन कौन से पद भारतीय खाद्य निगम के पदों के बराबर हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, जिनमें निगम द्वारा निर्धारित वेतनक्रम, सरकार के न्यूनाधिक बराबर के पदों से कुछ ऊंचे हैं। यह बात आवश्यक हो गई थी क्योंकि निगम को खाद्य विभाग की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को स्थान देने के लिये विभिन्न पदों के लिये वेतनक्रमों का मानकीकरण करना आवश्यक था। जब खाद्य निगम खाद्य विभाग के काम को अपने हाथ में ले लेगा तो इनमें से बहुत से कर्मचारी खाद्य विभाग में फालतू हो जायेंगे और वे खाद्य निगम में लगाये जायेंगे। साथ हीं साथ मानकीकरण का यह भी परिणाम हुआ है कि खाद्य विभाग के कुछ वेतनक्रम निगम के कम वेतनक्रमों के बराबर कर दिये गये हैं ।

(ख) उन पदों का विवरण, जिन के खाद्य निगम में वेतनक्रम खाद्य विभाग के न्यूनाधिक बराबर वाले पदों से अधिक है, सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4605/65]

चावल की हानि

572. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जून, 1965 में केरल को भेजा गया बहुत सा चावल ठीक प्रकार से न रखे जाने के कारण वर्षा से खराब हो गया था ;

(ख) क्या यह बिगड़ा हुआ चावल उपभोक्ताओं को बेचा गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अपेक्षित संख्या में छतवाले मालडिब्बे मिलने में कठिनाई होने के कारण आन्ध्रप्रदेश में जमा किये गये कुछ चावल को खुले माल डिब्बों (बाक्स टाइप माल डिब्बों समेत) में केरल ले जाना आवश्यक था। यह चावल तिरपाल से अच्छी तरह ढका हुआ था और रास्ते भर इस की रक्षा की गई थी और विशिष्ट गन्तव्य स्थानों पर केवल ब्लाक रेलों में ले जाया गया। इतनी देखभाल के बावजूद भी कुल 33,000 टन में से 443 टन माल जून 1965 में आन्ध्र प्रदेश से केरल ले जाया गया था; वह रास्ते में वर्षा से खराब हो गया। इस हानि का इस समय सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि खराब चावल की श्रेणीकरण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) खराब चावल में से केवल वही चावल उपभोक्ताओं को दिया जाता है जिसको अलग करने और श्रेणीकरण करने के पश्चात मानव उपभोग के लिये ठीक समझा जाता है और प्रमाणित किया जाता है। उपभोक्ताओं को ऐसा कोई खराब अनाज नहीं दिया गया जो मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं था।

(ग) इस अनाज को ले जाने में क्या कोई लापरवाही बर्ती गई थी, इस बात की जाच खाद्य निगम, रेलवे प्राधिकार के परामर्श से करेगी।

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों का सम्मेलन]

573. **श्री हेमराज :**
श्री दे० जी० नायक :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों का हाल में श्रीनगर में एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श हुआ तथा उनके बारे में क्या निर्णय किया गया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी : पंचायती राज का क्षेत्र और विषय, पंचायत राज संस्थाओं के लिये चुनाव के तरीके, उनके वित्त और लेखापरिक्षण की व्यवस्था, प्रोत्साहन और परीत्राण प्रशिक्षण और शिक्षा, युवकों और महिलाओं के लिये कार्यक्रम, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, कमजोर वर्गों के लिये विशेष कार्यक्रम, व्यावहारिक आहारपोषण कार्यक्रम और चतुर्थ योजना में सामुदायिक विकास का दृष्टिकोण। सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

Rasra Cooperative Sugar Mill

574. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 498 on the 2nd March, 1965 and state :

(a) whether Rasra Cooperative Sugar Mill has not been given licence so far ; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Due to limited rupee finance availability with the Industrial Finance Corporation, only 10 new sugar factories are being licensed at present, one of which will be in U.P. The case of Rasra Cooperative can be considered when it is decided to license more factories.

दिल्ली दुग्ध योजना

575. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध योजना में अब तक कुल कितनी पूंजी लग चुकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : 31–3–65 तक दिल्ली दुग्ध योजना में किया गया कुल विनियोजन ईस प्रकार है :

1. संयंत्र और उपकरण	211.38 लाख	रु०
2. इमारतें और वातानुकूलन	91.23 लाख	रु०
कुल	302.61 लाख	रु०

अनुसूचित जातियों का उत्थान

576. **श्री सोलंकी :**

श्री प्र०के० देव :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान व शिक्षा के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने अब तक किन किन स्थानों का दौरा किया है ; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक देगी ?

सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने अभी तक महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का दौरा किया है और निम्न स्थानों पर गई है :—

महाराष्ट्र

नागपुर, मोरगो, अमरावती, वर्धा, नासिक, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, शोलापुर, पूना, ठाणा और बम्बई।

दिल्ली

अलीपुर ब्लाक, लामपुर गांव, पुंठ खर्द गांव, खेड़ा गढ़ी गांव, किन्गज़ वे कैम्प, नई दिल्ली के कुछ कल्याण केन्द्र, मैहरौली ब्लाक और नजफगढ़ ब्लाक।

(ग) 6 मास के भीतर।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें

577. **श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री प्र०चं० बरुआ :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में भारत में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं के विभिन्न मार्गों पर कितने प्रतिशत विमान मंजिल पर देर से पहुंचे तथा कितनों ने देर से उड़ानें कीं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मई और जून 1965 में इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कमशः 8.5 और 12.7 प्रतिशत विमानों ने (30 मिनट से अधिक) देरी से उड़ानें कीं। जुलाई 1965 से संबधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए।

विमानों के देर से आने के संबध्र में इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन जानकारी नही रखती।

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन

578. **श्री श०ना० चतुर्वेदी :**

श्री कनकसबै :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 17 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि कार्यक्रम सम्बधी संयुक्त केंद्रीय दल की सिफारिशों पर जिसने मई, 1964 में उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : 1964-65 में उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि उत्पादन कार्यक्रम संबंधी संयुक्त केन्द्रीय दल की मुख्य सिफारिशों तथा उनपर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5606/65**]

लकड़ी तथा अपशिष्ट पदार्थों का खाद के रूप में उपयोग

579. **श्री स०चं० सामन्त :**

श्री सुबोध हंसदा :

श्री म०ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लकड़ी तथा अपशिष्ट पदार्थों को खाद के बजाये ईंधन के रूप में प्रयोग करने में धीरे धीरे कमी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ताकि खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 90 लाख टन वृद्धि हो सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : लकड़ी को खाद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अनुमान यह है कि "अपशिष्ट पदार्थ" शब्द को गोबर और खत तथा घर की अन्य अपशिष्ट वस्तुओं के लिये इस्तेमाल किया जाता है। गोबर और फार्म के अपशिष्ट पदार्थों को जलाने की प्रथा को रोकने और खाद के रुप में उसका अधिक से उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने निम्न पग उठाये हैं।

(एक) कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये स्थानीय खाद संसाधनों (गोबर, लीद, कुड़ा कर्कट, पत्ते तथा अन्य गली सड़ी सब्जियों, आदि) के अधिक तथा उत्तम उपयोग के लिये एक योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आयोजनाओं में शामिल की गई है। आशा है कि 1965-66 में लगभग 1280 लाख टन कम्पोस्ट खाद तैयार की जायेगी जिससे कि 32 लाख टन अधिक अनाज पैदा हो सकेगा।

(दो) गोबर गैस संयंत्रों को लगाने के लिये प्रचार किया जा रहा है, जो कि किसान की इन्धन और खाद दोनों की आवश्यकता पुरा करता है।

(तीन) गांवों में सांझी भूमि, बंजर भूमि और खेतों की सीमाओं पर शीघ्र उगने वाले वृक्षों को लगाने की योजनाओं के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(चार) राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे लकड़ी के कोयला के डिपो और जखीरे स्थापित करने के संबंध में उदार नीति अपना कर इस कोयले के अधिक इस्तमाल को प्रोत्साहन दे।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनसन्धान परिषद के एक अध्ययन के अनुसार देश में कुल मिलाकर गीला गोबर 13,350 लाख टन होता है जो कि 2,670 लाख टन सूखे गोबर के बराबर होता है। परिषद ने अनुमान लगाया है कि सूख गोबर में से 522 लाख टन (कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत) को ईन्धन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

मूषक नियंत्रण

580. **श्री स०चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म०ला० द्विवेदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दे०जी० नायक :
श्री पु०र० पटेल :
श्री नरेन्द्र सिंहजी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष के उस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने देश में मूषक-नियंत्रण विधान लागू करने के लिए बंगलौर में हुई फसल की कटाई के बाद अनाज की ढुलाई, आदि सम्बन्धी गोष्ठी में दिया था;

(ख) गोष्ठी में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या प्राकृतिक तथा रासायनिक उर्वरक और बीज की कमी जैसी किसानों की बुवाई-समस्याओं सम्बन्धी गोष्ठी आयोजित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) गोष्ठी में मूषक नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं :—

(एक) राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम की तरह चूहों तथा नाशक कीटों को समाप्त करने तथा भंडारावस्था में मूषकों द्वारा की जाने वाली क्षति को पूर्णतया रोकने के लिये एक व्यापक तथा राष्ट्र-व्यापी आन्दोलन चलाया जाना चाहिये।

(दो) राष्ट्रीय मूषक-नियंत्रण समिति को देश में चूहों का नाश करने हेतु तेज़ी से कार्यवाही करने के लिये कहा जाना चाहिये।

(तीन) मूषकों तथा पक्षियों पर नियंत्रण करने के लिये केमोस्टरीलेंटों की खोज़ की जानी चाहिये तथा तकनीकी विशेषज्ञों के एक निकाय के मार्ग-दर्शन में राष्ट्रीय स्तर पर चूहों का सफाया करने का एक आन्दोलन चलाया जाना चाहिये।

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन किया गया है कि वह राष्ट्रीय मूषक नियंत्रण समिति को चूहों तथा अन्य नाशक कीटों का सफाया करने तथा राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम की तरह ही चूहों द्वारा अनाज को पहुंचाई जाने वाली क्षति को पूर्णतया रोकने के लिये एक राष्ट्र-व्यापी आन्दोलन चलाने के लिये कहे।

(घ) निकट भविष्य में एक ऐसी गोष्ठी आयोजित करने का कोई विचार नहीं है। गोष्ठी में की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

बिहार को मक्का की बिक्री

581. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने बिहार सरकार को हाल में 72 रुपये से 74 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से मक्का बेची है जब कि उसने यह मक्का किसानों से 35 रुपये से 37 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से खरीदी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : जी नहीं।

भूमि-सुधार सम्मेलन

582. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म०ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 121 से भी अधिक राष्ट्रों का एक भूमि-सुधार सम्मेलन रोम में हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इसमें भाग ले रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : सम्मेलन अगले वर्ष जून-जुलाई में होगा। विदेशी मुद्रा संबंधी वर्तमान कठिनाइयों को देखते हुए हम सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे। भारत अपने अनुभवों पर आधारित कागजात वहां भेज देगा।

मजदूर बैंक

583. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मजदूर बैंक स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : अपेक्षित सूचना राज्यों से एकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वन सम्पत्ति का विकास

584. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी का उत्पादन लक्ष्य प्रत्याशित मांग से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में वन-सम्पत्ति का विकास करने के लिये यदि कोई योजनायें बनाई गई हैं, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी का अनुमानित उत्पादन इसकी प्रत्याशित मांग से कम होने की संभावना है।

(ख) देश में इमारती लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिये तीसरी पंच-वर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई थीं और उनको चौथी पंच-वर्षीय योजना में भी शामिल करने का विचार है।

(1) लाभकारी वृक्षारोपण : इस योजना के अन्तर्गत, जिसका खर्चा राज्य सरकारें उठा रही हैं, 1961–1964 की अवधि में 331147 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए वृक्षारोपण किया गया है। तीसरी योजना की बाकी अवधि (1964–66) में तीन लाख एकड़ भूमि पर वृक्ष लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त चौथी योजना में आठ लाख एकड़ भूमि पर वृक्ष लगाने का विचार है।

(2) शीघ्र उगने वाले किस्मों के वृक्षों का लगाया जाना : इस योजना को केन्द्र द्वारा चलाया गया है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र राज्यों को 100 प्रतिशत अर्थ सहायता देता है। इस योजना के अन्तर्गत 1961–64 की अवधि में 68,032 एकड़ भूमि में औद्योगिक उपयोग वाले और शीघ्र उगने वाले वृक्षों को लगाया गया था और यह अनुमान है कि तीसरी योजना की बाकी अवधि में 1,00,000 एकड़ और भूमि पर वृक्ष लगाये जाएंगे। चौथी योजना में 10 लाख एकड़ भूमि पर वृक्ष लगाने का विचार है।

लाल किल्ले में ध्वनि तथा प्रकाश चित्र

585. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाल किले में 'ध्वनि तथा प्रकाश चित्र' का फिर से प्रदर्शन आरम्भ कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) क्या अन्य शहरों की ऐतिहासिक इमारतों में इसी प्रकार के चित्रों का प्रदर्शन करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1965 में।

(ग) कुछ और ऐतिहासिक इमारतों में 'ध्वनि तथा प्रकाश चित्र' का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2

586. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

डा० रानेन सेन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2 (विवेकानन्द पुल से आदिसप्तग्राम तक ग्रांड ट्रंक रोड का उपमार्ग) के अविद्यमान भागों का निर्माण कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के कब तक पूरा किये जाने की आशा है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2 (विवेकानन्द पुल से आदिसप्तग्राम तक ग्रांड ट्रंक रोड का उपमार्ग) का कोई भी भाग अविद्यमान नहीं है। इस अनुभाग में ग्रांड ट्रंक रोड के यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिये बल्ली (हावड़ा जिला में) पर विवेकानन्द पुल से सप्तग्राम (हुगली ज़िला में) के बीच एक उपमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसपर 382.40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस कार्य में कई ऊपरी पुल तथा मार्गसेतु शामिल हैं। 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आशा है कि यह परियोजना दिसम्बर, 1966 के अंत तक पूरी हो जायेगी।

6—19 Lok Sabha/65

बम्बई बन्दरगाह में जहाजों से अनाज उतारना

587. **श्री बसवन्त :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज उतारने के लिये गोदियों में बहुत कम जगह है; और

(ख) क्या नई गोदी बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) चूंकि बम्बई बन्दरगाह पर यातायात बहुत अधिक है अत: सभी लंगरस्थान अरिक्त रहते हैं और सामान्यता कुछ जहाजों को लंगरस्थानों के रिक्त होने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आगमन की पूर्वता के अनुसार ही लंगर-स्थानों का नियतन करने का नियम है। परन्तु खाद्य वाले जहाजों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। खाद्य वाले जहाजों के लिये पूर्वता के आधार पर तीन लंगरस्थान नियत किये गये हैं। वास्तव में दोहरी बैंकिंग द्वारा चौथे जहाज में से भी माल उतारने की व्यवस्था है। अलेग्ज़ेंडर गोदी में गेहूं के जहाजों के लिये रक्षित दो लंगरस्थानों संख्या 7 तथा 12 में माल उतारने वाली मशीनें लगी हुई हैं। यह आवश्यक है कि मशीनों को अत्यधिक संतोषजनक ढंग से चलाकर इन दो लंगरस्थानों से अधिकतम लाभ उठाया जाय ताकि उन से प्रतिदिन अधिक से अधिक माल उतारा जा सके। यह भी अनिवार्य है कि शेडों से भी माल की निकासी के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये जाने चाहियें क्योंकि अन्यथा माल जमा रहने से भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि इन आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाय तो बम्बई बन्दरगाह में प्रत्यक महीने में काफी अनाज उतारा जा सकता है जिसका वास्तविक परिमाण पूर्णतया मशीनों को चलाने तथा माल की निकासी की कुशलता पर निर्भर करती है।

(ख) बम्बई बन्दरगाह के पूर्वी भाग में भारी नौभार को उतारने के लिये एक उपयुक्त स्थान में अतिरिक्त लंगरस्थानों की व्यवस्था करने की संभाव्यता के बारे में इस समय विचार किया जा रहा है। नव/शव क्षेत्र में, जोकि बन्दरगाह के उस पार है तथा वर्तमान गोदी व्यवस्था से 6–7 मील दूर है, एक नयी गोदी व्यवस्था का निर्माण करने की रूपरेखा तयार की जा रही है। ऐसा करने से विद्यमान गोदी व्यवस्था में सामान्य नौभार को उतारने में पूरी सहायता मिलेगी।

नेपाल को चने का निर्यात

588. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, 1965 में नेपाल को 15,000 क्विंटल चना भेजने के लिये पंजाब सरकार को हिदायतें भेजी; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल को चना किस दर पर दिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, 1965 में पंजाब से नेपाल के लिये 15,000 क्विंटल चने की दाल नियत की थी। नेपाल सरकार के नामनिर्देशित व्यक्तियों ने पंजाब में प्रचलित बाजार भावों पर इसे अपने आप खरीदना था। नेपाल सरकार के नामनिर्देशित व्यक्तियों ने अभी तक चने की कोई खरीद नहीं की है।

Scholarships to Harijan Adivasi Students

589. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision that scholarships to Harijan Adivasi students for higher education will be awarded only to those who have secured more than 40 per cent marks; and

(b) if so, whether this decision will not impede their uplift?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (**Smt. Chandrasekhar**) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भू-कृषि

590. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुआपट्टी क्षेत्र में स्विटजरलैण्ड की सहायता से आरम्भ की गई परियोजना में भू-कृषि तथा पशुपालन में भारतीयों को प्रशिक्षण देने में जो प्रगति हुई है क्या वह सन्तोष-जनक है; और

(ख) यदि हां तो, क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 पर पुलों का निर्माण

591. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 के गाजोल-रायगांजो भाग पर पुलों का निर्माण हो गया है; और

(ख) क्या सड़क का यह भाग राज्य बसों के आने जाने के लिये खोल दिया गया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

महानन्दा नदी पर पुल का निर्माण

592. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानन्दा नदी पर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 के पुल का निर्माण पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण-कार्य कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ग) क्या झुके हुए स्तम्भों को सीधा कर दिया गया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) तथा (ख) : थोड़े पैदल रास्तों को पूर्ण करने, नियामक-बांध के लिये मिट्टी के कुछ काम तथा स्थान को साफ करने आदि छोटे-छोटे कार्यों को छोड़कर, जो शीघ्र ही पूर्ण होने वाले हैं, पुल प्रायः तयार हो चुका है। इस बीच हल्की गाड़ियों को पुल के ऊपर से गुजरने की इजाजत दी गई है।

पुल को शीघ्र ही सभी प्रकार के यातायात के लिये खोल दिया जायेगा।

(ग) कोई भी स्तंभ झुका नहीं था। खुदाई के दौरान कुछ नींव वाले कुओं की दीवारें झुक गई थीं। उन के ऊपर खम्ब खड़े करने से पूर्व ही उन झुकावों को सीधा कर दिया गया था।

Writ petitions on Kutch Agreement

593. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that writ petitions have been filed in some Courts against the Kutch Agreement;

(b) if so, the number of petitions on which judgements have been pronounced; and

(c) the number of petitions still pending?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) to (c). The information is being collected. The subject matter relates to the Ministry of External Affairs and a final reply will be given by the Minister for External Affairs in due course.

Sugar Mill in Ghazipur District

594. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether a proposal to set up a co-operative sugar mill in Ghazipur district (Uttar Pradesh) is under the consideration of Government ; and

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B.S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal envisages a cooperative sugar mill with a daily cane crushing capacity of 1250 tons. The estimated capital cost would be nearly Rs. 180 lakhs.

टैपिओका और मक्का का उत्पादन

595. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टैपियोका और मक्का का कुल वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने एक फैलर प्रतिष्ठान के सहयोग से मिश्रित मक्का उगाने की एक योजना आरम्भ की है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1964–65 में मक्का का तथा 1962–63 में टैपियोका का कुल उत्पादन क्रमश: 4558 हजार मीट्रिक टन तथा 1799 हजार मीट्रिक टन था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मक्का उगाने की समन्वित योजना के अन्तर्गत अभी तक मिश्रित मक्का की व किस्में बनाई गई हैं तथा क्षेत्रीय आधार पर सामान्य खेती के लिये इन किस्मों का मक्का दिया गया है। 1964–65 में 12,276 क्विंटल मिश्रित मक्का बीज का उत्पादन किया गया था जोकि 2,04,602 एकड़ भूमि के लिये काफी रहेगा ।

पश्चिम तटीय सड़क के उपमार्ग

597. **श्री अ०व०राघवन** :

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मन्त्री 8 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम तटीय सड़क पर बड़ागडा, तेल्लीचेरी और माहे में उपमार्ग बनाने में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन): केरल राज्य में पश्चिम तटीय सड़क पर बड़ागडा, तेल्लीचेरी और माही में उपमार्ग बनाने की स्थिति नीचे दी जाती है :—

बड़ागडा उपमार्ग : प्रस्तावित उपमार्ग के निर्माण का प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। भूमि अर्जन के कार्य में भी प्रगति हो रही है।

तेल्लीचरी उपमार्ग : भूमि अर्जन के लिये प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

माही उपमार्ग : केरल में पश्चिम तटीय सड़क के विकास के अनुमोदित कार्यक्रम में यह कार्य शामिल नहीं है। यदि धन उपलब्ध हो गया तो इस कार्य को चौथी योजना में शामिल करने के बारे में विचार किया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रानीगंज रेलवे स्टेशन के निकट पेट्रोल के एक वैगन में विस्फोट के समाचार

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I call the attention of Minister of **Railways** to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Reported explosion in a petrol wagon near Raniganj railway station resulting in the death of two persons and injuries to about 330 persons".

The Minister of State in the Ministry of Railway (Dr. Ram Subhag Singh) : In the evening of 12th August, 1965 a little after 4 Bajbaj special 270 Down which had 18 oil wagons was noticed to have caught fire. The Assistant Station Master noticed this fire. He showed the red signal to the driver. The train was at once halted. The first 60 goods wagons were immediately detached. Fire brigade was sent for from Asansol and Raniganj. At about 4.40

[Dr. Ram Subhag Singh]

pm. oil tankaer wagon burst. The nearby oil wagons were also damaged. Those wagons could not be detached, because of intense heat. The fire brigades from Asansole reached the spot at about 5-10 and 5-25 respectively. The diffusers of fire brigade were put into use at 5-30, and at about 9 fire was brought under control. The fire had spread in the nearby huts and Numcha coal siding. Three persons died in this fire and 380 persons were injured. Most of them were outsiders who had collected there to see the fire. 54 persons were discharged after first-aid and 329 persons were admitted in various hospitals for treatment. On 19th August, 241 were discharged from hospital and 88 person are progressing in hospital.

Railway's estimate of loss is rupees 59,550. About 78,000 litres worth Rs. 66,300 was destroyed. Property worth Rs. 3,36,000 was saved. An Enquiry Committee consisting of senior officers has been constituted and it has once met on 16-8-1965. The cause of fire is not known. It does not seem to be handiwork of saboteurs.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it not an act of sabotage?

Has any compensation been paid by Government to the victims, if so, how much has been paid or is proposed to be paid?

Dr. Ram Subhag Singh : As I said that those persons were spectators, the whole question is under investigation.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) **:** Whether the families of the three persons who have died given some help?

Dr. Ram Subhag Singh : Had they been railway passengers, they would have been given help by Railway. In this case they were only spectators. It was not proper for them to have collected there.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्द शहर) : क्या रेलवे कर्मचारियों ने उन लोगों को वहां से हटाने के लिये कोई कार्यवाही की थी और क्या उन को चेतावनी दी गई थी ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक छोटासा स्टेशन है। वहां रेलवे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और यह घटना बाहरी सिगनल के पास हुई अत: उचित चेतावनी देना संभव नहीं था। हां, स्टेशन मास्टर ने आसनसोल और राणीगंज से दमकल मंगाये।

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटनास्थल के पास की झोंपड़ियों में रहने वालों को क्षति हुई और वे इस से जख्मी हुए है; यदि हां, तो क्या सरकार ने उन की क्षतिपूर्ति के लिये कोई कार्यवाही की है ?

डा० राम सुभग सिंह : इन मे एसे लोग थे जो पास रहते थे और बाहर से आये हुए भी थे। अभी कोई निर्णय नहीं किया गया। जांच समिति इस पुरे मामलेपर ध्यान दे रही है।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

इन्दोर पुलिस द्वारा लोक सभा को भेजी जाने वाली याचिका का जब्त किया जाना

श्री दाजी (इन्दौर) : आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव विशेषाधिकार के भंग होने के बारे में प्रस्तुत करता हूं :—

"इन्दौर के सब-इंसपैक्टर पुलिस, श्री भदोरिया ने एक व्यक्ति श्री संतोष खरदे को गिरफ्तार किया और उस के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ की और उन से

लोकसभा के नाम दो याचिकाओं के दो फार्म छीन लिये। उन फार्मों में विद्यार्थियों की रिहाई और इन्दौर के कालिजों को पुनः खोलने की मांग की गई थी। यह कार्यवाही श्री खरदे को हस्ताक्षर प्राप्त करने से रोकने के लिये और अन्य लोगों को ऐसा न करने के लिये डराने के लिये की थी। लोकसभा को याचिका का प्रस्तुत करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और श्री भदौरिया की कार्यवाही का उद्देश्य इंदौर के नागरिकों को अपने संसद् सदस्य से पत्रव्यवहार करने से रोकना था। इस प्रकार यह सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है।

श्री भदौरिया को दोषी ठहराया जाये और इस के लिये दण्ड दिया जाये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैंने आज प्रातः वहां के ज़िलाधीश से टेलीफोन पर बात की है। मुझे बताया गया है कि उन्हें इस की पूरी जानकारी नहीं है। वह तथ्यों को एकत्र कर रहे हैं। यह यथाशीघ्र किया जायेगा। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो यह अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : यह अपनी किस्म का नया मामला है। इसे विशषाधिकार समिति को सौंपा जायेगा। समिति इस बात को देखेगी कि क्या एसी बात हुई और क्या इस से विशषाधिकारों की उल्लंघन हुआ है।

श्री हनुमन्तैय्या (बंगलौर-नगर) : जी नहीं, इसे समिति को नहीं सौंपा जा सकता। एक तो माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि हमें अभी तक तथ्यों का पता नहीं है और दूसरे याचिका का बहाना भी हो सकता है। इस कारण से कि उन के पास याचिका थी उन को किसी और जुर्म में पकड़ा जा सकता है। इन विषयों पर पहले विचार होना चाहिये।

श्री रंगा (चितूर) : श्री हनुमन्तैय्या की बात ठीक मालूम होती है। हमे गृह-कार्य मंत्री द्वारा तथ्य उपलब्ध करने तक इस विषय को स्थगित करना चाहिये। उस के पश्चात् हम निर्णय कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I support your suggestion. I feel this matter should be referred to the Privileges Committee.

Shri Bade (Khargone) : I support your suggestion. An hon. Member of this House has stated and a *prima-facie* case is there. It should be referred to the Committee.

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमान् मैं आप से सहमत हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये। यह जांच समिति को करनी चाहिये और मंत्री महोदय को नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वे तथ्य उपलब्ध करेंगे ; अतः हम दो दिन तक प्रतीक्षा करेंगे।

श्री जगन्नाथ राव : हमे पहले तथ्य मालूम करने चाहियें। उस के पश्चात् इस को समिति को भेजा जाये। यदि किसी व्यक्ति ने जुर्म किया हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के पास लोक-सभा को देने वाली याचिका होने से उसे सभी जुर्मों के लिये मुक्त नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैं चाहता था कि समिति इन सब बातों पर विचार करे।

श्री हनुमन्तैय्या : जब तक आप यह नहीं कहते कि यह मामला समिति को भेजने योग्य है इसे उस के पास नहीं भेजना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं चाहूं तो सीधे ही इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकता हूं और उस की राय जान सकता हूं। परन्तु अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

श्री नन्दा : मैं एक दो दिनों में जानकारी प्राप्त कर के बता दूंगा। हो सकता है कि उस व्यक्ति को किसी और कारण गिरफ्तार किया गया हो (**अन्तर्बाधायें**)।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चलचित्र संशोधन नियम, 1964

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति, जो दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1396 में (जो दिनांक 9 जनवरी, 1965 की जी०एस०आर० 86 द्वारा शुद्ध की गई) प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल०टी० 4588/65।]

केरल राजपत्र में अधिसूचना

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम): मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए, उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 77 के अन्तर्गत एस०आर०ओ० 186/65 जो दिनांक 11 मई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस में वन बन्दोबस्त नियम, 1965 दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4589/65।]**

(दो) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, केरल भूमि विकास, अधिनियम, 1964 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 282 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस में केरल भूमि विकास योजना नियम, 1964 दिये गये है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4590/65।]**

मोटर गाडी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (1) मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ-19.(10)/64-पी०आर० (टी) जो दिनांक 11 मार्च, 1965 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस में दिल्ली पर्यटक गाड़ी नियम, 1965 दिये गये है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० 12 (76)/60-62-पी० आर० (टी) जो दिनांक 11 मार्च, 1965 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस में दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 दिये गये है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4591/65]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए केरल के राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये थे :—

(एक) एस०आर०ओ० 200/64 जो दिनांक 30 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस०आर०ओ० 224।64 जो दिनांक 28 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) एस०आर०ओ० 229।64 जो दिनांक 4 अगस्त, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (दिनांक 2 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी०ओ०एम०एस०।31 पी०डब्ल्यू० द्वारा शुद्ध की गई।)

(चार) एस०आर०ओ० 246।64 जो दिनांक 18 अगस्त, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी०ओ०एम०एस० 248।पी०डब्ल्यू० जो दिनांक 1 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) एस०आर०ओ० 274।64 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) एस०आर०ओ० 343।64 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) एस०आर०ओ० 344।64 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) एस०आर०ओ० 342।64 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) एस०आर०ओ० 12।65 जो दिनांक 12 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) जी०ओ०एम०एस० 7।पी०डब्ल्यू० जो दिनांक 19 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) एस०आर०ओ० 42।65 जो दिनांक 16 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) एस०आर०ओ० 62।65 जो दिनांक 23 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) जी०ओ०एम०एस० 40।पी०डब्ल्यू० जो दिनांक 2 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) एस०आर०ओ० 123।65 जो दिनांक 23 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) एस०आर०ओ० 135।65 जो दिनांक 30 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्तरह) एस०आर०ओ० 160।65 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठारह) एस०आर०ओ० 170।65 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) एस०आर०ओ० 232।65 जो दिनांक 1 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[श्री राज बहादुर]

(बीस) एस०आर०ओ० 226।65 जो दिनांक 1 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(इक्कीस) एस०आर०ओ० 230।65 जो दिनांक 1 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बाईस) एस०आर०ओ० 228।65 जो दिनांक 1 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेईस) एस०आर०ओ० 250।65 जो दिनांक 15 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौबीस) एस०आर०ओ० 261।65 जो दिनांक 22 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पच्चीस) एस०आर०ओ० 267।65 जो दिनांक 29 जन, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4592।65]**

(3) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति और व्याख्यात्मक टिप्पण:—

(एक) भारतीय विमान (दूसरा संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 15 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 711 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय विमान (तीसरा संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 5 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 807 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय विमान (चौथा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 31 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1087 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4593।65।]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(4) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 17 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 743 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मद्रास मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 21 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 761 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पश्चिमी बंगाल अत्यावश्यक वस्तुयें (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) नियंत्रण, आदेश 1965, जो दिनांक 26 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 779 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अन्तःक्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 26 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 780 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 27 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 781 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) दिनांक 3 जून, 1965 की जी०एस०आर० 810।

(सात) आंध्र प्रदेश चावल तथा धान (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 15 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 864 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) पांडिचेरी मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 16 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 865 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) दिनांक 1 जुलाई, 1965 की जी०एस०आर० 926 जो दिनांक 16 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 636 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा महाराष्ट्र तथा गुजरात चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1964 को रद्द किया गया था।

(दस) गेहूं बेलन आटा मिलें (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 6 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 960 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) दिनांक 30 जुलाई, 1965 की जी०एस०आर० 1098।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4594/65]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

कार्यवाही–सारांश

श्री प० गो० मेनन (मुकुन्दपुरम) : मैं हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, के रूरकेला इस्पात कारखाने के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1965-66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1965-66

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : मैं केरल राज्य के संबंध में 1965-66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल), 1961-62

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (KERALA), 1961-62

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) : मैं केरल राज्य के संबंध में 1961-62 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव–जारी

MOTION OFNO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

श्री खाडिलकर (खेड) : श्री मसानी ने कल देश की आर्थिक अस्थिरता की बात की थी। कल मैं उनकी तर्कों का उत्तर नहीं दे सका था। मेरा मत यह था कि यह प्रस्ताव केवल विरोधी दलों की विकृति का ही द्योतक है। और न ही इस सदन में ओर न ही देश भर में इस प्रस्ताव को गम्भीरता से लिया ही जायेगा। परन्तु इस अवसर का लाभ उठाकर हमें तनिक आत्मावलोकन अवश्य करना चाहिये, और अपनी वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना ही चाहिए।

[श्री खाडिलकर]

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय देश की सबसे विकट समस्या खाद्य समस्या है। हमारे खाद्य मंत्री इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं और एक राष्ट्रीय खाद्यनीति के निर्माण में लगे हैं। उन्होंने हमारे सामने एक विवरण रखा है, और हमें उसका अध्ययन करना है। खाद्य के मामले में आज सारे देश में एक भारी असन्तोष पाया जाता है। इसको लेकर आन्दोलन चल रहे हैं, बलवे हो रहे हैं। अतः इस समस्या को, 'यह हो रहा है', 'वह हो रहा है' करके समाप्त नहीं किया जा सकता। खेद की बात यह है कि हमारे माननीय खाद्य मंत्री तो इस दिशा में काफी क्रियाशील हैं, परन्तु हमारी राज्य सरकारें इस दिशा में कुछ नहीं कर रहीं। उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वह प्रभावहीन हो रहे हैं। समस्या का ठीक और प्रभावशाली हल नहीं निकाला जा रहा। देश की सामूहिक अर्थ व्यवस्था को दृष्टि में न रख कर लोगों की वत्ति राज्य की अर्थ व्यवस्था को ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समझने की हो रही है। अतः मेरा कहना है कि यह बहुत बुरी बात है केन्द्र को देश की राजनीतिक और आर्थिक एकता और अखण्डता को कायम रखना है, और उसके लिये उसे पूरे तौर पर कदम उठाना होगा। सारे राज्यों की सरकारों को केन्द्रीय सरकार के अनुशासन में रहना होगा। मेरा अनुरोध है कि ऐसा समय आ गया है कि हमें अपनी नयी आर्थिक नीति का निर्माण कर उसे तुरन्त कार्यान्वित करना होगा।

इसके लिये हमें कुछ पग उठाने होंगे। मेरा सुझाव यह है कि अनिवार्य कर लागाना चाहिये। उन लोगों से उत्पादन का 25 प्रतिशत ले लिया जाना चाहिये जिनके पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है। और उसे मंडी में ले आया जाना चाहिये। गैर सरकारी व्यापार साधनों को ठप्प नहीं किया जाना चाहिये। हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि हमारे राज्यों के पास इस समय पर्याप्त साधन नहीं हैं। सारी मंडी को और इस दिशा के सारे व्यापार को राज्य सरकारें नहीं सम्भाल सकतीं। मेरा तो यह भी मत है कि यदि आवश्यक हो तो इसके लिये संविहित उत्तरदायित्व भी ले लेना चाहिये ताकि बड़े बड़े नगरों को औद्योगिक केन्द्रों को अपेक्षित खाद्य दिया जा सके। यह क्षेत्रीय प्रणाली को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर देना चाहिये। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सारे देश को एक आर्थिक एकक माना जाना चाहिये। कोई भी स्थानीय अर्थ व्यवस्था के विचार को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। खुले बाजार में व्यापार की अनुमति दी जानी चाहिये। मेरा विचार यह है कि यदि मेरे इन सुझावों को कार्यान्वित न किया गया तो स्थिति बहुत ही खराब हो जायेगी। हमारी पुलिस के बस में भी इसे सम्भाल सकना असम्भव होगा।

हमें आज सीमाओं पर चुनौती मिल रही है, यह भी हमारी एक मुख्य समस्या है। इस खतरे को देखते हुए मेरा विचार यह है कि हमें सब को अपने मतभेदों को भूलकर एक हो जाना चाहिये। पाकिस्तान का खतरा एक स्थायी खतरा है। इसे निरनार बने रहना है। हमें इसका मुकाबला पूरी शक्ति, साहस और निश्चय से करना होगा। अपने सारे साधन इस कार्य में लगाने होंगे। और इस कार्य को हम उसी हालत में ही सफलता पूर्वक कर सकते हैं यदि हमें अन्दर पूर्ण रूप से एकता की भावना हो। पाकिस्तान को मज़ा चखा कर एक नये इतिहास का निर्माण करना चाहिये। हमें अपने शत्रुओं को बता देना चाहिये कि यदि हमारी सीमाओं पर किसी ने आक्रमण करने का साहस किया तो हमें उसे पीस कर रख देंगे।

आज संसार युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वियतनाम में हालात बिगड़ रहे हैं। ब्रिटन और रूस सामने नहीं आ रहे हैं। भारत का नेतृत्व भी उस प्रकार अपना कार्य नहीं कर रहा जिस प्रकार कि वह पीछे करता आया है। हमें इस प्रकार से अपनी तटस्थता की नीति का निर्माण करना चाहिये कि हम अमरीका की इस प्रकार की समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकें। यही वह राह है जिस पर चल कर हम लोकतंत्र तथा अपने अन्य आदर्शों की रक्षा कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा) : अविश्वास के प्रस्ताव के संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक कमज़ोर सरकार है। आज जिस गम्भीर स्थिति में से देश निकल रहा है उसकी रक्षा करना इसके बस की बात नहीं रही है। यही कारण है कि मेरे बन्धु ने इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है। लेकिन हमारे ये पदासीन बन्धु से इस प्रस्ताव उस गम्भीरता से नहीं ले रहे जिस गम्भीरता से उसे लिया जाना चाहिय। उन्हें इस बात का ज्ञान है कि उनका

बहुत अधिक बहुमत संसद में है। यह बहुत ही बुरी मनोवृत्ति है, और निन्दनीय निश्चिन्तता की स्थिति है। सारा देश खाद्य की कमी के लिये तड़प रहा है, और सर्वत्र देश में हलचल हो रही है, परन्तु हमारे महानुभाव अपने छोटे छोटे झगड़े निपटाने में लगे हैं। इनके पास इतना समय ही नहीं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न को तनिक गम्भीरता से देख लें। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इस समस्या को हल करने के लिये कुछ किया जाय। उन्होंने कभी चिन्ता ही नहीं की कि इस प्रश्न को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने के लिये क्या प्रक्रिया अपेक्षित होगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों और समस्याओं के प्रति भी उनका यही ढंडा रवैया है। यही कारण है कि देश में असन्तोष है, हलचल है, और लोग आन्दोलन करने पर बाध्य हो रहे हैं।

फसल काफी अच्छी हुई है, परन्तु कोई खाद्य नीति का निर्माण नहीं किया गया। खाद्यान्नों का आयात भी बढ़ कर दुगना, तिगूना तक जा चुका है। प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि लोगों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध होती रहेंगी, पूरा नहीं हो रहा। कीमतें कम नहीं हुई। और आश्वासनों के अनुरूप खाद्य उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। पौष्टिकता भी भोजन से कम हो रही है। जीवन अनुक्रमनिका का बन्धु निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। गत वर्षों में इस तरह की बुरी हालत लोगों की कभी भी नहीं हुई थी। आज तो वे बुरी तरह से निराश हैं और विकृत हो रहे हैं। राशन की व्यवस्था की जा रही है। मेरा मत यह है कि यह संविहित राशन व्यवस्था खाद्य समस्या का सफल और स्थायी हल नहीं है। इसके अन्तर्गत तो केवल 15 प्रतिशत लोग ही आते हैं। आप इस बात का अनुमान नहीं कर सकते कि हमारे ग्रामों में लोग कितना दुःखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सरकार को लोगों के असन्तोष और मांगों की ओर ध्यान देना होगा। हमारी बात सुननी होगी। श्री करणसिंह जी ठीक कहते हैं कि विरोधी दल एक नहीं है। पर हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को जागृत किया जाय। लोगों में प्रचलित असन्तोष को व्यक्त करने के लिये यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह से काश्मीर की घटनाओं के संदर्भ में विचार पैदा होता है। काश्मीर में जो कुछ हुआ, जो घटनायें वहां घटीं उसे देखते हुए यह आश्चर्य होता है कि वहां कोई सरकार का अस्तित्व था भी अथवा नहीं। मेरा विचार तो यही है कि जो कुछ वहां हुआ उसके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। मैं अधिक विस्तार में इस समय नहीं जाना चाहता, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है। जो भी अधिकृत समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उनसे यह पता चलता है कि काश्मीर में 8000 घुसपैठियों ने प्रवेश किया है। हमारे वहां चार गुप्तचर कार्यालय हैं। हम हजारों रुपये प्रतिवर्ष उन पर खर्च करते हैं। आश्चर्य की बात है कि यह सब होते हुए इतनी संख्या में घुसपैठिये वहां आ गये। और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वे श्रीनगर को हाथ में करने वाले थे। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें आज से दो महीने पूर्व यह रिपोर्ट नहीं मिली थी कि युद्ध विराम रेखा के उस पर गुरल्लों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्या यह खतरे का चिन्ह नहीं था? सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

पाकिस्तान ने भारत पर जो यह आक्रमण, यह केवल काश्मीर पर अलग से हमला नहीं है। यह तो भारत के लोकतंत्र तथा उसकी धर्मनिरपेक्षता को खुली चुनौती है। इसके लिये चीन और पाकिस्तान काफी अर्से से साजबाज़ कर रहे हैं। वे इस प्रकार का कार्यक्रम बना रहे हैं कि हो सकता है अक्टूबर और दिसम्बर के अन्त तक आसाम से लेकर काश्मीर की सीमा तक सभी जगह पर हमला हो जाय। पाकिस्तान और चीन, भारत पर मिल कर हमला करें। हमें यह समझना चाहिये कि काश्मीर पाकिस्तान और चीन की नजरों में एक कांटा है, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्षता का चिन्ह है। काश्मीर के लोगों की वीरता और धीरता ने इस चुनौती का बडे शानदार ढंग से उत्तर दिया है। काश्मीरियों ने वास्तव में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस युद्ध को लडा है। उन्होंने यह लडाई भारत की ओर से की है। यह बड़ा भारी सफेद झूठ है कि काश्मीर के मुसलमान भारत से अलग रहना चाहते थे। वे भारत का अविभाज्य अंग के रूप में हमेशा रहे और आगे रहेंगे। वैसे हमें इस बात के प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहना चाहिये कि भारत के किसी भी भाग में साम्प्रदायिक अशांति न फले, सर्वत्र एकता और मिलाप बना रहे। सभी समुदाय मिल कर सामान्य शत्रु का मुकाबला करें।

यह बात सचमुच बड़ी खेदजनक ही कही जानी चाहिये कि हमने कभी गम्भीरता से भारत-पास्कितान सम्बन्धों के बारे में व्यापक रूप में अध्ययन नहीं किया। हमारी कुछ गलत धारणायें थीं जिनके आधार पर कुछ गलत कार्य हुए। हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि कोई बाहर की शक्ति हमारी सहायता नहीं

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

करेगी। हमें प्रत्येक को अपना दृष्टिकोण समझाने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिये। पास्कितान के बारे में तो यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिये कि इससे हमारा शांति पूर्वक कोई भी समझौता नहीं हो सकेगा। भारत सरकार ने 1948 में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करके एक भयंकर भूल की थी, जबकि उसके सैन्य बल ने उसे इसके विपरीत ही परामर्श दिया था। 1950 में फिर हमने भूल की जबकि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का समूल नाश किया जा रहा था, और हमारी सेनाएं पूर्वी पास्कितान पर हमला करने को तैयार खड़ी थीं। हमने नेहरू-लियाकत समझौता कर लिया। इस दिशा में अन्तिम भूल कच्छ समझौता करना था। अब तो बहुत स्वर्ण अवसर था। एक ईश्वर प्रदत्त उपहार था। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह महसूस हो गया था कि पाकिस्तान ही हमलावर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य इस दिशा में बहुत निन्दनीय है। हमें अब अपने हित को देखकर कार्य करना है। हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि दुनियां क्या सोचती है। हमें आगे बढ़ना ही चाहिये और जैसे भी हो अपना 12000 वर्गमील का क्षेत्र काश्मीर का क्षेत्र वापिस लेना चाहिये। जो क्षेत्र की उसने 1948 में उसने जबरदस्ती हथिया लिया था। सरकार को यह घोषणा स्पष्ट रूप से कर देनी चाहिये कि यह हमारी नीति है और हम हर हालत में इसे कार्यान्वित करने के लिये वचनबद्ध हैं। अब पुरानी नीतियों को छोड़ देना चाहिये। यह हमारी इस मामले में राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। इस व्यवहारिक नीति के बिना असफलता ही रहेगी। राष्ट्रीय नीति का सब लोग एक आवाज से समर्थन करेंगे और बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिये भी तैयार रहेंगे।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I am of the opinion that the no-confidence motion put forward by Shri Masani is based on wrong assumptions, this is wrong to say that Shri Jawahar Lal Nehru's policies have failed. The fact is that Nehru's policies have not only been liked in this Country alone, they have been applauded even abroad. It has been stated there should be no planning, no unpost restrictions and no restriction on foreign travel. Also there should not be any restriction on the entry of the foreign capital in the Country. All these things if actually carried out will ruin the economy of the country and will give her a fatal blow.

It has been stated that the planning has not been successful. The national

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

income has not increased and therefore this Government should go. But we must understand the circumstances in which we started our plans. The critics of our plans must know that plans have considerably helpful for the increase of our national income. The British people left us in the utter poverty. Our national income has gone up by 7.3 per cent per year. This is a fact that we are passing through difficult times. There is a shortage of food grains and the prices are increasing, these problems are before everyboby today. We are all very serious about them. Nobody has so far claimed that our people are prosperous. Government is aware of these problems and they are trying very seriously to solve them. The opposition Members are repeating the same points though Government have admitted them. These things form not a solid basis for bringing no-confidence motion against the Government. It may be admitted that there have been some failings on the part of Government, then no-confidence motion is no remedy.

Shri Masani has said that average income of our countrymen per capita is 68 N.P. and 28 N.P. this may be correct, but the Swatantra Party's lamentation regarding the sad plight of the poor masses is nothing but crocodile tears. There people ultimately try to advocate the interest of the capitalist class. It is due to

their vested interest that Shri Masani says that there should not be any planning, they say, "no cut in imports, no ceiling on land and no ceiling on urban property. Government on the other hand want to raise the average income of the poor people. They also to distribute the national income equally. Government are also of the opinion that the monopoly of the 3 per cent or 5 per cent people dominating over the sources of production must go. Every thing should be evenly decentralized. This is enacting the position which my friends of the Swatantra Party cannot digest. And for this reason alone they advocate the above mentioned slogans. If this thing actually happens it will take the country back to the 19th century. And the economy that they visualise do not lead us or our country to the real progress that we require so that the living standard of the ordinary human beings may be raised. This is wrong that bigger the plan smaller the growth.

I may also submit that we should not compare our economy with that of Pakistan or of Formosa. We should not forget that they were mostly fed on American resources and practically American Colonies. Dollars are lavishly dumped there. Similarly Isrel and Japan also stand on absolutely different footing. We are spending in India huge sum of money on Education, Health and Social Security. Now, it cannot be expected to give immediate fruitful results. But if we look at this from the other point of view, it is a great national asset.

I may state that this is the most inoppurtune time for bringing the no-confidence motion against the Government. Today Country's borders have been threatened. We must at this time come forward to take up the challenge of the enemies. We should at this juncture stand united for the integrity and independence of our motherland and give wholehearted support to the Government. As far as Kashmir is concerned, our Prime Minister has already said that Kashmir is the integral part of our country and we are not prepared to discuss its sovernity. It is needed today that this policy should be firmly implemented so far our policy have only betrayed our weekness. We should properly stand up retaliate and teach a suitable lesson to Pakistan. Entire country is with the Government. If we miss this opportunity the coming generation will not pardon us for this cowardice.

श्री महताब (अगुंल) : इस विवाद में विरोधी दलों ने गृह-कार्य मामलों में तीन बातें और वैदेशिक कार्यों के बारे में दो बातें कहीं हैं। मैं उनकी नियत पर कोई संदेह नहीं करता, परन्तु मेरा निवेदन है कि इन बातों पर वे इस अविश्वास के प्रस्ताव के बिना भी आग्रह कर सकते थे। इन बातों पर बड़ी गम्भीरता से भी विवाद हो सकता था। इस तरह बार बार अविश्वास का प्रस्ताव लाने से विवाद का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, और कोई लाभ नहीं हो पाता। वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए भी ये सारी बातें कही जा सकती थीं। वैसे ये समस्यायें ऐसी हैं जो कि सरकार के ध्यान में हैं और लगभग सभी ने इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है। इन सब समस्याओं का मिल कर हल करना है शोर करने से तो ये हल होगी नहीं।

गृह कार्य मामलों में तीन बातें कही गई हैं। एक यह कि योजनायें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है। दूसरी बात यह कही गई है कि कुछ राज्यों में भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया गया है। वैसे जब हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया था तो ये सब बातें विचाराधीन आई थीं। प्रथम बात कि लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। इस बारे में मैं श्री मसानी की तरह आंकड़ों की तुलना नहीं करूंगा। केवल मेरा यह निवेदन है कि भारत में विनियोजन का दर भी बहुत कम है। हमारे साधन भी अन्य देशों के मुकाबले में कम है, यद्यपि हम इन साधनों को बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। साधनों की वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है तो लोगों में असन्तोष की भावना भी पैदा हो जाती है। हमें लोगों को भी साथ लेकर चलना होता है। यह भी कठिनाई हमें सहन करनी पड़ती है कि हमारे राजनीतिक दल

[श्री महताब]

लोगों के असन्तोष का लाभ उठाने का प्र यास करते हैं। वैसे इस दिशा में हमारा प्रयास चीनी आक्रमण के कारण 1962 में रुक गया था, परन्तु फिर भी हम प्रयास जारी रखे हैं।

इस संदर्भ में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि तथा मेरे सामने हैं। श्री मोरारजी देसाई जैसे लोगों को भी अनिवार्य बचत योजना तथा स्वर्ण नियन्त्रण आदेश वापिस लेने पड़े क्योंकि लोगों को काफी रोष इनके विरुद्ध भड़क उठा था। हमने इस बारे में यह भी देखा कि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इन उपरोक्त विधानों के कारण पैदा हुए असन्तोष का लाभ उठाना चाहा। इसके अतिरिक्त राज्यों ने अपने अतिरिक्त साधन तलाश करने आरम्भ कर दिये। और बाकी जिम्मेदारी केन्द्र पर छोड़ दी। मेरा आग्रह है कि हमें योजना को केवल दल की योजना न समझ कर देश की योजना समझना चाहिये, तब ही हम इस दिशा में सफल हो सकते हैं।

हमें इस मामले में तनिक स्पष्ट होना चाहिये कि आखिर हम चाहते क्या हैं। योजनायें देश की और समाज की भलाई और कल्याण के लिये ही बनी हैं। उनमें विनियोजन भविष्य में निर्माण के लिये ही किया जाता है। इस दृष्टि से हमें कुछ सीमा तक लोगों के असन्तोष का भी सामना करना चाहिये। यह देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि क्या हम ठीक राह पर चल रहे हैं। भूलें तो हो सकती हैं परन्तु हमें अपने किये हुए विनियोजन के फल की प्रतीक्षा करनी होगी। एकदम तो फल मिल नहीं जाता। इस संदर्भ में हमें योजना के लक्ष्यों के बारे में भी तनिक व्यवहारिक रुख अपनाना चाहिये। उनसे कितना आर्थिक लाभ हुआ है, यह देखना चाहिये। चौथी योजना 21,500 करोड़ की होगी और इसका लक्ष्य 19,000 करोड़ होगा। हतः हमें इस दृष्टि से ही इन योजनाओं को देखना चाहिये, अन्यथा भ्रांति बनी रहती है।

कीमतों के बारे में भी मामला विचाराधीन है। सरकार को इस समस्या में महत्व का पूर्ण ज्ञान है। सबी स्तरों पर इसकी छानबीन की जा रही है। मध्यमवर्ग के लोगों की कठिनाइयों का भी पूर्ण रूप से सरकार को अदमास है। यह भी कठिनाई है कि अनाज के दाम काफी बड़ गये हैं। किसान अपना सारा उत्पादन बेचे बिना ही अपने खर्चे पूरे कर लेता है, और माल बाहर नहीं निकालता। इससे कठिनाइयां पैदा होती है। विचार करने का विषय यह है कि किस प्रकार से किसान को प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपना माल मंडी में ले आयें। इस मामले में यदि प्रचलित व्यापारी साधनों से काम न बना तो इसके लिए नयी सरकारी मशीनरी का निर्माण करना होगा। मेरा मत तो इस बारे में यह है कि इस तरह की सरकारी मशीनरी प्रथम योजना के दौरान ही बन जानी चाहिए थी। यदि ऐसा कर दिया जाता तो हालात बिलकुल दूसरे ही होते। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि सारे किसान ऐसे नहीं कि जिन्होंने अनाज इकट्ठा कर रखा है। सब लोगों को वैसे भी भारत प्रतिरक्षा नियमो के अन्तर्गत गिरफतार नहीं किया जा सकता परन्तु विरोधी दलों को मिल कर बताना चाहिए कि इस कार्य को किस प्रकार किया जाय। लोगों को जबरदस्ती अपना माल बेचने पर बाध्य किया जाय, यह बात व्यावहारिक दिखाई नहीं देती।

ये सब ऐसी बातें है जिन्हें सब दल मिल कर तय कर सकते हैं। हम एक दूसरे के दोष न निकाल कर समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। हर समय राजनीतिक लाभ उठाने से यह समस्या सुलझाने की नहीं। भारत प्रतिरक्षा नियमों को लागू करने का कहां तक प्रश्न है, उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि प्रधान मंत्री तथा गृह कार्य मंत्री इतना भयंकर पग नहीं उठाना चाहते। वे तो यह भी नहीं चाहते थे कि उड़ीसा के आन्दोलन में भी इसका प्रयोग किया जाय। परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने कहीं कहीं इसका प्रयोग किया है। अब लोक तंत्र है राज्यों को रोका भी नहीं जा सकता। बिहार की धानाओं के बारे में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो कुछ कहा कि आन्दोलन के नेता तो नहीं चाहते थे कि इतनी तबाही हो। परन्तु वहां सरकारी सम्पत्ति को नष्ट किया गया है। लोगों का

असंतोष तो समझ में आता है परन्तु उनका इस प्रकार का कृत्य की सरकारी सम्पत्ति तबाह करे, क्षम्य नहीं माना जा सकता। हमें शांति और अहिंसा के आधार पर ही आन्दोलन करने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रशासन की समस्या कम है, समाज की समस्या अधिक है।

ग्रहों से अलग रहने की नीति के बारे में कुछ कहा गया है। मेरा निवेदन यह है कि हमारी यह वैदेशिक नीति का आधार हमारे महान स्वार्थ है। आज तो यह काफी लाभ दायक सिद्ध हो रही है, परन्तु यदि आवश्यकता हो तो इसे बदला भी जा सकता है। काश्मीर के बारे में हम जो कुछ कह चुके हैं, उससे वापिस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। काश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग है।

आज हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है और उनसे निपटने का काम हमें सरकार पर छोड़ देना चाहिये। जहां देखें की सरकार अपनी नीति से विचलित हो गई केवल वहीं सरकार की आलोचना करनी चाहिये। छोटी छोटी बातों पर सरकार पर शक करने से सरकार कमज़ोर पड़ जाती है।

श्री मसानी नें उड़ीसा में चुनाव कराने के बारे में कहा। क्योंकि आम चुनाव अब निकट ही हैं इसलिये मैं समझता हूं कि अब चुनाव नहीं कराने चाहिये। इससे उड़ीसा राज्य पर 15 लाख रुपये का फालतू खर्च पड़ेगा। हमें चुनाव के मामल में राज्य की वित्तीय स्थिती का भी ध्यान रखना है। मुझे इसके लिये सात सदस्यों का समर्थन चाहिये, अन्यथा मैं अपने काम में अकेला रह जाऊंगा और मुझे इसके लिये अकेले ही लड़ना होगा।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मेरे राज्य में लोगों की यह हालत हैं कि उनको कई कई दिनों तक रोटी नहीं मिलती है। मैं ने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पत्तों और फलों को उबाल कर खाते हैं। वहां पर ३ रु० का एक किलो चावल बिक रहा है। आज स्वतन्त्रता प्राप्त किये 18 वर्ष बीत गये हैं परन्तु गांवों और देहातों के लोग भूखे मर रहे हैं। हम जो रोज़ाना पेट भर कर खाना खा लेते हैं, अपने भूखे भाइयों के प्रति अपराध कर रहे हैं।

कांग्रेसी सदस्य कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को ऐसे समय पर लाया गया है जब कि देश को दुश्मनों ने घेर रखा है। मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार जो विदेशी आक्रमण का मुकाबिला करती है कम से कम इतना अवश्य ख्याल रखती है कि उसके देशवासियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों। क्या हमारी सरकार ने ऐसा किया है? चीनी आक्रमण के बाद से सरकार ने क्या किया है? हमारी आर्थिक स्थिति संकट में क्यों पड़ गई है?

कलकत्ता और बिहार में जो हाल में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कुछ कहा गया है। यदि सरकार शीघ्र अपने दोषों को दूर नहीं करेगी तो मैं चेतावनी देता हूं कि सारा देश इसकी लपट में आ जायेगा। दूसरी और के सदस्य यह जान कर खुश हो रहे हैं कि और अविश्वास प्रस्तावों का जो हाल हुआ था वही इसका होगा। परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि जिन बातों से सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों को आंका जाता है सरकार उन सब म नाकाम रही है।

कुछ महीने पूर्व माननीय खाद्य मंत्री ने भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अनाज की अधिकतम तथा आधार कीमतों की घोषणा की थीं। परन्तु मैं पूछता हूं क्या देश के किसी भी भाग में उनका पालन किया जाता है? लोग कब तक भूखे मरते रहेंगे और आपके कानूनों का पालन करते रहेंगे? यही कारण है कि हम विपक्ष के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना पड़ता है। हम जानते हैं कि यह प्रस्ताव पास नहीं होगा। परन्तु एक दिन जनता की शक्ति आपकी इस गद्दी को उलट देगी और आपकी इन आपातकालिन शक्तियों और भारत प्रतिरक्षा नियमों का भी सफाया कर देगी।

7—19 Lok Sabha/65

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

देश के भीतर की बात छोड़िये और देखिये कि सीमा पर क्या स्थिति है ? नेफा में हमारी नाकामी के लिये कौन जिम्मेदार है।

हैन्डरसन ब्रम्हा का प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया हैं। काश्मीर के अन्दर हजारों की संख्या में हमलावर आ रहे हैं। भगवान के लिये अब यह मत कहना कि यह सब कुछ रात बीच में हो गया। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये हमलावर काफी समय से आ रहे हैं। जैसा कि श्री द्विवेदी ने बताया उनका आना इसलिये संभव हो सका है कि आपकी सुरक्षा, गुप्त सूचना विभाग, सैनिक प्रबन्ध सब के सब गड़बड़ी में थे।

दूसरी ओर के सदस्य हमारे काश्मीरी भाइयों की देश भक्ति के बारे में बहुत बढ़चढ़ कर बोलते हैं। दो महीने हुए मैं काश्मीर गया था तो मुझे उस व्यक्ति ने जिसका काश्मीर कांग्रेस में सब से ऊंचा स्थान है कहा कि चाहे शेख अब्दुल्ला का मामला हो, चाहे युद्धविराम रेखा पर सुरक्षा का अथवा संयुक्त राष्ट्र में काश्मीर के प्रश्न को उठाने का मामला, काश्मीर सरकार का मत कभी नहीं मांगा गया और न ही उसका सम्मान किया गया। मुझ से कहा गया कि मैं सरकार को बता दूं कि काश्मीर में हालात ठीक कहने का यह तरीका नहीं है। चाहे खाद्य का मामला हो चाहे देश की सुरक्षा का, सभी मामलों में सरकार निष्फल रही है। स्वयं कांग्रेस की एक प्रतिष्ठित महिला सदस्या ने सरकार के बारे में कहा कि उसकी ऐसी हिलमिल नीति है कि वह कोई निर्णय समय पर नहीं कर सकती।

कांग्रेस के सदस्य आपस में ही एक दूसरे पर चोट पहुंचाते हैं। उनमें संगठन शक्ती नहीं है। मैं सभी कांग्रेसी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी लिये हमारे शहीदों ने अपनी जानें दी थीं ? मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि क्या उन्होंने ऐसे नेतृत्व का निर्माण किया है जो कि आज अपेक्षित है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भारत प्रतिरक्षा नियमों की आड़ में आज 10,000 व्यक्तियों को विभिन्न राज्यों में जेलखानों में बन्द कर रखा है। उनका केवल यही दोष है कि वे दिन में दो बार खाने की और बच्चों को बढ़ने से रोकने की मांग करते हैं।

श्री अ० क० गोपालन को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत पकड़कर जेल में बन्द कर दिया गया था। उन्होंने अनशन कर रखा है और मरणासन्न है। आज के समाचारपत्र में खबर थी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनकी हालत गिरती जा रही है। परन्तु मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है कि उन्हें केरल सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी तो हालत है।

आपात और भारत प्रतिरक्षा नियमों की आड़ में सरकार अपनी गद्दी बनाये रखने के लिये लोगों को अन्धाधुन्ध जेलों में पटक रही है। यदि लोग ट्राम के किराये में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें फौरन जेल में बन्द कर दिया जाता है।

कुछ ही दिन हुए कोल्हापुर में गोलियां चलाई गईं। बिहार की घटनाओं ने लोगों को बता दिया है कि यह सरकार कितनी द्वेषपूर्ण है। सरकार यह आरोप लगाती है कि वक्त पर हिन्सात्मक कार्यवाहियां की गईं और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। क्या सरकार यह बता सकती है कि वह उस समय क्या कर रही थी जब वहां के लोग भूख से मर रहे थे और पत्ते खा रहे थे।

इस अविश्वास का प्रस्ताव का चाहे कुछ भी हशर हो परन्तु संसद के बाहर करोड़ों लोगों ने सरकार में अपना अविश्वास व्यक्त कर दिया है। हजारों अध्यापकों ने संसद के

बाहर प्रदर्शन किया है और धरना दिया है। उनकी मांग है कि सारे देश के लिये एक न्यूनतम राष्ट्रीय वेतनक्रम निर्धारित किया जाये। जब अध्यापकों को ही यह रास्ता अपनाना पड़ा है तो अन्य लोगों का क्या बनेगा।

कांग्रेसी सदस्य इस बात से अपने आपको संतुष्ट कर सकते हैं कि वे बहुसंख्यक हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे। परन्तु यदि वे अपने चुनाव क्षेत्रों में वापस जाय तो देखेंगे कि लोगों की हालत कितनी दयनीय है और वे सरकार के कितने विरुद्ध हैं।

भूखा आदमी रोटी के लिये क्या कुछ नहीं कर सकता? हमारे राज्य में कलकत्ता शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में चावल 2 से 3 रु० प्रति किलो के भाव बिक रहा है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसन्धान परिषद ने अपने सर्वेक्षण में बताया है कि भारत में गांवों में 25 करोड़ लोगों से अधिक की दैनिक आय 68 पैसे है, अन्य 10 करोड़ को 42 पैसे मिलते हैं, 3 करोड़ को 32 पैसे प्रति व्यक्ति और 1 करोड़ की दैनिक आय 27 पैसे हैं। 27 पैसे में एक व्यक्ति दिन में दो बार खाना किस प्रकार खा सकता है?

चावल और गेहूं ही नहीं अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की किमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। साल भर पहले सरसों का तेल 2.50 रु० सेर मिल जाता था। परन्तु आज 5.00 रु० किलो भी नहीं मिलता है। मछली इतनी महंगी हो गई है कि बंगाल के लोक इसके स्वाद को भी भूल बैठे हैं। मछवाहे ग्राहकों का मज़ाक उड़ाते हैं। यदि सरकार अपने मूंह को छिपा कर यदि यह कहे कि यह सब झूठ है, हमारी सरकार अच्छी चल रही है और सब कुछ ठीक है, तो यह तो वास्तविकता को झुठलाना होगा। 3 पंचीवर्षीय योजानाओं के पूरा होने के बाद और लगभग 2,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यहां पर अकाल जैसी स्थिति है।

आखिर कब तक लोग इसको सहन करेंगे। जैसे हवा में किले नहीं बनाये जा सकते इसी प्रकार सरकार का यह समझना भी गलत है कि लोगों की भावनाओं और उनके प्रदर्शनों को गोलियों से कुचला जा सकता है। इसलिये सरकार को स्थिति में सुधार करने के लिये प्रयत्न करने चाहिये।

सरकार उन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से क्यों हिचकिचाती है जो खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं? सरकार में इतनी शक्ति नहीं है कि समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करे। ये जमाखोर और मुनाफाखोर कांग्रेस को चनाव लड़ने के लिये मोटी निधियां देते हैं इसलिये यह सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है।

औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारा उत्पादन बढा है, परन्तु मज़दूरों की वास्तविक मजूरी में कमी हो गई है। इस बात को मंत्री महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी स्वतन्त्रता-पूर्व जो बेतन मिलता था उसका केवल 87 प्रतिशत ही मिलता है। दूसरी ओर उद्योगपतियों के मुनाफे बढते जा रहे हैं। 40 प्रतिशत औद्योगिक मज़दूरों का महंगाई भत्ता निर्वाह देशनांक में मिला दिया गया है और शेष 60 प्रतिशत को वह भी नहीं मिल रहा है। जिनको महंगाई भत्ता दिया जा रहा है उनके साथ धोखा किया जाता है और गलत हिसाब लगा कर कम भत्ता दिया जाता है। इंजीनियरों और कपड़ा मज़दूरों को लगभग 5 रु० महंगाई भत्ता मिल रहा है। पटसन मज़दूरों को पिछले तीन महीनों से 3 रु० प्रति मास तक कम भत्ता मिल रहा है। मज़दूरों को अचम्भा है कि वे कांग्रेस के शासन में रह रहे है या मुहम्मद तुगलक के शासन में।

प्रत्येक वस्तु का मूल्य दूना बढ़ गया है कि एक साधारण आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। परन्तु मजदूरों के महंगाई भत्ते में कटौती की जाती है। पश्चिमी बंगाल सरकार

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

इसके लिये केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराती है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को और इसका परिणाम गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ता है ।

चाय बागान मजदूरों ने हड़ताल करने का निर्णय किया है । सरकार कहेगी कि वे चीन या पाकिस्तान के एजेंट हैं । 'इंटक' ने भी हड़ताल की सूचना दे दी है । न्यूनतम मजूरी बोर्ड ने निर्णय दिया था जो कि मालिकों पर कानूनी रुप से लागू होता है । परन्तु मालिक इसका पालन नहीं कर रहे हैं । सरकार को बिहार, कोल्हापुर और अन्य स्थानों से सबक लेना चाहिये ।

सरकार के हाथ में भारत प्रतिरक्षा नियम लोगों का दमन करने के लिये एक अच्छा हथियार ह । बंगाल में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत संदेश के बनाने पर रोक लगा दी गई है । सरकार की पागल नीतियों के कारण अब पश्चिम बंगाल के लोगों को संदेश खाना छोड़ना पड़ा दे ।

बिना किसी कारण के वामपंथी कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया है । श्री गोपालन के लिये कहा जाता है कि उनके दिल में चीन के लिये जगह है । मैं पूछता हूँ कि डा० लोहिया को क्यों गिरफ्तार किया गया ? इसलिये कि वह बिहार के लोगों की मांगों का समर्थन करते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : गुप्त बैठक के बारे में क्या कहना है आपको ?

श्री दिनन भटाचार्य : मैं कहता हूं यह बिलकूल गलत है एक माननीय सदस्य ने कल बहस के दौरान गुप्त परिपत्रों के बारे में कहा । उस दस्तावेज़ को प्रकाशित किया जाये । जनता स्वयं निर्णय कर लेगी कि कौन गलत है और कौन ठीक है ।

सरकार इन मामलों में अदालत के सामने जाने से डरती है । सरकार हमें तो ऐसे मौके पर अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये दोष देती है परन्तु अपनी अदालतों और उनके निर्णयों के लिये सरकारी अधिकारियों के दिल में कोई सम्मान नहीं है । हाल ही में चार नजरबन्द व्यक्तियों ने गिरफ्तारी के आदेशों को चुनौती करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं दीं । याचिकाओं की सुनवाई से पहले ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया । यह सरकार की चाल है क्योंकि ऐसा करने से याचिकाएं बेकार हो जाती हैं और न्यायालय यह निर्णय नहीं दे सकता है कि गिरफ्तारी विद्वेषपूर्ण थी ।

श्री परूलेकर का उनकी मृत्यु से पूर्व कोई इलाज नहीं किया गया । मैं जानता हूँ कि परिस्थितियों में उनकी पत्नी से उनके इलाज के संबंध में वक्तव्य लिया गया । यदि वह वक्तव्य न देती तो उनके पति का मृत शरीर भी उनको न दिया जाता ।

यह सरकार जो एक आम आदमी को दिन में दो बार खाना नहीं दे सकती है, मज़दूरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वेतन नहीं दे सकती है, नागरिक स्वतंत्रताएं नहीं दे सकती है, ऐसी सरकार जितनी जल्दी जाये उतना ही अच्छा है ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : The left Communists have been arrested because they were found making preparations for bringing about revolt and disturbances. If my hon. friends on the other side think that Govt. or the people will take side with them, they are very much mistaken.

When this matter was discussed in this House, all the Parties supported this decision. Only the Communist Members did not approve of it. The report of the Hon. Home Minister reveals that grave consequences would have followed, had their plans meterialised.

These people were holding secret meetings. Now they want shelter under the law. On the one hand they evade law and on the other they want shelter under it. Had they been caught, they would hare been dealt with severely. In certain countries such culprits are handed over to the public. But we here belive in democratic system and refrain from doing so. We have also read the statement of Mao-Tse-Tung which says about the spreading of lawlessness and hatching of revolt in the country. We do not want to make this country another Cambodia or Viet Nam. These people should not be allowed to hatch a conspiracy.

We are facing external danger on Cutch border, West Bengal border and at several other places, dark clouds are covering over the country. These are more important matters and require our attention rather than this motion of no-confidence. After-all no-confidence motion is not a plaything. It has great importance and when the Hon. opposition Members know that it is going to be defeated, there is no point in bringing it.

Public also expresses its no-confidence in the Government when it casts vote in favour of opposition Parties. When the motion of no-confidence was about to be moved in this House, three Members were elected to Parliament and all the three were from Congress Party.

I do not say that Congress is infallible and it has not made mistakes. But we try to learn from our mistakes which the opposition does not do. Even when we are defeated in a bye election, we pay the greatest attention to find out its reasons, which the opposition parties probably do not do.

It would have been better if Shri Masani had tabled a motion regarding food or rising prices. Then most of the Members from this side would have perhaps supported that the opposition Members are complaining about the rising prices. I ask the Members of the Swatantra Party if they have brought out any manifesto which would solve the problem. Shri Masani spoke from a book which he considers to be his Bible. I thought that Shri Masani possessed more wisdom than the Institute of Economic and Scientific Research Association. I do not attach more importance to such books. Shri Masani has paid more attention to what is contained in that book. But, had he applied his own mind he would not have committed such mistakes in his speech The opposition parties have not given useful suggestions by the implementation of which we can solve the problems.

They say that they believe in democratic system, I want to know from them how many countries of Asia and Central Asia are today following the democratic system like us and have achieved success like us in the field of economic development. I challenge that none of the under-developed countries is today developing by following our system. In the matter of food production they are comparing India with Malaysia, Cambodia, Ghana etc. They are small countries and cannot be compared with a big country like India.

From the very day we laid the foundation of democracy in this country, we knew that this country is deficient in the matter of food production. We should not forget that other under-developed countries like Ghana, Egypt, Cambodia and Laos are not deficient in the matter of food production like us. We want to solve this problem in a democratic way.

Shri Masani often quotes John Louis who is one of the greatest economists. I want to quote a few words of him which Shri Masani should listen with attention. He has said :

"केवल आर्थिक विकास ही मधु और दूध नहीं है, पसीना बहाने और कष्ट उठाने के बाद ही मधु और दूध प्राप्त होते हैं"।

[Shrimati Tarakeshwari Shinha]

It is only now that we have started shedding our sweat and tears. Think of the countries which have not been able to gain their independence even after years of struggle.

They have spoken about the rise in prices of the commodities. They ought also to have told that the prices of certain commodities have come down. The prices of fertiliser, leather material and newsprint have come down. The prices of cloth have increased only slightly.

It has also been said that the prices of industrial goods have risen higher than those of food stuffs. In 1962-63 the prices of industrial goods had gone up by 30 to 38 percent. Why Shri Masani did not raise his voice at that time ? At that time we had pointed out that balance should be maintained between rural production and urban production and that if that was not there we would not be able to balance the economy of our country. Today, if the rural economy has progressed he should not object to that. We want to have proper balancing between rural and urban economy.

For bringing down the prices I have to offer one suggestion and that is that we should make efforts to obtain fertilisers from abroad just as we are importing foodgrains under P. L. 480. We should negotiate with countries like U. S. A. and Japan who are willing to give help to India, to conclude an agreement for the supply of fertiliser by rupee payment.

My second suggestion is that the under-developed countries should form an International consortium for the supply of fertiliser and pesticides to backward countries.

श्री जी०भ० कृपलानी (अमरोहा) : मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे खेद है सरकार के मंत्रीयों में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो 30 साल से मेरे साथी हैं । दूसरी बात सरकार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । कांग्रेस पार्टी में भी आजकल बहुत से ऐसे लोग है जो पार्टी की नीति के समर्थक नहीं है । आज देश की जो स्थिति उस पर सभी लोग चिंतित है । इसलिये मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रस्ताव का समर्थन करूं । हम कहते है कि हमारी विदेशी नीति तटस्थता की है परन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने हितों की रक्षा के लिये कुछ नहीं करना चाहिये । चीन भी तो किसी गुट में शामिल नहीं है । इस प्रकार वह भी अपने आप को तटस्थ कह सकता है । यह कहा जाता है कि हम आत्मनिर्भर हैं और अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं । परन्तु चीन के आक्रमण के समय हमें अमरीका के पास सहायतार्थ भागना पड़ा था । इसलिये हमें अपनी नीति पर विचार करना चाहिये और अन्य देशों को उपदेश नहीं देना चाहिये । आजकल वही देश शान्ति का प्रचार कर सकते हैं जो बलशाली है । जिन देशों के पास पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं वह क्या शान्ति का प्रचार कर सकते हैं ?

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

आज विश्व में उन्ही की बात सुनी जाती है जो शक्तिशाली है । गांधीजी ने सब से पहले देश को शक्तिशाली बनाया और स्वतन्त्रता संग्राम आरंभ किया ।

काश्मीर में हमारी सेना 17 वर्षों से है और वहां पर घुसपैठ से 15 दिन पहले प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार है और चीन तथा पाकिस्तान दोनों का मुकाबला किया जा सकता है परन्तु अब सरकार उन का सामना नहीं कर पा रही है ।

देश के आन्तरिक उत्थान के लिये हमने पंचवर्षीय योजनायें बनायी है परन्तु हम लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हुए है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरु ने कहा था कि हम खाद्यान्न निर्यात करने योग्य हो जायेंगे परन्तु हम आत्मनिर्भर भी नही हो पाये हैं। निर्यात का तो प्रश्न नहीं उठता। एक अधिकारी ने कहा है कि प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को एक समय का खाना उपलब्ध हो रहा है। यह बात सच है। चूहे आदि हमारी बहुत सी खाद्य सामग्री खराब कर देते है। इस का प्रबन्ध भी नही हो पा रहा है। यह कहा जाता है कि हमारी जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है परन्तु यह वृद्धि उतनी नहीं है जितनी की खाद्यान्न में यह वृद्धि का दावा किया जा रहा है। तीसरी योजना में हम इस्पात, ईंधन, बिजली और सीमेंट आदि का उत्पादन नहीं बढ़ा सके। बल्कि कई वस्तुओं के उत्पादन में कमी भी हुई है।

हम ने जनशक्ति का भी पूर्णरूप से प्रयोग नही किया। बेकार लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह सरकारी आंकड़ों से पता चलता है।

देश में विषमतायें कम नहीं हुई हैं। विदेशी राज की अपेक्षा अब लोगों में विषमतायें बढ़ गई हैं। इस का कारण है योजनाओं को उचित रूपसे न तय्यार करना। लोगों में योजनाओं के लिये कोई उत्साह नहीं है। जिन बातों का हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री विरोध किया करते थे वह आज पनप रही हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जिन को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व जिन बातों का स्वप्न देखा जाता था वह पूरी नहीं हुई हैं। आज कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस बारे में कोई नीति नहीं है।

योजना आयोग भी एक विचित्र संस्था है। यह तो मंत्री बनाने का मार्ग है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जनता उन को वोट देती है इसलिये वे लोग सरकार चला रहा रहे है। यह ठीक है परन्तु उनको काम ठीक प्रकार करना चाहिये। यह कहा जाता है कि योजनायें असफल नहीं हुई है परन्तु जो आंकड़े श्री मसानी ने प्रस्तुत किये है उन से योजना की असफलता सिद्ध हो जाती है। ये आंकड़े सरकार के हैं। आज देश की औसत आय 68 पैसे है। इस में टाटा और बिड़ला भी है। एक सामान्य व्यक्ति की आय का आप अनुमान लगा सकते हैं। देश के गरीबों की दशा बहुत खराब हो गई है।

हमारे देश पर चीन का आक्रमण हमारी गलत नीति के कारण हुआ। इस बात को राष्ट्रपति ने कहा है। हमारे पहले प्रधान मंत्री ने हमे धोखे में रखा और चीन के खतरे का अनुमान नहीं लगा सके। हमने कोई तयारी नहीं की थी। बजट में प्रतिरक्षा के लिये स्वीकृत राशि बिना प्रयोग के ही पड़ी रही और उस का प्रयोग नही किया गया। हमारे सैनिकों को पुराने हथियारों से लड़ना पड़ा।

यह कहा गया है कि मैं बहुत असंतुष्ट हूं। यह बात ठीक नहीं है। मैं सदैव उस मार्ग पर चलता हूँ जिसे मैं ठीक समझता हुं। यदि मैं चाहता तो सरकार का पद प्राप्त कर सकता था परन्तु मैंने ऐसा नहीं किया। आज कांग्रेसी पदाधिकारी सरकार में पदों पर नियुक्त है। मुझे देश की स्वतंत्रता के संग्राम में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त था। हम ने देश की समृद्धि के लिये कार्य किया था। आज की स्थिति को देख कर मुझे बहुत खेद होता है। मैं चाहता हू कि हमारे कांग्रेसी मित्र देश के हित को सर्वोपरि रखें जब देश स्वतंत्र हुआ था तो अन्य दलों के प्रतिभाशाली लोगों को भी सरकार में लिया गया था। अब भी उन को ऐसे लोगों से लाभ उठाना चाहिये। यह आवश्यक नहीं कि एक राष्ट्रीय सरकार बनायी जाये परन्तु प्रतिभाशाली लोगों से लाभ उठाना चाहिये। मैं कांग्रेस वालों से प्रार्थना करूंगा कि अपने दल में सुधार करें और की स्थिति सुधारें।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Mr. Speaker Sir, Acharya Kripalani has said that there is no unity in Congress Party. He does not know that the freedom of expression is allowed in our Party. We discuss things keeping in view all the aspects of a problem. It is a symbol of unity of the Congress Party's Executive. It is said that we asked for help from America at the time of Chinese invasion. It was a right thing at that time. The circumstances at that time demanded that. It was not wrong on our part.

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

[Shri Raghunath Singh]

Shri Kripalani was Congress President at the time of partition of the Country. He should have opposed it at that time. Pakistan should understand that she would be defeated in Kashmir. It was in Kashmir that Ghazni whom Pakistanis claim as an ideal, was defeated.

The Defence of India Rules have been framed keeping in view the internal security of our country. Government is justified in enforcing these rules.

The opposition should not be in a rebllions mood. There is no use of staging huge demonstrations in Delhi. Our country is passing through very critical times. We are dealing with the foreign armed infiltrators. They are doing harmful things. It is not proper for the opposition to stage demonstrations at this time. It is only waste of manpower. It should have been utilized for some constructive purpose. The opposition parties should not have brought this no-confidence motion at this time. They should help Government at this hour of crisis.

Our friends in Pakistan claim racial supremacy. They should know that those who believed in this theory have been annihilated. We believe in secularism. The Marathas and the Sikhs, when they were in power, never hurt the religious feelings of Muslims. It is a fact of History. It is our tradition. Those who want to rouse the feelings of one community against the other are living in fool's paradise.

It has been suggested that the national Government should be formed at the Centre. But how can you form a national Government with the people who repeatedly come forward with the no-confidence motion. Today there is no question of India or Pakistan but the broader question is whether democracy is to survive or to go. All those who believe in democracy, should come forward and give their wholehearted support to India. They should all condemn Pakistan for her aggressions on our Country.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मैंने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की बातें बड़े ध्यान से सुनी हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नही कि वे सब देश की कृषि सम्बन्धी तथा खाद्य स्थिति के बारे में चिन्तित थे। मै भी महसूस करता हूँ कि हम बड़े संकट काल से निकल रहे हैं। शत्रु हमारी सीमाओंपर गर्ज रहा है। ऐसे समय में देश में आन्तरिक शांति होनी चाहिए। यह शांति हम भूखों पेटों से नहीं स्थापित कर सकते। यह तब ही सम्भव हो सकता है जबकि हम सब अच्छी प्रकार से रोटी की व्यवस्था कर सकें।

इस समस्या को हल करने में मेरी अपनी सीमाऐं हैं। परन्तु अपने किसान वर्ग मे पूर्ण विश्वास के कारण मैं इस उत्तरदायित्व पूर्ण बोझको उठाने का साहस करता हूँ। गत मास में स्थिति बहुत निराशाजनक हो गयी। इस बार वर्षा देर से आरम्भ हुई। फिर सूखा पड़ गया। अब तो वर्षा भी आ गयी है और शायद यह अविश्वास के प्रस्ताव का सब से बड़ा उत्तर है। और इसके लिए मैं विरोधी दलों का आभारी हूँ।

सारी स्थिति के सम्बन्ध में यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो हमें पता चलेगा कि इस समय हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है। जरूरत इस बात की है कि हम उत्पादन के आधार पर पहुँचे। ऐसी स्थिति निर्माण करें कि विपरीत हालात में भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कुछ मित्र इस बात की आलोचना करते हैं कि हमने कृषि की दिशा में कोई प्रगति नहीं की। यह बात बिल्कुल ग़लत है। हमारे कृत्य इस बारे में असन्तोषजनक नहीं कहे जा सकते। यदि हम गत दस वर्षों के आकड़ों पर दृष्टि डाले, 1951-52 से लेकर 1961-62 तक की स्थिति को देखे, तो हमें पता चलेगा कि तुलनात्मक

रूप में हम किसी भी देश से अच्छे हैं। गत दो तीन वर्षों में मौसम कुछ विपरीत रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यद्यपि खेतों की स्थिति काफी अच्छी रही है, तथापि प्रगति आशातीत हुई थी। उत्पादन आवश्यकता के अनुसार नहीं हुआ। यह शायद इस लिए भी है कि जनसंख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है।

यदि हम इस बात पर दृष्टी डालें कि हमने गत तीन योजनाओं के दौरान जो कुछ सफलतायें प्राप्त की है, वह इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी जो कि हमारे रास्ते में आती रही। हमनें काफी अच्छे लक्ष्य प्राप्त किये। कुछ न कुछ कठिनाइयां तो जरूर आई। यदि किसी तरह कार्यान्वित कराने में कुछ दोष रह जाय, अथवा लक्ष प्राप्त करने में हम कुछ पीछे रह जायें तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हमें आयोजन ही छोड़ देना चाहिए हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आयोजन ठीक प्रकार से किया जाय, उसका योग्यता से कार्यान्वित हो, तो यह किसी भी देश के आर्थिक विकास का सब से श्रेष्ट साधन है। हमारे स्वतन्त्र दल के मित्र, जो इस अविश्वास-प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र के समर्थक हैं। वह यह समझते हैं कि योजना से गैर सरकारी उपक्रम के राह में रूकावट पदा होती है। इसी विचार के कारण ही वह योजना का विरोध करते हैं। और यही कारण है जिसके फलस्वरूप हमारा उनका मतभेद है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह बात कहना भी गलत है कि हम केवल मौखिक सहानुभूति हो प्रदर्शित करते रहे हैं और वास्तव में कृषि के लिए हमने कुछ नहीं किया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि चौथी योजना के अन्तर्गत जो कुछ राशि निर्धारित की गयी है, वह काम को देखते हुए बहुत नाकाफी है। परन्तु यदि और आवश्यकता हुई तो निश्चित ही उसकी भी व्यवस्था की जायेगी। यह भी हमें याद रखना चाहिए कि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को हमारे औद्योकि कार्यों का अनुपूरक बन कर चलना है। हमें देहाती बिजली, कृषि मशीनरी, तथा अन्य प्रसाधनों की व्यवस्था की योजना के अन्तर्गत करनी होगी। सारी बातों को व्यापक दृष्टि से देखने पर हमें यह महसूस होता है कि इस कार्य के लिए काफी व्यापक राशि निर्धारित की गयी है। काफी कुछ इस दिशा में किया गया है। यह कहना कि कृषि के लिए कुछ किया ही नहीं गया बिल्कुल ग़लत है। हमनें कृषि को काफी प्राथमिकता दी गयी है।

इस मामले में हमें एक बात याद रखनी चाहिए, वह यह कि यदि हमें कृषि की दिशा में प्रगति करनी है, तो हमें विज्ञान और तकनीकी मामलों की ओर भी ध्यान देना होगा। नये कृषि साधनों को अपनाना होगा। पुराने साधनों से हम उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। केवल धन की व्यवस्था से ही यह काम पूरा नहीं हो सकता। हमें केवल उत्पादन की वृद्धि ही नहीं करनी प्रत्युत प्रति एकड़ उपज भी बढ़ानी है। इसके लिये हमे नये ज्ञानका लाभ उठाना होगा नयी तकनीक का प्रयोग करना होगा। नयी नयी विविधताओं को भी प्रयोग में लाना होगा। उर्वरकों का भी हमें प्रयोग करना होगा, जिससे हमें अधिक उपज उपलब्ध हो सके। प्रति एकड़ उपज की वृद्धि हो, इसके लिए हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त होगी। 30 से 40 मन प्रति एकड़ तक तो हम पहुँच ही गये हैं। नये बीजों से और भी वृद्धि होगी। धान के मामले में भी प्रति एकड वृद्धी हुई है। कम से कम 5000 से 6000 पौंड तक तो हो गई है। मक्की, बाजरी तथा अन्य चीजों का उत्पादन भी बढ़ा है। हम इन उपरोक्त 5, 6 चीजों पर अधिक जोर देना चाहते हैं। यदि हमनें इसके लिए अपेक्षित प्रशासनिक मशीनरी ठीक तरह से चालू कर दी तो यह सम्भव है कि चौथी पंचवार्षिक योजना में हम काफी आगे चले जायेंगे। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक उर्वरक प्राप्त कर सके। उर्वरकों की मांग तो आयात किये हुए को मिला कर भी पूरी नहीं हो रही।

हमारा यह प्रयत्न है कि कृषि को पूरी प्राथमिकता दी जाय, और आज जो भी वैज्ञानिक साधन इसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, उसका उपयोग किया जाय। इस के लिए हम अपनी विगत मूलों को भी सामने रखते हैं ताकि आगे काम में किसी प्रकार का दोष न रह जाय। हमें आगे बढ़ कर कृषि के नये क्षेत्रों को विजय करना है। हमें आधुनिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि का निर्माण करना है, ताकि हम इस क्षेत्र में

[श्री० चि० सुब्रम्हण्यम]

आशातीत सफलता प्राप्त कर सकें। उर्वरक की भी हमें आवश्यकता है, अतः हमें अपने कारखानें लगाने होंगे। और यह कार्य कई एक योजनाओं में चलेगा। देश में इसके लिए क्षमता का निर्माण करना है। सभी प्रकार की अपेक्षित सामग्री देश में ही मिलनी चाहिए। इसके लिए किसानों और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना होगा, ताकि इस चौथी योजना के अन्तर्गत ही सारा कार्यक्रम पूरा किया जा सके।

यह भी आलोचना की गयी है कि स्वतन्त्रता के 17 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी हम अभी खाद्य के मामलें में विदेशों पर आश्रित है। मैंने इस बारे में विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति का अध्यायन करने का प्रयास किया है। क्या वे देश जो विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, अनाज बाहर से मंगवाते थे। मैंने देखा कि कभी रूस जैसे देश ने भी ऐसा किया था। न केवल समाजवादी देश ही, प्रत्युत पूंजीवादी देश भी अनाज का आयात करते रहे हैं। इस दृष्टि से हमारी स्थिति कोई लज्जाजनक नहीं है। फिर भी जो भी हमारा संकट है उसे हमें जितनी शीघ्रता से हम दूर कर सके, कर देना चाहिए।

हम प्रयास कर रहे है कि हम अब अधिक आयात पर निर्भर न रहे। यह स्थिति चौथी योजना के अन्त तक तो समाप्त हो ही जानी चाहिए। हमें पूरी आशा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब वर्षा के हो जाने से विश्वास किया जा सकता है कि लोगों में विश्वास का निर्माण हो जायेगा। कई किसान लोग अपना संग्रह किया हुआ अनाज बाहर नहीं निकाल रहे थे, अब वह अपना माल मंडी में ले आयेंगे। गत मास स्थिति कुछ बिकट हो गयी थी। हालांकि फसल काफी अच्छी हुई थी। उत्पादन 88.5 मिलियन टन का था, और इस वर्ष आयात भी काफी था। परन्तु फिर भी कठिनाई क्यों थी? इस लिए कि तीन वर्ष तक के समय में तनिक प्रवाह रूक गया था और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था। देर अवश्य हो गयी, पर अब स्थिति ठीक हो जायेगी।

कमी का कारण यह नहीं है कि मण्डी में आवक नहीं है अपितु यह कि लोगों में जमाखोरी की प्रवृत्ति है, वे मुनाफा कमाना चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति यह कोशिश करता है कि वह थोड़ा बहुत अनाज जमा कर ले ताकि जब तक हालत में सुधार न हो जाये वह इस ओर से निश्चिंत रहे (**अन्तर्बाधा**) पहला कारण तो यह है कि इस वर्ष वर्षा काफी देर बाद हुई और दूसरे जब वह हुई तो उससे खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा। यही वजह थी कि जनवरी से जून तक मूल्यों में कमी होती गई, परन्तु अधिक समय तक सूखा पड़ने के बाद कीमतें बढ़ने लगीं। जब बारिश होती है तो किसान का विश्वास भी बढ़ता है और वह अपनी उपज को मण्डी में लाता है। हम आशा करते हैं कि अब जो वर्षा होनी आरम्भ हुई है वह कुछ और समय तक होती रहेगी और किसान अधिक मात्रा में गल्ले को मण्डी में लायेगा।

खाद्य वितरण नीति के संबंध में ज़ोनों के प्रतिबन्धों के आधार पर आलोचना की गई थी। प्रत्येक राज्य के आधार पर ज़ोन आधार पर प्रतिबन्ध की आलोचना सभी लोगों ने की है। इसके बारे में कांग्रेस सदस्यों में भी मतभेद है। इस संबंध में नीति निर्धारित करते समय यह देखना होता है की गत 2–3 वर्षों में व्यापार का रुख क्या रहा और जब आसार कुछ अच्छे न हों तो क्या किसान की प्रवृत्ति गल्ले को जमा करने की होती है। हमें राज्य सरकारों के रवैये को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री खाडिलकर ने कहा कि कुछ मुख्य मंत्रियों के निहित हित होते हैं। क्योंकि हम संसद में हैं इसलिये हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि हम राज्य सरकारों के लोगों से अधिक बुद्धिमान हैं। लोगों के प्रति राज्य सरकारों की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार अथवा संसद सदस्यों से कहीं अधिक है। दैनिक जीवन में राज्य सरकारें ही जनता के साथ सम्पर्क में आती हैं। इसलिये मुख्य मंत्रियों को लोगों के हितों की रक्षा करनी ही पड़ती है। इसलिये यह कहना कि उनका निहित हित है न्यायसंगत नहीं है। कोई भी अन्तिम निर्णय करने से पूर्व हमें इस बात पर ध्यान देना होता है कि देश के विभिन्न भागों में क्या हालत है और विकास और प्रशासनिक कार्यकुशलता को ध्यान में रख कर हमें कदम उठाने पड़ते हैं।

कुछ लोगों का विचार है कि सरकार सारे देश के लिये अनाज प्राप्त करने और उसके वितरण का काम अपने हाथ में ले ले। देश के आकार और विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना असंभव है। इसलिये मुख्य मंत्रियों के मतों पर महत्व देना और उनपर विचार करना बहुत जरुरी है।

इसके आधार पर खण्डीय प्रतिबन्धों पर चर्चा की गई थी। कमी वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने कहा कि खण्ड बड़े होने चाहिये या फिर खण्ड बिल्कुल नहीं होने चाहियें। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने बड़े खण्डों के विरुद्ध अपना मत रखा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक राज्य को खण्ड बनाया जाये। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा करने से एकीकरण को ठेस लगेगी। ऐसी बात नहीं है। उदाहरणार्थ यदि केरल के पास कुछ कमी रह जाती है तो केरल को अन्य राज्यों से इसके लिये मांग नहीं करना पड़ेगी अपितु हम अन्य राज्यों से अन्न प्राप्त करके केरल के लोगों के लिये भेजेंगे। अन्तर केवल यही है कि यदि इसे एक स्वतन्त्र ज़ोन बना दिया जाता है तो खुले व्यापार के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में यह अनाज आने जाने लगेगा। **(अन्तर्बाधा)**। हमारे स्वतन्त्र पार्टी के मित्र तो यह चाहते हैं कि सरकार कोई कानून ही न बनाये।

1963–64 में हम ने बड़े ज़ोन बनाये थे तब व्यापारियों ने अनाज के जरीये जमा कर के कमी की हालत पैदा कर दी थी। इसलिये हम नहीं चाहते कि स्वतन्त्र व्यापार हो। यह व्यापार एक योजना के आधार पर एक राज्य सरकार और दूसरी राज्य सरकार के बीच होना चाहिये। योजना आयोग और कृषि मूल्य आयोग मिलकर यह अनुमान लगायेंगे कि किस राज्य में अनाज की कितनी कमी है और किस में कितनी मात्रा फालतू है। इस मात्रा का लेन देन दो सरकारों के बीच होगा और व्यापारियों को बीच में नहीं आने दिया जायेगा।

हमारी राष्ट्रीय नीति दो मूल सिद्धान्तों पर आधारित है: पहले तो यह कि हमारी खाद्य नीति से उत्पादन में बाधा न पड़े और दूसरे यह कि उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का साम्यिक वितरण होना चाहिये। इसके कई तरीके हैं। कुछ लोगों की तो यह राय है कि बिना किसी नियन्त्रण के स्वतन्त्र व्यापार होना चाहिये। वे कहते हैं कि राज्य व्यापार बिल्कुल नहीं होना चाहिये। यह एक बहुत बड़ा खतरा है और हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी राय यह है कि गैरसरकारी व्यापार को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिये और अनाज को खरीदने और उसके वितरण का सारा काम सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। देश के विभिन्न भागों की प्रशासनिक कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए भी हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये हम ने मध्य मार्ग अपनाया है।

आयोजित विकास का अधिक लाभ शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक पहुंचा है, इसलिये उन में खरीदने की अधिक शक्ति है। इसके आधार पर हमने यह निर्णय किया कि एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कानूनी रुप से राशन लागू कर दिया जाना चाहिये और 5000 से एक लाख तक की आबादी वाले नगरों में कम से कम छः औंस अनाज का अनौपचारिक राशन लागू कर दिया जाना चाहिये। किसी ने कहा कि नगरों के लिये तो अनाज की सप्लाई सुनिश्चित कर दी, पर ग्रामीण क्षेत्रों का क्या बनेगा? जिस सीमा तक शहरी क्षेत्रों में उपभोग में कमी की जा सकती है, जिस सीमा तक शहरी क्षेत्रों में मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सकता है उस सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनाज अधिक उपलब्ध होगा और मूल्यों पर भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि शहरी क्षेत्रों से ही मूल्य बढ़ना आरम्भ होता है। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र खाद्य के मामले में सुरक्षित रहेंगे।

अब शहरी क्षेत्रों के लिये अनाज प्राप्त करने का प्रश्न रह जाता है। इसके लिये हमें कुल मिलाकर 75 लाख टन गल्ले की आवश्यकता है 40 लाख टन अनाज और 35 लाख

[श्री० चि० सुब्रम्हण्यम]

टन चावल। गेहूं की आवश्यकता को तो हम आयात किये गये गेहूं से पूरा कर लेंगे। बाकी रहा चावल का प्रश्न। हम लगभग 400 लाख टन चावल पैदा करते हैं। 35 लाख टन इसका 10 प्रतिशत से भी कुछ कम हो बैठता है। हमें आशा है कि इस मात्रा को हम प्राप्त कर लेंगे। इसके आधार पर हम ने 10 लाख या इस से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में कानूनी रूप से राशन लागू करने का निर्णय किया है।

अन्त में हमारी खाद्य नीति इस बात पर निर्भर करेगी कि हम खाद्य उत्पादन के मामले में कहां तक सफलता प्राप्त कर पाते हैं।

स्वतन्त्र दल यह समझता है कि जब तक नियन्त्रण रहेगा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। साम्यवादी यह समझते हैं कि जब तक खुला व्यापार होगा इसका समाधान नहीं हो सकता। परन्तु मेरा यह कहना है कि कोई भी दल शतप्रतिशत त्रुटिरहित नहीं है। घाटे की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक दल में कोई न कोई त्रुटि रहती है। महत्व की बात यह है कि हमें एक विकल्प को चुनना पड़ता है। और अधिक महत्व की बात यह है कि एक विकल्प को चुनने के बाद हम उसकी किसी बात को छोड़ नहीं सकते। उस विकल्प को क्रियान्वित करने के लिये फिर हमें सभी कदम उठाने पड़ते हैं।

कहा जाता है कि महाराष्ट्र में गेहूं 120 या 130 रु० प्रति क्विटल बिक रहा है। परन्तु इस भाव पर केवल स्वदेशी गेहूं बिक रहा है। यदि आप सारी मण्डी के व्यापार को देखें तो उसमें 80 प्रतिशत आयातित गेहूं है जो कि नियन्त्रित मूल्यों पर बेचा जाता है। केरल में जो चावल बेचा जाता है उसका 86 प्रतिशत नियन्त्रित कीमतों पर बेचा जाता है। आज हम मण्डी का 50 प्रतिशत गेहूं और 27 प्रतिशत चावल नियन्त्रित पद्धति से वितरित कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसके बावजूद भी मण्डी में भाव घटते बढ़ते रहते हैं। परन्तु इसको तब ही रोका जा सकता है जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करने की हालत में हो जायेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य-मन्त्रणा समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 25, अगस्त, 1965/3 भाद्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the 25th August, 1965/Bhadra 3, 1887 (Saka).

भा०प्र०मु०ना०–वि० 2–19 लोक सभा/65–15-3-66–600.